पंचम माला, खंड 42, अंक 13, बुधवार, 7 अगस्त, 1974/16 श्रावण, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLII, No. 13, Wednesday, August 7, 1974/
Sravana 16, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

ग्यारवां सत्र

Eleventh Session

सत्यमेव जयते

खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XLII contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

(यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।)

(This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)

M/P(D)7LSS—

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 7 अगस्त, 1974/16 श्रावण, 1896 (शक)

No. 13, Wednesday, August 7, 1974/Sravana 16, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		पेज PAGES
241. विदेशी सहयोग के प्रस्तावों संबंधी समिति	Committee on Foreign Collaboration Proposals .	1—2
242. दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज न किया जाना	Non Registration of Complaints by Delhi Police .	2—5
244. भूतपूर्व सैनिकों को स्वाधीनता सेनानी पेंशन की मंजूरी	Sanction of Freedom Fighters Pension to Ex-Servicemen . .	5—9
245. सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के तापीय विद्युत संयन्त्रों का कार्यकरण	Working of Thermal Power Plants in Public and Private Sectors .	9—13
246. औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली का उपयोग	Utilisation of power for Industrial and Agricultural Purposes . .	13—15
247. गुजरात में सुरेन्द्र नगर जिले के रनमालपुर गांव में ऊंची जाति के हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की हत्या की घटना	Incident of killing of Harijans in Ranmalpur Village in Surendranagar District, Gujarat by CasteH indus . .	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
243. चाय अवशेष से औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन	Production of Industrial Raw Material from Tea Wastes . . .	18

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
248.	कर्नाटक में शारावती पन बिजली परियोजना के लिंगानामक्की बांध में से पानी का रिसाव	Leakage in Linganamakki Dam of Sharavathi Hydro Electric Project in Karnataka . .	18
249.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of Pension to Freedom Fighters .	18—19
250.	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station at Madras	19
251.	ब्रह्मपुत्र गंगा संयोजन परियोजना	Brahmaputra Ganga Link up Project . . .	20
252.	ऐसे स्वर्गवासी स्वतंत्रता सेनानी जिनकी पेंशन लेने के लिये न विधवाएं हैं और न नाबालिग बच्चे	Freedom Fighters who dies without leaving Widows or Minors to receive Pension . .	20
253.	नागालैण्ड के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का दौरा	Visit of a Five Members Delegation from Nagaland	20—21
254.	पांचवी योजना में विद्युत अनुसंधान	Power Research in Fifth Plan	21
255.	तमिलनाडु में बिजली की कटौती	Power Cut in Tamil Nadu	21—22
256.	सिंचाई पद्धति के रख-रखाव पर हुआ घाटा	Loss Incurred on Maintenance of Irrigation System	23
257.	विदेशों को समुद्री और हवाई जहाजों से पार्सल भजने की दरें	Surface and Air Parcel Rates for Foreign Countries	23
258.	बिहार में आन्दोलनों से सरकारी सम्पत्ति की हानि	Loss of Government Property in Bihar Agitations	24
259.	दामोदर घाटी निगम से बिजली का उत्पादन	Generation of Power from Damodar Valley Corporation . . .	24—25
260.	अखबारी कागज की कमी के बारे में अवास्तविक नीति	Unrealistic Policy for Newsprint Shortage .	25
261.	कर्नाटक में उद्योगों पर बिजली की कटौती का प्रभाव	Effect of Power cut on Industries in Karnataka	25—26

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1714.	मोदी मिल्स के विरुद्ध छापों के दौरान लेखाबाह्य गेहुं पाये जाने के आरोप	Charges against Modi Mills for unaccounted Wheat found during Raids .	26
1715.	संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के सरकारीकरण के लिए राज्य उद्योगमंत्रियों के साथ बैठक	Meeting with State Industries Ministers for taking over Sick Textile Mills	26—27
1716.	गुजरात के बनों में वनस्पति सम्पदा के लिये सर्वेक्षण	Survey for Botanical Wealth in Forests of Gujarat . . .	27
1717.	विद्युत उत्पादन के लिए पृथक निगम स्थापित करना	Setting up of Separate Corporation for Generation of Electricity .	27—28
1718.	भूमिगत नागाओं का एक अन्य देश के नागा संगठन के साथ समझौता	Underground Nagas Pact with the Naga Organisation of another country	28
1719.	राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा तटीय और हाइड्रौलिक इंजीनियरी अनुसंधान के लिये सहायता	Assistance for Coastal and Hyderabad Engineering Research by U.N. Development Programme .	28—29
1720.	स्थानीय व्यक्तियों (सन्स आफ दि सायल) को रोजगार प्रदान करना	Jobs for Sons of the Soil .	29
1721.	पटना के आकाशवाणी केन्द्र में उर्दू प्रोड्यूसर की नियुक्ति	Appointment of an Urdu Producer in A.I.R. Station at Patna . .	29
1722.	उपग्रह छोड़ने के लिये राकेटों के निर्माण में आत्म-निभरता प्राप्त करना	Self Reliance in Manufacturing Rockets for Launching Satellites .	30
1724.	विदेशों में काम कर रहे वैमानिकी अनुसंधान और विकास के भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists in Aeronautic Research and Development working Abroad . . .	30—32
1725.	बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	Grant of Financial Assistance to Unemployed Engineers . . .	32—33
1726.	बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सीमैंट का कारखाना	Cement Factory in Bilaspur (Himachal Pradesh)	34
1727.	बागान विखण्डन को रोकने के लिये अध्यादेश जारी करने के लिए केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति का मांगा जाना	Centre's concurrence to Kerala Government for issuingan ordinance to prevent fragmentation of plantations . .	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1728.	केरल चलचित्र निगम को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala Film Corporation	34
1729.	उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद	U.P. Haryana Boundary Dispute . . .	35
1730.	कागज मिलों द्वारा भारी मुनाफाखोरी	High profiteering by Paper Mills . . .	35
1731.	ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन	Constitution of Brahmaputra River Board .	35
1732.	बहुचरणीय राकेट छोड़ने के लिये नेशनल रेंज के रूप में "श्रीहरिकोटा लांच कम्लैक्स"	"Sriharikota Launch Complex" as a National Range for Launching Multi stage Rockets .	36
1733.	विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिये गैर सरकारी डिटेक्टिव कम्पनियों की जासूसी संबंधी गतिविधियां	Espionage Activities of Private Detective Companies Engaged for Detecting Foreign Exchange Violations. .	36
1734.	कनाडा एटामिक एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाना	Invitation Extended to Chairman, Canadian Atomic Energy Ltd. .	36—37
1735.	पांचवी योजना में आत्मनिर्भरता	Self Reliance in Fifth Plan	37
1736.	विभागेतर पद्धति के कार्यकरण के बारे में जांच करने संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee to Enquire into the working of Extra Departmental System .	37
1737.	मंडिया नेशनल पेपर मिन्ज, मैसूर	Mandya National Paper Mills, Mysore . .	38
1738.	छोटे एककों द्वारा कागज मिलों की स्थापना	Setting up of Paper Mills by Small Units . .	38
1739.	पांचवी योजना में ताप संयंत्रों के लिये उपकरणों का उत्पादन और सप्लाई	Manufacturing and Supply of Equipments for Thermal Plants in Fifth Plan	38—39
1740.	इजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा का गठन	Formation of All India Service of Engineers .	39—41
1741.	छत्तीसगढ जिले (मध्य प्रदेश) के पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एस्टेट	Industrial Estates in Backward Area of Chhattisgarh District (Madhya Pradesh) . . .	41—42
1742.	राजस्थान तथा मद्रास परमाणु केन्द्रों के लिए फ्रान्स द्वारा उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment by France for Rajasthan and Madras Atomic Stations . . .	42—43

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1743.	सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली म चोरियां तथा हत्याओं के मामले	Theft and Murder Cases in Sudarshan Park, New Delhi	43
1744.	दिल्ली में वर्ष 1973–74 के दौरान हत्या की घटनायें	Incidents of murder cases in Delhi during 1973-74	43
1745.	बंगलादेश में परमाणु अनुसंधान रियेक्टर की स्थापना के लिए भारत-बंगलादेश वार्ता	Indo-Bangladesh talks for setting up Atomic Research Reactor in Bangladesh . . .	44
1746.	बिहार के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के बीच बिहार की स्थिति के बारे में बातचीत	Discussion between Chief Minister of Bihar and the Home Minister about Bihar Situation . .	44
1747.	टैलीविजनों पर प्रदर्शन के लिये नवीनतम फिल्में देने के संबंध में वितरकों का असहयोग	Non-cooperation from distributors in respect of giving the latest films for exhibition on T. Vs.	44—45
1748.	उपग्रह के लिये कार्यक्रम तैयार करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बम्बई में एक स्टूडियो की स्थापना	Setting up of a Studio in Bombay by ISRO for production of programme for the Satellite . .	45
1749.	कोसी नहर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन	Report of Kosi Technical Advisory Committee .	45—46
1750.	बिहार में कमला नदी के दोनों ओर तट बंधों का विस्तार करने के लिये भारत-नेपाल करार	Indo-Nepal agreement for extending embankment on both sides of river Kamala in Bihar .	46
1751.	पांचवी योजना के पहले दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना	Setting up of New Power Plants with assistance of R.E.C. in first two years of Fifth Plan .	47
1752.	पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादक एककों का कार्यकरण	Working of Power Generating Units in West Bengal . . .	47—48
1753.	अमरीकी सरकार द्वारा छोड़े जाने वाले उपग्रह से टेलीविजन कायक्रम प्रसारित करना	Telecasting of T.V. programmes by the Satellite to be launched by U.S. Government .	48

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1754.	बिजली के संकट दूर करने के बारे में आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चैयरमैन द्वारा दिया गया सुझाव	Suggestion made by Chairman of All India Power Engineers Federation to avert Power Crisis .	48—49
1755.	टेलीविजन केन्द्र का पुनर्गठन	Re-structuring of T.V. Centre . . .	49
1756.	स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने संबंध सिद्धांत (सन्स ग्राफ दि सायल थ्योरी)	Sons of the Soil Theory .	49
1758.	मंत्रियों की सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure incurred in Security of Ministers .	49—50
1759.	माचिस का मूल्य	Price of Match Box . .	51
1760.	केसैट्स के गैर-कानूनी निर्माण का पता लगाने के लिये फिलिप्स इंडिया लिमिटेड पर छापा मारा जाना	Raid on Philips India Limited, Poona for Illegal Manufacture of Casettes	51
1761.	विदेशी फर्मों द्वारा टेप-रिकार्डों का निर्माण ग्रौर बिक्री	Manufacture and Sale of Tape recorders by foreign firms . .	51—52
1762	टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिय नये कारखानों को लाइसेंस देने संबंधी नियम	Rules regarding Grant of Licences to New Units for Manufacture of T.V. sets	53
1763.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी को 'इंदिरा ब्रिगेड' गठित करने का काय सौंपने का समाचार	Alleged Assignment to CBI Official to organise Indira Brigade . .	53—54
1764.	राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा ईधंन-दक्षता तकनीकि का विकास	Fuel Efficiency Technique developed by National Productivity Council .	54
1765.	ग्रखबारी कागज के उत्पादन के लिय चावल ग्रौर पटसन का प्रयोग	Use of Rice and Jute for Manufacture of Newsprint	54
1766.	केरल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए ग्रावेदन पत्र	Applications for setting up of Industries in Backward Districts of Kerala . . .	54—55
1767.	चौथी योजना के दौरान केरल तथा तमिलनाडु में बिजली उत्पादन ग्रौर सप्लाई के लक्ष्य	Target for Power Generation and Supply in Kerala and Tamil Nadu during Fourth Plan .	55—57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1768.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से पिक्चर ट्यूबें सप्लाई करने में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को प्राथमिकता देना	Priority to Public Sector Companies in Supplying Picture Tubes from Bharat Electronics Ltd.	57
1769.	इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकेन्द्रीकरण	Dispersal of Electronics Industry . . .	58
1770.	टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange requirement for manufacturing T.V. Sets . . .	58
1771.	लद्दाख में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना	Encouragement to Village Industries in Ladakh .	59
1772.	पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी समिति	Committee on Development of Backward Areas	59
1773.	देश में सम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in the country . . .	59—60
1774.	दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के घरों पर छापे मारा जाना	Raid on Houses of Officers of Engineering Department of MCD . .	60
1775.	गंड़क परियोजना के लिये 1973–74 और 1974–75 में उत्तर प्रदेश और बिहार को ऋण और अनुदान देना	Loans and Grants to U.P. and Bihar for Gandak Project in 1973-74 and 1974-75 . . .	60—61
1776.	इस्पात संयंत्रों के लिये रक्षत बिजलीघर	Captive Power Plants for Steel Plants. . .	61
1777.	दिल्ली के ओखला गांव में हुआ कांड	Incident in Okhla Village, Delhi	61
1778.	न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम के लिये उदार केन्द्रीय सहायता	Liberal Central Assistance for minimum Needs Programme . . .	62
1779.	हरियाणा को अबोहर तथा फाजिल्का क्षेत्रों का अंतरण	Transfer of Abohar and Fazilka Areas to Haryana . . .	62
1780.	जम्मू तथा कश्मीर डाक-सर्किल	J&K Postal Circle . .	62—63
1781.	पिछड़े क्षेत्रों के लिये आधारभूत ढांचा	Infra-structure for Backward Areas . . .	63—64
1782.	इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा उपकरणों का निर्यात	Export of Equipment by ITI	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1783.	दिल्ली में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना	Setting up of new Telephone Exchange in Delhi	64—65
1785.	मिसिलिमी के निकट सीमा सुरक्षा बल के गस्ती दस्ते पर सशस्त्र नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना	Firings by Armed Naga Rebels on a Patrol Party of BSF near Misilimi .	65
1786.	टेलीफोन आपरेटरों की भर्त्ती	Recruitment of Telephone Operators . . .	65
1787.	राक फास्फेट की बिक्री से उपलब्ध आय को राजस्थान की राज्य योजनाओं के वित्त पोषण के लिये लगाना	Diversion of earnings from sale of rock Phosphate for financing State Plans of Rajasthan . .	66
1788.	सीमान्त राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता	Special financial Assistance to border States for Development of Border Areas	66
1789.	रवीन्द्र रंगशाला, दिल्ली में चलचित्रों के प्रदर्शनों पर मनोरंजन कर की छूट	Exemption of Entertainment Tax on shows screened at Rabindra Rangshala Delhi . .	66—67
1790.	दिल्ली में यातायात नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन	Violation of Traffic Rules and Regulations in Delhi	67
1791.	टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन	Publishing of Telephone Directory . . .	68
1792.	उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य-प्रदेश में विद्युत संकट	Power crisis in U.P., Rajasthan and Madhya Pradesh	68
1793.	आंध्र प्रदेश में कृष्णा के जल के उपयोग के लिए श्रीसैलाम पनबिजली परियोजना को सिंचाई परियोजना में परिणत करना	Conversion of Srisallam Hydro Electric Project into Irrigation Project for utilisation of Krishna waters to Andhra Pradesh . . .	68—69
1794.	उपक्रम स्थापित करने के लिए आंध्र-प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आशयपत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent to APIDC for setting up undertaking . .	69—70
1795.	छपाई के सफेद कागज के उत्पादकों पर लेवी	Levy on Manufacturers of white Printing Paper .	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1796.	लोअर सलेक्शन ग्रेड पदों को बनाना	Creation of L.S.G. Posts .	71
1797.	पाली जिले के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलना	Opening of P.C.Os. in villages of Pali District .	71
1798.	एक टिप्पर ट्रक पर चढ़ाया गया मोबाइल लांचर	Mobile Launcher Mounted on a Tipper Truck .	71—72
1799.	तारापुर परमाणु बिजलीघर में त्रुटियां	Defects in Tarapur Atomic Power Station . .	72
1800.	गलत सूचना देने वाले स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters who supplied false Information	72—73
1801.	गलत सूचना देने वाले स्वतंत्रता सेनानी	Freedom Fighters who supplied false Information	73
1802.	बदरपुर संयंत्र के प्रबंध को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों को सौंपना	Handling over the Management of Badarpur Plant to DESU . . .	73
1803.	आसाम में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का तैनात किया जाना	Deployment of BSF and CRPF in Assam for maintaining law and Order . . .	74
1804.	कमी वाली वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Commodities which are in Short Supply	74—75
1805.	कोटा में टेलीफोन के बिल बनाना	Telephone Billing in Kota	75
1806.	कोटा, राजस्थान में तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Station at Kota, Rajasthan . . .	75
1807.	फ्रांस द्वारा भारतीय उपग्रह के लिये प्रस्ताव 'ट्रैकिंग' सुविधाएं	Tracking facilities for Indian Satellite offered by France . . .	76
1808.	दिल्ली में छात्रों का जाली प्रमाणपत्र दिया जाना	Issue of Bogus Certificates to Students in Delhi .	76
1809.	तकनीकी ज्ञान का आयात करने वाले निर्माण एककों को उसका आत्मसात करने के लिये सहायता	Assistance to Manufacturing Units Importing Technology for their Absorption . . .	76—77

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1810.	पश्चिमी घाट के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग	Use of Atomic Energy for Development of Western Ghat . . .	77
1811.	प्रत्येक सिनेमा-टिकट पर पांच पैसा उपकर लगाने का प्रस्ताव	Proposal to levy a cess of Five Paise on each Cinema Ticket . .	77
1813.	पांचवी योजना में उद्योगों और खानों के विस्तार के लिए धन राशि का नियतन	Allocation of Funds for expansion of Industries and Mines in Fifth Plan	78
1814.	सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि	Increase in retention Price of Cement . . .	78
1815.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण	Electrification of Villages by REC . . .	78—79
1816.	हिन्दीभाषी राज्यों में केन्द्र के कार्यालयों के हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence in Hindi in Central Offices in Hindi speaking States .	79
1817.	राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं से हुई हानि	Loss incurred on Irrigation Projects in States .	79—80
1818.	केरल के कन्नानूर जिले में पज़्स्सी सिंचाई परियोजना क्षेत्र को जल की सप्लाई	Supply of Water to Pazhassi Irrigation Project Area, Cannanore District, Kerala . .	80
1819.	नेपा मिल द्वारा अखबारी कागज की बिक्री	Sale of Newsprint by Nepa Mills	80—81
1820.	राज भाषा अधिनियम के क्रियान्वन कार्य में लगे कर्मचारी	Employees engaged in implementation of Official Languages Act . .	81
1821.	पश्चिम बंगाल सर्किल की टेलीफोन डायरैक्टरी	Telephone Directory of West Bengal Circle .	81
1822.	त्रिपुरा में डम्बर हाईडल परियोजना	Dumbar Hydel Project in Tripura . . .	82
1823.	बांधों और नहरों में गाद जमा हो जाना	Siltation in Dams and Canals . . .	82
1824.	नर्मदा नदी के जल का उपयोग न करने के कारण हानि	Loss due to non-Utilisation of waters of Narmada River . .	83

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1825.	टेलीविजन निर्माताओं द्वारा गलत प्रचार के जरिए टेलीविजन सेटों की बिक्री	Sale of T.V. sets by T.V. manufacturers through wrong publicity . .	83
1826.	भारी उद्योगों द्वारा परमाणु परियोजनाओं की आवश्यकतायें पूरी की जाना	Meeting of Requirements of Nuclear Projects by Heavy Industries .	83—84
1827.	पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्रिनगर, दिल्ली में प्रदर्शन	Demonstration in Trinagar, Delhi against corruption of Police Authorities . . .	84
1828.	स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना	Subarnarekha Flood Control Project . . .	84—85
1829	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to freedom fighters . .	85—86
1830.	भारत रक्षा नियम के अंतर्गत बंदी बनाये गये तथा हिरासत में लिये गये व्यक्तियों की संख्या	Number of prisoners arrested and detained under DIR	87
1831.	भारत—जर्मन सहयोग	Indo-German Collaborations	87
1832.	केरल में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	Regional Research Laboratory in Kerala . .	87—88
1833.	केरल में टेलीविजन केन्द्र	Television Station in Kerala . . .	88
1834.	कठिन आर्थिक स्थिति के कारण खनिज विकास कार्यक्रमों को रोका जाना	Mineral Development Programmes shelved in view of difficult Economic Situation . .	88
1835.	एस० एल० वी० परियोजना को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र से किसी अन्य केन्द्रों में ले जाना	Shiftingof SLV Project from Vikram Sarabhai Space Centre to other centres . . .	89
1836.	वर्ष 1974–75 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र के लिये आवंटित धनराशि	Allotments from Vikram Sarabhai Space Centre in 1974-75 . . .	89
1837.	मेघालय रिहायशी परमिट विधेयक	Meghalaya Residential Permits Bill . .	89—90
1838.	केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य को अपने अधिकार में लेना	Take over of Flood Control by Central Government	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1839.	"सीनेटर वान्टस् तारापुर इक्विपमट टेकन बैंक" शीर्षक से समाचार	News item Captioned "Senator Wants Tarapur Equipment Taken Back"	90
1840.	पांचवी योजना में जल और तापीय बिजली घरों का पूरा होना	Completion of Thermal and Hydel Power Stations in Fifth Plan .	91
1841.	किसानों से ली जाने वाली जलदरें	Water Rates Charged from Farmers . . .	91
1842.	जुलाई, 1974 में दिल्ली में बिजली फेल होना	Power Breakdown in Delhi in July 1974 . .	92
1843.	अकोला और बुलडांना जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Akola and Buldana Districts . . .	92—94
1844.	अधिकारियों के नामों के साथ राजपत्रित और अराजपत्रित शब्द लगाने की प्रणाली समाप्त करना	Doing away with the System of Gazetted and Non-Gazetted Officers .	94
1845.	बिहार में तापीय बिजली परयोजना को मंजूरी	Sanction of Thermal Power Project in Bihar .	95
1847.	फिरोजाबाद तथा वाराणसी के दंगों संबंधी प्रतिवेदन	Report on Ferozabad and Varanasi Riots . .	95
1848.	भारत नेपाल सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indo-Nepal Border	95—96
1849.	सदर बाजार, दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों में जन हानि	Loss of Life during Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi . .	96—97
1850.	देश में डाका, हत्या और चोरी की घटनाएं	Incidents on Dacoity, Murder and Theft in the country . . .	97
1851.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करना	Extending Telephone facilities to Adivasi areas in M.P.	98
1852.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to S.C. and S.T. Candidates in M.P.	98
1853.	लाभ प्राप्त करने के बाद औद्योगिक एककों को मध्य प्रदेश से अन्यत्र ले जाना	Shifting of Industrial Units from M.P. after availing Benefits . . .	98—99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1854.	विद्युत उत्पादन के लिए एक पृथक 'निर्माण प्राधिकरण' स्थापित करने के लिए केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Kerala for setting up a Separate construction authority for Generation of Power . .	99
1855.	मध्य प्रदेश में कोरबा संयंत्र में बिजली की कमी	Power shortage in Korba Plant in M.P. . .	99—100
1856.	भारतीय नदियों की पन बिजली उत्पादन क्षमता को उपयोग में लाना	Tapping of Indian Rivers for Hydel Power Potential	100
1857.	राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन	Allocation of Funds for Power Projects undertaken by State Governments . . .	100—101
1858.	विदेशी प्रौद्योगिकी और जानकारी पर निर्भरता	Dependence on Foreign Technology and know how	101
1860.	बिहार में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति	Execution of Bagmati River Project in Bihar .	101—102
1861.	कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेंस देना	Issue of Licence to Coca Cola Export Corporation	102
1862.	बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियां	Activities of Multi National Corporations .	102—103
1863.	भारत से प्रतिभा पलायन	Brain Drain from India .	103—104
1864.	दिल्ली में ठप्प पड़े टेलीफोन	Telephone lying dead in Delhi	104—105
1865.	बम्बई कलकत्ता ट्रंक लाइन	Bombay Calcutta Trunk lines	105—106
1866.	बम्बई टेलीफोन सेवा	Bombay Telephone Service	107
1867.	अपर इन्द्रावती पन बिजली तथा सिंचाई परियोजना के बारे में उड़ीसा से परियोजना प्रतिवेदन	Project report from Orissa on the Upper Indravati Hydel and Irrigation Project . . .	107—108
1868.	पटना रेडियो स्टेशन का कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर	Weak Transmiter of Patna Radio Station . .	108
1869.	पटना में टेलीफोन विभाग का कार्य-करण	orking of Telephones in Patna . . .	108—109

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1870.	बिहार में डाक घरों में सेवा	Services in Post Offices in Bihar	109
1871.	पालामऊ (बिहार) में शराब कारखाने की स्थापना	Setting up of Liquor factory in Palamau (Bihar)	109
1872.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड विषयक समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on NIDC Limited . .	109—110
1873.	आदिवासी क्षेत्र का विकास	Development of Adivasi Area	110—111
1874.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचार संबंधी सुविधाए	Communication facilities in Adivasi areas of M.P.	111
1875.	महाराष्ट्र में मनिकगढ़ के वन भूमि से बेदखल करने तथा बेदखल किए गए किसानों पर अत्याचार करने के बारे में अनुसूचित जातियों आदिम जातियों के आयुक्त का निष्कर्ष	Finding of the Commissioner for S.C. & S.T. about evicting from forest lands of Manikgarh in Maharashtra and atrocities on evicted Kisans	111—112
1876.	धुलिया जिले में भूमि का हस्तांतरण	Land transfer in Dhulia District . . .	112
1877.	शरावती परियोजना में ठेकेदारों का सहयोग	Cooperation of contractors in Sharavati Project .	112
1878.	कर्नाटक में हिडकी बांध का निर्माण	Construction of Hidki Dam in Karanataka . .	112—113
1879.	कर्नाटक में तापीय संयंत्र की स्थापना	Setting up of Thermal Plants in Karnataka .	113
1880.	मनोरंजन के समय को फिर से निर्धारित करके बिजली के निरर्थक उपयोग को रोकना	Prevention of Wasteful use of Power by Rescheduling Entertainment Hours	113
1881.	विभागेतर कर्मचारी	Extra departmental employees . . .	114
1882.	चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत, सिचाई, खाद्यान्न, इस्पात आदि के लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of targets in Power, Irrigation Foodgrains, Steel during Fourth Plan . .	114
1883.	भारत में अल्पसंख्यकों को रोजगार	Employment of Minorities in India . .	114—115
1884.	'इलिसिट फायर-आर्मस ट्रेड थ्राइव्स इन रामपुर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned Illicit fire arms trade thrives in Rampur .	115

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGES
1885.	फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुज्ञप्त उत्पादन क्षमता का पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को स्थानान्तरण करना	Transfer of licenced Production Capacity from West Bengal to other States by Philips India Limited . . .	115—116
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	116
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	119
	विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges .	121
	11वां प्रतिवेदन–प्रस्तुत किया गया	Eleventh Report presented	121
	नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377 .	121
	सभी गैर सरकारी बिजली घरों के राष्ट्रीयकरण के लिए बिहार सरकार का अध्यादेश	Bihar Government Ordinance to nationalise all private electricity concerns	121
	हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक	University of Hyderabad Bill . . .	121
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	121
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	121
	श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah .	123
	श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun . .	124
	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	125
	श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao .	126
	श्री के० रामकृष्णा रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy . . .	126
	श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी	Shri P. Narasinha Reddy	126
	श्री टी० एस० लक्ष्मणन	Shri T.S. Lakshmanan .	127
	श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan . .	127
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	128
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	129
	श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh .	130
	श्री तारकेश्वर पाण्डे	Shri Tarkeshwar Pandey .	130
	श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	130
	श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	131
	प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	131

L/P(D)7LSS—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No. विषय	SUBJECT	PAGES
खण्ड 2 से 41 और 1	Clauses 2 to 41 and 1 .	136
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	136
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee .	142
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	143
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974	Finance (No. 2) Bill, 1974	143
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	143
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	143
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	143
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	144
संयुक्त क्षेत्र में कागज एवं अखबारी कगाज के कारखाने स्थापित करना	Setting up of Paper and Newsprint Units in Joint Sector . .	144
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani . .	144
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam .	147
केरल में हाल म चट्टानों के फटने और भू-स्खलन के बारे में चर्चा	Discussion Re. Recent Rock bursts and Land-slides in Kerala .	148
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	148
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	150
डा० हैनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	150
श्री के० पी० उन्निकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishnan	151
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली	Shri Ramachandran Kadannappalli . .	152
श्री के० के० शेट्टी	Shri K.K. Shetty .	152
श्री पी० रंगनाथ शिनाय	Shri P.R. Shenoy . .	153
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	154
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	154
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	154
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K.C. Pant .	155

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 7 अगस्त, 1974/16 श्रावण, 1896 (शक)

Wednesday, August 7, 1974/Sravana 16, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी सहयोग के प्रस्तावों सम्बन्धी समिति

***241. श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के प्रौद्यौगिकीय पहलुओं की जांच करने के लिय एक समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति तकनीकी ज्ञान के स्वरुपों तथा देश में उनकी उपलब्धता के बारे में भी जांच करेगी ; और

(ग) क्या समिति आयातीत तकनीकी ज्ञान को, अनुसंधान और विकास कार्यों से अन्तर सम्बद्ध करने का भी प्रबन्ध करेगी ?

औधोगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौधोगिकी तथा कृषि मंत्री (सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तकनीकी विकास के सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद्, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) के वरिष्ठ अधिकारी हैं । इस समिति का प्रमुख कार्य औद्योगिक स्वीकृति के प्रस्तावों पर जिसमें विदेशी सहयोग, विदेशी सहयोग सबंधी अद्यौगिक लाइसेंस आवेदनों के प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समन्वित व्यवस्था प्रदान करना होगा । समिति देशीय प्रौद्योगिकी की उपलब्धत

का और उसकी देशीय क्षमता का पता लगाने, देश में आयात के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का चयन करने, आयातित प्रौद्योगिकी को देश के अनुसंधान और विकास प्रयत्नों तथा सम्बद्ध मामलों से सम्बद्ध करने की व्यवस्था आदि भी करेगी। प्रस्तावों पर तकनीकी समिति के माध्यम से कार्यवाही करने को औद्योगिक स्वीकृति की नूतन एकीकृत प्रतिक्रिया के अनुरुप निश्चित किया गया है और इसके लिए अवधि निर्धारित कर दी गई है। नई प्रणाली 15 जुलाई या उसके बाद मिलने वाले आवेदनों पर लागू होगी।

Shri Shrikishan Modi : Mr. Speaker, Sir, our neighbouring Muslim Countires are interested in investing money in the industries in India. The hon. Minister has stated in the statement that there will be unified procedure for all. I would like to know whether agreements with these Nations will be covered under this procedure?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ये औद्योगिक लाइसेंस के लिए वास्तविक आवेदनकर्त्ताओं के संदर्भ में हैं। ये तकनीकी जानकारी के रुप में विदेशी सहयोग के लिए भी हो सकते हैं अथवा साम्य पूंजी के आधार पर विदेशी सहयोग के लिए भी हो सकते हैं। जब कोई ऐसा आवदन करेगा, समिति मामले पर विचार करेगी।

Shri Shrikishan Modi: Two or three days ago, Scientific workers of C.S.I.R. have stated in some resolution that they don't want foreign Collaboration, what is the difference between the opinion, expressed in the Resolution and that of the Committee?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह कहना गलत होगा कि उन्हें विदेशी सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह रुप से हम कई क्षेत्रों में आत्म-निभर हैं परन्तु विशेषकर तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पिछड़े देश तो क्या पूर्ण विकसित देश भी यह नहीं कह सकते कि उन्हें विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में इस समय अनुसंधान के लिए धन राशि की कमी है, क्या कम्पनियों के उत्पादन पर $\frac{1}{2}$% या 1% उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है ताकि विदेशी प्रौद्योगिकी को हटाकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सक ? इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : जी, हां। ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज न किया जाना

*242. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में जनता द्वारा फौजदारी के अधिकांश मामलों में की जाने वाली शिकायतें पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि दिल्ली में जनता द्वारा भारी संख्या में दायर कराये गये आपराधिक मामले पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किये जाते हैं। कभी कभी दर्ज न करने की व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त होती हैं और इनकी जांच की जाती है। दण्ड प्रक्रिया सहित की धाराओं 154 और 155 के अनुसार ऐसी शिकायतों को दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने क लिए दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक प्रशासनिक उपाय अपनाये गये हैं कि इन उपबन्धों का पालन किया जाय। मामलों को दर्ज न करने का यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो पुलिस अधिकारियों ने उनक विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की हैं। शिकायतकर्ताओं के लाभ के लिए थाने के रिपोर्टिंग रूम में मुख्य रूप से एक नोटिस भी लगाया गया है जिसमें संबधित एस० डी० पी० ओ० और पुलिस अधीक्षक के टेलीफून नम्बर इन अनुदेशों के साथ दिये गये हैं कि यदि शिकायतकर्ता कोई कठिनाई अनुभव करता है और उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक अथवा सही बरताव नहीं होता है तो वह उनमें से किसी से सम्पर्क कर सके।

श्री राम सहाय पांडे : मैंने समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर प्रश्न पूछा था। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि अधिकांश आपराधिक मामलों के बारे में जनता द्वारा की आने वाली शिकायतों को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया जाता। विवरण में कहा गया है—"कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि दिल्ली में जनता द्वारा भारी संख्या में दायर कराए गए आपराधिक मामले पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किए जाते" आगे कहा गया है :—

> "मामलों को दर्ज न करने का यदि कोई अपराधी पाया जाता है तो पुलिस अधिकारियों ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की है।"

इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ मामले मंत्री महोदय और मंत्रालय के ध्यान म लाए गए थे। यदि ऐसा हुआ है, तो सरकार आपराधिक मामलों के बारे में की गई शिकायतों को तुरन्त दर्ज करने कि दिशा में क्या कायवाही कर रही है ?

क्या चलते फिरते दण्डाधीशों को नियुक्त करने की कोई योजना विचाराधीन है ताकि गलियों में घटने वाले छोटे छोटे मामलों पर तुरन्त कार्यवाही की जाए, निर्णय किया जाए और सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित सजा दी जाए।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने बिश्वास और सोच समझ के साथ यह कहा था कि न दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। वर्ष 1969 में हमारे ध्यान में यह बात लाई गई थी कि पुलिस शिकायतों को दर्ज नहीं करती और उस समय भारत सरकार ने भी सभी पुलिस थानों और अधिकारियों को यह अनुदेश जारी किया था की दर्ज मामलों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो अधिकारी के विरुद्ध कोई गलत धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका ध्यान दण्ड

प्रक्रिया संहिता की उन धाराओं की ओर भी दिलाया गया था जिसमें कहा गया है कि यदि वे कोई कार्यवाही नहीं करते अथवा मामला दर्ज नहीं करते या मामलों की संख्या को कम रखना चाहते हैं, तो उपबन्धों के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद वर्ष 1969 में 17,605 1970 में 31,000 वर्ष 1971 में 29,000 वर्ष 1972 में 32,000 तथा गत वर्ष 34,000 मामले दर्ज किए गए हैं और गत 6 महीनों में 16,800 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्थिति को यथा पूर्व बनाए रखा गया है, अर्थात् संख्या गत वर्ष जितनी है। दूसरे, वर्ष 1972 में दो सब इन्स-पेक्टरों, एक सहायक सबइन्स्पेक्टर, एक हैड-कांस्टेबल तथा एक कांस्टेबल के विरुद्ध कार्यवाही की गई। वर्ष 1973 में 7 सबइन्सपैक्टरों, दो सहायक सबइन्सपेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अतः कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक चलते फिरते दण्डाधीशों की शहर में नियुक्ति करने का प्रश्न है, ताकि वे तुरन्त निर्णय या आदेश दे सकें, यातायात उल्लंघन या नगर अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने सम्बन्धित मामलों पर तो ऐसी कार्यवाही की जा सकती है परन्तु साधारणतया मामला दर्ज करना तथा मौके पर निर्णय देना सम्भव नहीं हैं : किसी भी तरह से यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : दिल्ली में वर्तमान कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में कमी हो रही है अथवा वृद्धि। हम प्रति दिन समाचार पत्रों में यहां वहां घटनायें घटित होने के समाचार पढ़ते हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि मामलों में कमी हो रही है अथवा वृद्धि।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने अभी बताया है कि स्थिति को काफी कुछ बना के रखा गया है आर्थिक अपराध के मामलों में मामूली सी वृद्धि हुई है परन्तु समग्र रुप से सामान्य स्थिति को बनाये रखा गया है, गत वर्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

Shri D.N. Tiwary : Is it a fact that even after the registration of the case, the enquiry is not properly done. A few days back there was a case regarding shooting down of a dog at Raiseena Road, the case was registered but the enquiry was not properly done.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सामान्य रुप में अपना प्रश्न पूछें।

Shri Uma Shankar Dixit : We may try to give special attention on such cases if we are seized of the matter or if the hon. member supply the particular information even now. It is possible that the action might not have been taken so urgently as it ought to have been taken but it may be regarding one or two cases. The Hon. members has mentioned above shooting down of a dog. If he supplies the detailed imformation, I may give special attention to that. Some times, there are difficulties regarding even to human cases.

Shri R.V. Bade : According to the provisions of C.P.C. a copy of F.I.R. is supplied at the time it is lodged. May I know whether he has received any

such imformation where after refusal to accept the copy of F.I.R. acceptance of the same sent though registered post has again been refused ?

Shri Uma Shankar Dixit : No Sir. We have no such information.

भूतपूर्व सैनिकों को स्वाधीनता सेनानी पेंशन की मंजूरी

***244. श्री नागेश्वर द्विवेदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों सशस्त्र सेनाओं के कुछ अधिकारियों और जवानों ने, जिन्हें पिछले विश्वयुद्ध के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने अथवा देशभक्ति के कारण अन्य रूप में ब्रिटिश सेना की मदद करने से इन्कार करने के कारण कोर्ट मार्शल किया गया था और अनेक वर्षों के लिए जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी, स्वाधीनता सैनानी पेंशन के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें पेशंन की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया परन्तु पेंशन की मंजूरी नहीं दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में यह व्यवस्था की गई है कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण अपना रोजगार, सिविल अथवा मिलिट्री अथवा जीविका के साधन खो बैठा हो, पेंशन की स्वीकृति का पात्र होगा । तदनुसार, तीनों सेवाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों तथा सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने पेंशन के लिए आवेदन किया है । उन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है जो पात्र पाये गये थे तथा जिन्होंने 1946 के रायल इंडियन नेवी म्यूटिनी में भाग लिया था और जो पेशावर कांड में अन्तर्ग्रस्त रायल गढ़वाल राइफल के भूतपूर्व सदस्य थे । रक्षा मंत्रालय के परामर्श से उन लम्बित मामलों विशेषकर उन व्यक्तियों, जिन्होंने 1940 के सैंट्रल इंडिया होर्स म्युनिटी, 1940 में मिश्र में म्युनिटी आफ एम टी ड्राइवरस् तथा 1941 में हांगकांग में 20वीं बैटरी म्युनिटी में सजा काटी थी, से सबंधित मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

2. प्रत्येक मामले की गुणदोष के आधार पर जांच की जाती है तथा योजना में निर्धारित यातना साबित हो जाने पर पेंशन मंजूर की जाती है । उन भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने पेंशन के लिय आवेदन किया है तथा जिनके मामले अस्वीकृत कर दिये गये हैं, की संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इन सारे मामलों पर उन स्वतंत्रता सैनानियों के साथ जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया था, विचार किया गया था ।

Shri Nageshwar Dwivedi : May I know the time by which these cases are expected to be decided and the difficulties being faced in taking a decision and the action taken so far in this regard?

Shri Ram Niwas Mirdha : The main reason regarding the delay in arriving at a decision in that the old papers and files regarding all the three cases I have mentioned in the statement are not available so that the reasons for which actions were taken against these people may be ascertained we are in consultation with the Defence Ministry and we are asking them to send us all the papers and files concerned with old Court martial cases. The cases will be decided immediately after the Consultation is over.

There is no delay regarding the Cases where there is no doubts and papers are available. But in certain cases, the main reason for the delay is that the papers are not available. We are also in touch of those who have applied and are not in a position to produce evidence. We are enquiring about the circumstances under which their services were terminated and about the officers who took action against them at that time. We are making efforts to collect all the information so that decision may be taken at an early date.

Shri Nageshwar Dwivedi : May I know whether these cases include cases of those servicemen also who refused to fight against I.N.A. on Burma Front?

Shri Ram Niwas Mirdha : I fail to understand as to what the hon. member actually wants to know. There are certain cases in which certain people who were primarily civilian and had later on joined I.N.A. have fought on Burma Front. The Committee of I.N.A. have recommended all those facilities, which are being givén to I.N.A. personnel, to those civilians who had joined I.N.A. and fought in Burma front. If the hon. member wants to know about such cases then I may inform him that such cases will also be considered and action will be taken immediately.

Shri Nageshwar Dwivedi: I wanted to know about those people who were in British Army at that time and were fighting on Burma Front but refused to fight later on when I.N.A. was deployed against them.

Shri Ram Niwas Mirdha : I do not know whether any such application has been received. At present only three types of cases are under consideration Central India Horse mutiny of 1940, mutiny of MT Drivers in Egypt in 1940 and 20th Battery mutiny in Hongkong in 1941. We have not received any application from such persons as the hon. member have wanted to know about.

श्री समरगुह : हो सकता है मेरा प्रश्न पूर्ण तथा सम्बद्ध प्रश्न न हो परन्तु यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय वहां गये और मामला उठाया गया। मैं मंत्री-महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बूढे तथा अपंग स्वतंत्रता सैनानी ब्रह्मचारी केशोराम, जो भूख हड़ताल पर थे, को देखा है। उन्होंने ब्रह्मचारी केशोराम को जो स्वतंत्रता सैनानियों के लिये हड़ताल कर रहे थे क्या आश्वासन दिये ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अलग से नोटिस दें तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री समरगुह : वह बूढ़ा व्यक्ति यहां आया था। यदि आप अनुमति दें तो मैं पूछूं यह प्रश्न एक प्रकार से सम्बद्ध है। वह व्यक्ति आज प्रातःकाल आया था। यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रश्न पूछूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बूढ़े व्यक्ति को यहां को लाने के बजाय मंत्री महोदय क पास भेज दीजिये।

श्री समरगुह : अवसर नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : हजारों व्यक्तियों को छोड़कर आपने एक विशेष मामले के बारे में पूछा है।

श्री समरगुह : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार ने बीमार अपंग विकलांग तथा जिनकी देखभाल के लिये अन्य कोई नहीं है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिये दो स्वतंत्रा सेनानी गृह, एक दिल्ली में दूसरा पांडिचेरी में बनाने का निर्णय किया है।

जब तक स्थायी गृह बने तब तक 25 व्यक्तियों के आवास तक सीमित एक अस्थायी गृह दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। मेरा ब्रह्मचारी जी के साथ सम्पर्क रहा है और जब मैंने उन्हें सरकार का निर्णय बताया कि सरकार 2-10-1974 से दिल्ली में एक अस्थायी गृह खोलने जा रही है तब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। हमने इस सम्बन्ध में नियम बनाये हैं। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को ऐसे दो व्यक्तियों के नाम भेजने, जिन्हें इस गृह में रखा जा सकता है, के लिये पत्र लिखे हैं। हम इस दशा में प्रगति कर रहे हैं।

Shri Ramchandra Vikal : May I know from the hon. Minister the difficulty in arriving at a decision about the cases already brought to the notice of the Government and the time by which the requisite information would be available from the Defence Ministry and the time by which decision will be taken thereon?

Shri Ram Niwas Mirdha : Only doubtful cases are the cases regarding which facts are available neither with us nor with the applicants, have not been decided I have mentioned three types of cases in this regard. Those who have applied for grant of pension and have stated the reason of the termination of their services have given evidence of support their request we have not so for received old files and records concerning these cases. We are consulting the Defence Ministry. Though these files are not readily available to them also yet they have assured to send these files very soon. These cases will be decided on receipt of those old files.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कितने प्रतिशत नागरिकों को पेंशन मंजूर कर दी गई है। सेना, नौसेना, वायुसेना के पृथक पृथक कितने कितने सैनिकों को पेंशन मंजूर की गई है।

श्री राम निवास मिर्धा : 31-3-74 तक कुल 1,95,042 आवेदनपत्र प्राप्त हुये। उनमें से 84,724 को पेंशन मंजूर की जा चुकी है। 36,148 मामले प्रमाण न होने तथा अन्य बातों

के कारण रद्द कर दिये गये हैं। 20,033 मामले ऐसे हैं जो राज्य सरकारों को आगे और जांच करने के लिये भजे गये हैं। इस प्रकार कुल 1,40,905 मामलों में निर्णय किया जा चुका है जबकि विचाराधीन अधूरे प्रार्थना-पत्रों की संख्या 62,801 है।

जहाँ तक सैनिकों के पृथक पृथक आंकड़ों का सम्बन्ध है मेरे पास भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के आंकड़े उपलब्ध हैं। 13,017 सैनिकों ने आवेदन किया जिनमें से 9,611 को पेंशन मंजूर कर दी गई है, 478 मामले रद्द कर दिये गये हैं, 2,959 मामले दाखिल दफ्तर कर दिये गये हैं इस प्रकार कुल 13,048 मामले निपटाये जा चुके हैं।

श्री समरगुह : आजाद हिन्द फौज के सिविलियन कर्मचारियों के आंकड़े क्या हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : आजाद हिन्द फौज के सिविलियन कर्मचारियों से 12,237 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 661 मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गई है। 1,332 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं और 2,645 दाखिल दफ्तर कर दिये गये हैं। इस प्रकार कुल 4,638 मामले निपटाये जा चुके हैं। 7,601 अधूरें आवेदनपत्र अनिर्णित पड़े हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि बहुत से आवेदनपत्र झूठे हैं तथा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन भी मंजूर कर दी गई है परन्तु उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में कभी भाग नहीं लिया। यदि ऐसा है तो सरकार उन व्यक्तियों के विरूद्ध जो गलत जानकारी देकर पेंशन ले रहे हैं क्या कार्यवाही कर रहीं है ?

श्री राम निवास मिर्धा : ऐसे स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में जो पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं कथित अनियमितताओं की शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती है। अब तक ऐसी 370 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी शिकायतों के बारे में जांच की जाती है और 148 मामलों में राज्य सरकार की जांच होने तक पेंशन बन्द कर दी गई है। सोलह मामलों में निर्णय कर लिया गया है। शिकायतों पर राज्य सरकार के परामर्श से गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त आदेश जारी किये जाते हैं। हम इस मामले में पूर्ण सजग हैं कि किसी गलत व्यक्ति को पैंशन न मिले।

प्रो० मधु दंडवते : इस सदन में प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि पेंशन तथा ताम्र पत्र देने के मामले में रायल इंडियन नेवी के स्वतंत्रता सेनानियों को आप स्वतंत्रता सेनानियों के समान समझा जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रायल इन्डियन नैवी के स्वतंत्रता सेनानियों के जेल में नहीं रखा गया अतः वे जेल अधिकारियों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते तो क्या ऐसे मामलों में जेल अधिकारियों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करवाने की छूट दी जायेगी और उन्हें पैंशन मंजूर की जायेगी।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह निर्णय किया गया था कि रायल इंडियन नवी अथवा आन्दोलन...

प्रो० मधु दंडवते : यह विद्रोह नहीं है। यह आन्दोलन है।

श्री राम निवास मिर्धा : हां, यह आन्दोलन है। मैंने ठीक ही कहा है। वे इस योजना के अन्तगत आत हैं परन्तु जहां तक आवश्यक प्रमाण का प्रश्न है सरकार को इस बात की सन्तष्टि चाहिये

कि व्यक्तियों ने वास्तव में वे कठिनाइयां उठायीं जिनका उल्लेख उन्होंने किया है। सरकार ने ऐसा प्रमाणपत्र पेंशन आवेदकों से मांगा है। यदि ऐसा प्रमाण पत्र न मांगा जाये तब झूठे ढंग से पेंशन लेने का प्रश्न उठता है।

Shri Jaganath Mishra : May I know from the Hon. Minister he is aware of the fact that the decisision in certain cases have not been taken since certain application for grant of pasion from freedom fighters are missing from the office ? If so whether necessary action will be taken in this regard ?

Shri Ram Niwas Mirdha : If we get such information that some papers are missing from the office then we consult the state Governments becsuse according to the procedure copies of the application forwarded to the state Governments also. After obtaining the requisite papers from the state Governement we take necessary actions in the case.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देने के प्रश्न पर आधे घन्टे की चर्चा के दौरान सभा में आश्वासन दिया है कि सरकार केरल के मामले विद्रोह में भाग लेने वालों को पेंशन देने के मामले पर पुर्नविचार करेगी। क्या इस विषय में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न कई बार उठाया गया है और हमने सभी रिकार्ड देखे हैं और यह निर्णय किया गया है कि इस मामले को स्वतंत्रता सैनानियों के मामले में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार ने शिकायतों की जांच करने के लिये अपनी कोई एजेन्सी नियुक्त की है क्योंकि विधान सभा सदस्यों, भूत पूर्व विधानसभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों ने बहुत से झूठे मामलों की सिफारिश की है।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं है परन्तु मैंने ऐसी शिकायतों की संख्या बताई है और यह भी बताया है कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इस कार्य के लिये हमारा एक तंत्र है और जांच करने के मामले में राज्य सरकार हमारी सहायता करती है।

Working of Thermal Power Plants in Public and Private Sectors

***245 Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Atal Bihar Vajpayee :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of thermal-power plants in operation in the private sector and in industrial units which are working at 80 to 85 per cent of their capacity and since when they have been in operation;

(b) the names of the public sector thermal-power plants which are working at more then 80 per cent of their capacity as well as of those working at less than 60 per cent of their capacity; and

(c) the reasons for continued lack of efficiency in the thermal plants in the public and private sectors and the additional power proposed to be generated during 1974-75 by improving their working ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Two thermal Power Stations namely the Gujarat Refinery (24 MW) and Renusagar Power Company (125 MW) have operated at a plant capacity factor of over 85% in 1972-73. The Gujarat Refinery Power Station was installed in 1965 whereas in the case of Renusagar Company one unit of 62·5 MW capacity was installed in 1957 and the other unit of the same size in 1968.

(b) A list of the thermal power stations in the Public Sector which worked at less than 60% capacity in 1973-74 is enclosed in (Annexure). **[Placed in the Library. See No. L.T. 8137/74]** Two thermal stations namely Parli in Maharashtra (60 MW) and Amarkantak in Madhya Pradesh (60 MW) have been operating at a plant capacity factor of more than 80 per cent.

(c) Many Thermal Stations have not been able to show better performance on account of a number of factors such as (i) frequent outages caused by lack of adequate maintenance, unsuitable and variable quality of coal. (ii) System load requirements not permitting high load factor operation. (iii) Routine maintenance and overhaul periods being too long. The question of improving the performance of Thermal Stations has been discussed in the recent Conference of the State Ministers for Irrigation and Power, and it has been decided that every thermal power unit should achieve a target of 25% of additional energy generation during 1974-75 over 1973-74 through improved maintenance and operation including the use of coal of suitable quality etc.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, the Minister has told in the statement that several public and private thermal power stations have been operating at a plant capacity factor of over 80 to 85 per cent. But I am feeling sad to see the statement whenever it is stated that the thermal power plant at Chanderpur in Assam has been operating at plant capacity factor of 17 per cent, at Jaipur it is working at 2 per cent, at Kalkot it is operating at 15 per cent and at Nepa Nagar it is operating at 12 per cent. At present 60 per cent of total power production is contibuted by thermal power stations. Keeping in view the increasing demand for power. I would like to know since when this capacity has been lying unutilized and the efforts being made to utilize the full capacity of the plants ?

Shri K.C. Pant : First of all, I would like to tell the hon. Member that one of the two units working at 85% capacity is in public sector and the other is in private sector. As regards the general question of maximum utilisation of generating capacity in the country. This question was discussed on priority basis in the recently held meeting of Ministers of Irrigation and Powers and also in the meeting of the Chairman of Electricity Boards. The means to utilize the generating capacity to the maximum were discussed in detail. It is

also decided that the time of 6 to 8 weeks taken presently in overhauling the boilers should be reduced to 4 weeks only. Most of the power units are in the States so they will manage them and will give them as much assistance as they will demand.

The point of maintenance was also discussed. It is also suggested that plants should be stopped whenever necessary for preventive maintenance, though it is difficult in view of paucity of power these days. Yet it is advised that they should be stopped for preventive maintenance. otherwise their will be breakdown one day. The other issues regarding quality and quantity of coal, training, spare parts, plant load factor were also discussed and discisions were taken thereon.

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to know whether steps will be taken by Government to ensure regular supply of good quality of coal to thermal power stations and whether steps will also be taken to ensure 25 per cent more generation of power by 1975.

Shri K.C. Pant : It is not the question of good or bad quality of coal. But it is the question of supply of the quality of coal for which a particular power plant is designed. There is a Linkage Committee for this porpose. This committee decides as to which collery is to supply the coal to particular thermal power plant. Whenever there is stock of coal for one to eight days in a particular plant it has to accept the coal even of lower quality, in order to avoid the situation of facing closure for want of coal. It has been instructed to the Fuel Research Institute to get a plan preprared by Quality Control Board to ensure regular supply of particular type of coal to the power plant designed for that particular type. As regards the 25 per cent increase in power production, the plants presently operating at 60 per cent of capacity will be able to achieve this target. But it will not be feasible for others which are already running in comparatively good condition.

श्री के० मालन्ना : विवरण से पता लगता है कि कर्नाटक में एक भी तापीय संयत्र नहीं है। क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में तापीय संयत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है क्योंकि वहां पनबिजली कारखानों में हाल ही में गड़बड़ हो गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कर्नाटक सरकार ने कालीनदी परियोजना हमारे पास भेजी है। परन्तु यह भी पन बिजली योजना है। यह पिरियोजना न केवल कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के सम्पूर्ण दक्षिण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में इस परियोजना के साथ ही तापीय संयत्र लगाने के लिए राज्य विद्युत सम्बन्धी योजना को बदलना पड़ेगा और वर्तमान सीमित संसाधनों की स्थिति में यह सम्भव प्रतीत नहीं होता।

श्री कार्तिक उरांव : देश में लगभग 20 प्रतिशत विद्युत की हानि विद्युतपारेषण के दौरान होती है जबकि अन्य देशों में यह क्षति घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उसी प्रकार के कदम उठाकर यहां भी 15 प्रतिशत हानि कम की जा सकती है। एक प्रतिशत हानि से 5 करोड़ रुपये की हानि होती है। इस प्रकार 15 प्रतिशत हानि के बचाने से 75 करोड़ रूपये की बचत होगी और इस राशि को विद्युत विकास के कार्य पर लगभग लगाया जा सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार इस लाइन क्षति के प्रति जागरूक है। यह क्षति सभी राज्यों में समान नहीं है कुछ राज्यों में कम है और कुछ में अधिक। कम से कम समय में अधिक से अधिक गांवों में बिजली लगाने से कुछ समस्याएं पैदा हुई जिनसे इस क्षति में वृद्धि हुई। इस क्षति को कम करना सम्भव है और इसके लिए प्रौद्योगिकी उपायों पर विद्युत और सिंचाई मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया था। कुछ राज्यों ने केपेसिटेटर लगाकर अधिक सहायक बिजलीघर बनाकर और कंडक्टर का साईज बदलकर तथा अन्य उपाय कर के इस क्षति को कम किया है। किन्तु इस कार्य में भी पूंजी निवेश की आवश्यकता है जिस बचत का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसे प्राप्त करने के लिए पहले पूंजी निवेश की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि उपलब्ध पूंजी को हानि कम करने के लिए खर्च किया जाये या विद्युतीकृत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। इन प्रश्नों पर प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी निजी परिस्थितियों में विचार करना होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 30 से 40 विशिष्ट योजनाएं विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए ली है ताकि पारेषण-क्षति को कम किया जा सके।

Shri B.S. Bhaura : May I know when the Bhatinda Thermal Plant will be put into operation as the time schedule in operation in respect of this plant is lagging behind. First it was declared that it would operate in October, later on it is said that the same will start generation of power in December, in April, in July.

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : One of the reason for low power generation in thermal plants based on coal is that coal is not available to them in required quantity in time. If it is so, I would like to know the arrangements made by Government to remove this hurdle and ensure regular supply of coal to them.

Shri K.C. Pant : I agree with hon. Member that there should be more quantity of coal in the stocks with the thermal power plants so that power production may not suffer due to shortage of coal. The Ministry of Railways the Ministry of Mines and a 'control Room' recetly created for the prupose are making joint efforts to see that no plant faces closure on this account . Hon. Member will be glad to know that that was an increase in stocks of coal with thermal power plants during railway strike.

Shri Ramavatar Shastri: Patratu and Barauni were always suffering on this account.

Shri Panna Lal Barupal : The Minister has just referred to the rural electrification. I do not know whether there is any rural electrification scheme with Rajasthan Government. People are not getting power connections for their tubewells. Will Government ask the Rajasthan Government to give power connection to farmers for tubewells so that it may help in having increased agricultural production.

Mr. Speaker : It is not relevant, as the main question is about thermal power plants.

श्री विक्रम महाजन : केवल लक्ष्य निर्धारित करने मात्र से काम नहीं चलता । लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन और लक्ष्य प्राप्त न करने पर दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि अब सम्बंध अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या तापीय सयंत्र में सुधार करने के लिए न किसी पुरस्कार का लालच है और विफल होने पर न उनके लिए कोई भय है । क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि लक्ष्य प्राप्त न करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को जुर्माना देना पड़े ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी । हाल ही में हुए विद्युत और सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर भी चर्चा की गई थी । चूंकि प्रोत्साहने का प्रश्न जटिल है इसलिए इसे एक विशेषज्ञ समिति को सौंपने का निश्चय किया गया था । यह मामला अभी इसी स्थिति में है । विभिन्न संयंत्रों में बिजली उत्पादन की दर भिन्न भिन्न है । इसके लिए विभिन्न तथा जिम्मेदार हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था ।

श्री पी० के० देव : यह सच है कि पनबिजली की तुलना में तापीय बिजली महंगी है । इसलिए सरकार को तापीय बिजली संयंत्र लगाने की बजाय अधिक पनबिजली परियोजनाएं चालू करनी चाहिए । जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, वहां केवल एक तापीय विद्युत संयंत्र तालचेर में है और वह अपनी क्षमता के 24 प्रतिशत पर चल रहा है । उसमें 25 पैसे प्रति यूनिट की लागत आती है तलचेर तापीय संयंत्र के विस्तार के लिए 40 करोड़ रुपये देने के बजाय क्या सरकार उड़ीसा राज्य में इन्द्रावती परियोजना जैसी जलविद्युत परियोजनाओं पर ध्यान देगी । इस परियोजना में उत्पादन लागत देश में सबसे कम है और यह अगली योजना में 600 मैगावाट बिजली पैदा करने की स्थिति में होगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य इस विषय पर मेरे साथ सदन से बाहर भी बात कर चुके हैं । इस मामले में तापीय बिजली और पन बिजली की तुलना का कोई प्रश्न नहीं है । पन बिजली घरों के अपने लाभ हैं और तापीय बिजली संयंत्र उन क्षेत्रों में लाभप्रद होते हैं जहां कोयले के निक्षेप उपलब्ध होते हैं । अधिक लाभप्रद तो यह होगा कि हमारे यहां तापीय बिजली और पनबिजली संयंत्रों में समन्वय रहे तथा तापीय बिजली संयंत्रों को आधार बिजली केन्द्रों के रूप में लिया जाये और पनबिजलीघरों से क्षमता को अधिकतम बनाया जाये । जहां तक परियोजना विशेष का सम्बन्ध है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है और जिस बारे में वह बड़े इच्छुक हैं, परियोजनाओं की जांच करने और उन्हें स्वीकृति देने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है । इस समय यहां मैं किसी परियोजना विशेष के बारे में कछ भी नहीं कह सकता ।

औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली का उपयोग

***246. श्री के० मालन्ना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली का औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग सुनिश्चित करने के विचार से इसका गैर आवश्यक प्रयोजनों के लिए उपयोग कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण और सापेक्ष प्राथमिकताओं के निर्धारण का मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । प्राथमिकता प्राप्त उपयोगों, जैसे अनिवार्य सेवाओं, प्रतिरक्षा आवश्यकताओं, औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध बिजली को सुरक्षित रखने के लिए अनावश्यक कार्यों, जैसे रोशनी आदि के लिए बिजली के प्रयोग को न्यूनतम करने संबंधी उपायों पर राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के जुलाई, 1974 में हुए सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था इससे पूर्व भारत सरकार ने पिछले वर्ष विद्युत की आवश्यकताओं तथा उसकी उपलब्धता के संबंध में राज्य-वार विस्तृत अध्ययन किए थे और प्राथमिक आवश्यकताओं की यथा संभव अधिकतम पूर्ति करने के लिए उपलब्ध बिजली के युक्तियुक्त समुपयोजन के संबंध में प्रत्येक राज्य को मार्ग निर्देश दिए थे । इन निर्देशों का और पुनरवलोकन कर, इनमें इस वर्ष संशोधन किए गए हैं और ऐसे उद्योगों के लिए, जो स्वयं विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र में ही निवेशों के रूप में कार्य करते हैं, प्राथमिकता की एक विशेष श्रेणी लागू की गई है । अनावश्यक कार्यों के लिए बिजली के उपभोक्ताओं को सूचित करने वाली एक और श्रेणी भी मार्ग निर्देशों में शामिल की गई है, ताकि ऐसे अनावश्यक कार्यों के लिए बिजली की खपत पर रोक लगाई जा सके ।

कुछ राज्यों में बिजली की सप्लाई अपेक्षाकृत अच्छी है । इन राज्यों को भी अनावश्यक प्रयोगों के लिए बिजली के उपभोग को न्यूनतम करने के लिए कहा है जिससे कि वे जरूरतमंद पड़ौसी राज्यों को अधिक राहत दे सकें ।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने गैर-आवश्यक तथा आवश्यक प्रयोजनों के लिये विद्युत के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई प्रक्रिया अथवा सिद्धान्त बनाये हैं और यदि हां तो वे सिद्धान्त क्या हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि सरकार ने प्राथमिकता, प्राप्त क्षेत्रों और अनावश्यक उपभोक्ताओं का भी पता लगाया है । यह सूची काफ़ी लम्बी है, हमारे पास अस्पतालों, 'वाटर वर्कस' जल निकास और विभिन्न उद्योगों आदि सहित प्राथमिकता के अनुसार उपभोक्ताओं की सूची बनाई है । मई 1973 में और फिर मई, 1974 में सभी राज्यों को इसे परिचालित किया गया था । हमने इस सम्बन्ध में राज्यों को लिखा है ।

श्री के० मालन्ना : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अनावश्यक प्रयोजनों के लिये बिजली के उपयोग को रोकने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं और यदि हां तो वे क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं ने पहले बता दिया है कि हमने अनावश्यक प्रयोग की एक कोटि बनाई है और ये वाणिज्यक विज्ञापन, सजावट और इश्तहार के लिये रोशनी करना, शादी तथा अन्य समारोहों के लिये रोशनी आदि आदि है । अनेक राज्यों ने अनावश्यक प्रयोजनों के लिये उर्जा प्रयोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon'ble Minister has stated that the States have imposed restrictions on the use of power for non-essential purposes. But I know that no State has imposed any restrictions. There is great shortage of power for agricultural use and the crops remain without water and the country is facing food crisis. I want to know whether Government would issue any directive that power should not be used for non-essential purposes ? The use of power for non-conditioning should be stopped and the same should be supplied to the agriculturists, so that the production could be increased.

Shri K.C. Pant : We have not issued any directive Moreover guidlines were sent as I have already stated that the States are empowered to take action in this matter. We have imposed restrictions on the use of power for non-essential purposes in Delhi which is centrally administered area. These restrictions include light on marriage functions and mean light illuminations etc. Some workers engaged in the profession faced difficulty and came to us but the restriction imposed by us still continue.

गुजरात में सुरेन्द्र नगर जिले के रनमालपुर गांव में ऊंची जाति के हिन्दुओं द्वारा हरिजनों की हत्या की घटना

*247. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सुरेन्द्र नगर जिले के रनमालपुर गांव में ऊंची जाति के हिन्दुओं द्वारा दो हरिजनों की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस जघन्य अपराध के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या हरिजनों को उक्त गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो हरिजनों के ऐसे समाजिक वहिष्कार को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 मई, 1974 को सुरेन्द्रनगर जिले में गांव रनमालपुर के कन्वी पटेल समुदाय के सदस्यों ने हरिजनों को सार्वजनिक कुएं से पानी खींचने से रोका था और हरिजनों के घड़ों को क्षतिग्रस्त किया । हलवद पुलिस थाने पर लिखाई गई एक रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 426/504/506 और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की धारा 7 और 10 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया । दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा 107 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा कन्वी पटेल समुदाय के 7 व्यक्तियों से अंतरिम जमानतें ली गई । गांव में दो सशस्त्र कांस्टेबल नियुक्त किये गये और गश्ती ड्यूटी के हैड कांस्टेबल को भी निगरानी रखने क लिये निदेश दिये गये ।

यह आरोप लगाया गया है कि 22 जून, 1974 की शाम को दोनों समुदायों की महिलाओं के बीच सार्वजनिक कुएं से पानी खींचने पर झगड़ा हो गया । ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबलों ने हस्तक्षेप किया और झगड़ने वाले दलों को अलग अलग कर दिया । किन्तु बाद में कन्वी पटेल समुदाय के लोग धारियासों, लाठियों, कुदालों और अन्य कृषि उपकरणों से लैस घटना स्थल पर आये और दोनों कांस्टेबलों को काबू में करके जबरदस्ती हरिजनों के घरों में घुस गये तथा उन पर आक्रमण किया । इस घटना में दो हरिजन मारे गये और कुछ महिलाओं समेत छः व्यक्तियों को चोटें आई । 123 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन सभी के विरूद्ध 29 जुलाई को आरोप पत्र दायर कर दिये गये । मामला न्यायाधीन है ।

शान्ति बनाये रखने और हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने के लिये गांव में एक विशेष पुलिस दल और राज्य रिज़र्व पुलिस की एक प्लाटून नियुक्त कर दी गई हैं । राज्य सरकार ने 11 जुलाई से तीन महीने की अवधि के लिये विशेष रिज़र्व पुलिस का खर्च गांव के कन्वी पटेल समुदाय से वसूल करने का भी निर्णय किया है ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हरिजनों के विरूद्ध दमन कार्य विभिन्न राज्यों में फैल रही है और यह पता लगा है कि पुलिस कर्मचारी दमनकारियों का साथ दे रहे हैं और इस प्रकार दमनकार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या सरकार ने दमनकारियों को सहायता देने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं कि पुलिस कर्मचारी सब मामलों में दमनकारियों का साथ दे रहे हैं । यहां तक कि रनमालपुर के मामले में भी पहली घटना 28 मई, 1974 को घटी थी और इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की गई थी । आवश्यक निवारक कार्यवाही की गई थी और मामले को रजिस्टर किया गया था । लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता को धारा 107 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । ग्राम में विशेषरूप से पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था । इस मामले में पुलिस और मजिस्ट्रेट ने प्रशंसनीय गति से कार्य किया था और यदि कोई ऐसी यदाकदा घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस और प्रशासन सतर्क नहीं रहा है तो ऐसे मामले में स्थानीय प्रशासन द्वारा जब कभी आवश्यक होता है कार्यवाही की जाती है ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या आपको ऐसे किसी मामले की जानकारी है जिसमें पुलिस ने दमनकारियों का साथ दिया हो और आपने पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कायवाही की हो ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न विशेष घटना से सम्बन्धित है । यदि माननीय सदस्य ऐसे किसी मामले के बारे में नोटिस देंगे, तो मैं उसके बारे में अवश्य जानकारी दूंगा ।

Shri Chandra Shekhar Singh: I want to know whether the people of higher castes are still having social bycott of Harijans and the Customs of untouch : ability is still prevailing there ? I want to know what efforts are being done by the Government to prevent it and if it is not possible to prevent it, the reasons thereof ?

Shri Ram Niwas Mirdha : There was a feeling of untouchability in the village where this incident occurred and these atrocities were done on the Harijans due to this and regarding this. I have already made it clear in my reply. This village has a population of about 1466 and it consists of mostly Kunvi Patel. Out of them 109 are Harijans. The wells from where the Harijans used to take water were dryed and the Harijans requested and tried to take permission to take water from the public wells where the 'Sarvani' Hindu to take water. But their request was turned down and when they forceably tried to take water from those wells their pots were broken and those incidents occurred which I have mentioned. (*Interruptions*).

श्री बूटा सिंह : हरिजनों पर की जाने वाली ज्यादतियों में दिनप्रतिदिन वृद्धि हो रही है । भारत सरकार और प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की बैठक अनेक बार बुलाई लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख होता है । हमने इस सम्बन्ध में गृह मंत्री को विस्तृत जानकारी दी है लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं चाहता हूं कि इस विषय पर पृथक से चर्चा की जानी चाहिये ताकि सभा को यह पता लग सके कि हरिजनों पर कैसे अत्याचार किये जा रहे हैं । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या जिन पटेलों को मार कर हत्या की गई है क्या ये सब हरिजन जिला पंचायत बोर्ड के सदस्य रहे हैं ? क्या इन्हें इनके सार्वजनिक कार्यालय से हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्तमान स्थिति को दूर करने पर विचार करेगी जिससे हरिजनों पर अत्याचार न हों और उन्हें गांवों में कुओं पर पानी भरने के मामले में प्राथमिकता प्राप्त हो सके ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना उचित नहीं है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रही है । प्रधान मंत्री स्वयं इस मामले में रूचि ले रही हैं और अनेक मामलों में मुख्य मंत्रियों से समय समय पर सलाह की गई है । इस मामले में भी—गुजरात के मामले में भी—ऐसा ही किया गया है । उक्त घटना 22 जून को घटी थी और आरोप पत्र न्यायालय में 29 जुलाई को दाखिल किया गया था । 123 व्यक्तियों को पकड़ा गया है । सम्पूर्ण गांव पर सामूहिक जुर्माना किया गया है । राज्यपाल ने स्वयं ही उक्त स्थल का दौरा किया है । रिजर्व पुलिस की एक विशेष प्लाटून वहां नियुक्त कर दी गई है । राज्यपाल ने स्वयं उस मामले में रूचि दिखाई है ।

श्री बूटा सिंह : हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है । (**व्यवधान**) आप सब कृपा करके बैठ जायें । आप उचित रूप से प्रश्न पूछें सब के सब एक साथ बोलना आरम्भ न कर दें । यदि आप आधे घंटे की चर्चा का नोटिस देते हैं, तो मुझे उस पर अनुमति देने में प्रसन्नता होगी ।

श्री कार्तिक उरांव : उक्त चर्चा के लिये कम से कम 10 घंटे का समय निर्धारित किया जाना चाहिये ।

श्री के० एस० चावड़ा : हमें इस पर कम से कम चार घंटे चर्चा करने का समय दिया जाना चाहिये । हम इस विषय पर केवल आधे घंटे में चर्चा नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : अगला विषय । सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री गणेश ।

श्री मधु दण्डवते : मैंने विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव दिया है. . .

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

चाय अवशेष से औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन

243. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की कोका कोला कम्पनी ने चाय अवशेष से ओद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन करने और निर्यात हेतु भारतीय फलों और पेय पदार्थों का परिवरतण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) मैं० कोका कोला निर्यात निगम द्वारा अवशेष चाय से औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय में नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु मैं० कोका कोला निर्यात निगम ने कृषि मंत्रालय को गुजरात राज्य के बलसाड में केवल निर्यात के लिये आम के गुद्दे (मैंगो पल्प) का उत्पादन करने के लिये एक फल उत्पादन आदेश (फ्रूट प्रोडक्टस आर्डर) प्रदान किये जाने के लिये आवेदन किया है।

(ख) प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

कर्नाटक में शारावती पन-बिजली परियोजना के लिगानामक्की बांध में से पानी का रिसाव

***248. श्री बी० वी० नायक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में शारावती पन-बिजली परियोजना के लिंगानामक्की बांध में से पानी रिसता हैं ;

(ख) क्या इसके पारिणामस्वरूप इस जलाशय में पानी का स्तर नीचा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

249. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे स्वतन्त्रा सेनानियों को पेंशन न देने का निर्णय किया है जिन्हें विभिन्न सवतन्त्रता संग्रामों में माग लेने के कारण सरकारी या गैर सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था या जिन्होंने त्याग पत्र दे दिये थे परन्तु बाद में उनकी सेवा बहाल कर दी गई अथवा उन्हें पुनः

नियुक्त कर लिया गया अथवा जिन्हें वेतन और पेंशन की बकाया राशि सहित लाभ दिये गये ये अथवा जिनकी सम्पत्ति जब्त या कुर्क कर ली गई थी परन्तु बाद में उन्हें दे दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंनें पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये थे परन्तु जिन्हें अब पेंशन नहीं दी जायेगी ; और

(ग) क्या ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के हकदार होंगे जिन्हें सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया था या जिन्होंने त्याग पत्र दे दिये थे परन्तु बेरोजगारी के कुछ वर्ष बाद उन्हें कम वेतन पर विभिन्न नौकरियां दे दी गई थीं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन योजना में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेनें के कारण जो व्यक्ति अपना रोजगार सिविल अथवा मिलिटरी अथवा जीविका के साधन खो बैठा हो वह केन्द्रीय पेंशन का पात्र होगा। तदनुसार ऐसे व्यक्तियों से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की गई है। यह देखा गया था कि उन व्यक्तियों ने जिन्ह बहाल पुर्ननियुक्त किया गया था अथवा जिन्हें वेतन तथा पेंशन की बकाया राशि समेत लाभ दिये गये थे, ने भी पेंशन के लिये आवेदन किये थे। सावधानी से विचार करने पश्चात सरकार ने निश्चय किया है कि जिन व्यक्तियों को स्वतन्त्रता के पश्चात पुर्ननियुक्त किया गया था अथवा रोजगार दिये गये थे उन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उनकी उचित रूप से प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

2. ऐसी ही स्थिति उन व्यक्तियों की है जिनकी सम्पत्ति छीन ली गई थी। कुड़क कर ली गई थी और बाद में उन्हें लौटा दी गई थी। परन्तु उन्हें यदि सम्पत्ति नहीं लौटाई गई थी तो पेंशन के पात्र होंगे।

3. अब तक बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों तथा निपटाये गये आवेदन-पत्रों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की जिन्होंने पेंशन के लिये आवेदन किया था और जो अब इसके लिये पात्र नहीं होंगे उनकी संख्या देना सम्भव नहीं है।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

*250. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र निर्धारित समयानुसार वर्ष 1974 के अन्त तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ख) उक्त केन्द्र के कार्यक्रम कितनी दूरी तक देखे जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) विदेशों से कुछ आवश्यक पुर्जों के मिलने में देरी के कारण इस परियोजना के चालू होने में थोड़ा विलम्ब होने की सम्भावना है।

(ख) 10,000 वर्ग किलोमीटर।

ब्रह्मपुत्र-गंगा संयोजन परियोजना

*251. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ब्रह्मपुत्र-गंगा संयोजन परियोजना के पक्ष में है ;

(ख) क्या यह परियोजना आसाम को बाढ़ से बचायेगी, हुगली तथा रूपनारायण नदियों के तल की मिट्टी को धोने तथा कलकत्ता के पतन को बचाने तथा हल्दिया के घाट को गहरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पानी प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र-गंगा सम्पक स्कीम पर अभी विचार ही किया जा रहा है । परियोजना का कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है ।

एसे स्वर्गवासी स्वतंत्रता सेनानी जिनकी पेंशन लेने के लये न विधवाएं हैं और न नाबालिग बच्चे

*252. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **गृह** मंत्री स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7982 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अन्तर्गत पेंशन मिलती है किन्तु उनका इससे पहले ही स्वर्गवास हो गया तथा उनके बाद पेंशन लेंने के लिये उनकी विधवायें अथवा नाबालिग बच्चे भी नहीं हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सरकार ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों जो बीमार अथवा 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं, के आवेदन पत्रों को निपटान में विलम्ब न होने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पत्रों की प्रक्रिया क लिय विशेष प्राथमिकता दी है । यद्यपि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें विशेष ध्यान देने के बावजूद पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो गई हो परन्तु सरकार के पास अपेक्षित सूचना का ब्यौरा सहज उपलब्ध नहीं है ।

नागालैंड के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

*253. **श्री निहार लास्कर :**
श्री तरुन गोगोई :

क्या **गृह** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या नागालैण्ड के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल उन्हें तथा प्रधान मंत्री को नागालैण्ड की स्थिति से अवगत कराने के लिय नई दिल्ली आया था ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य में विद्यमान स्थिति तथा वहां की समस्याओं की विस्तृत जानकारी दी ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल को क्या आश्वासन दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जबकि कोई आश्वासन न तो मांगे गये थे अथवा दिये गए थे, प्रतिनिधिमंडल को सूचित कर दिया गया था कि भारत सरकार नागालैण्ड की घटनाओं से पूरी तरह अवगत है तथा स्थिति का गम्भीरता से अवलोकन करती है ।

पांचवी योजना में विद्युत अनुसंधान

***254. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत अनुसंधान कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश को बिजली संकट से मुक्त कराने पर बहुत अधिक बल दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य को सरकार बहुत महत्वपूर्ण समझती है तथा इसके लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के पांचवीं योजना विद्युत कार्यक्रम के प्रारूप में 1728.15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । विद्यमान विद्युत संकट के संदर्भ में, वर्तमान विद्युत उत्पादन संसाधानों के अधिकतम समुपयोजन करने तथा पांचवीं योजना अतिरिक्त उत्पादन तथा पारेषण सुविधाओं के शीघ्रतापूर्वक सृजन करने की अत्यन्त आवश्यकता है । अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम इन्हीं दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा, ताकि देश में बढ़ती हुई औद्योगिक तथा कृषि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके । भू-तापीय, ज्वारीय, सूर्य तथा वायु जैसे ऊर्जा के अपारम्परिक संसाधनों के विकास के लिऐ भी अनुसंधान तथा विकास प्रयास किये जाएंगे ।

तामिलनाडु में बिजली की कटौती

***255. श्री एम० कतामुत्तु** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई–जून में और जुलाई, 1974 के प्रथम सप्ताह में तमिलनाडु म निर्धारित बिजली की सप्लाई में 60 प्रतिशत कटौती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे राज्य में औद्योगिक उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) तमिलनाडु में, मई के पहले सप्ताह में कुछ श्रेणियों के लोडों पर 30 प्रतिशत तक बिजली की कटौती लाग थी, और इसे 8–5–74 से बढा कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है । वहां इस समय लागू बिजली की कटौतियों का विवरण उपाबंध में दिया गया है । तमिलनाडु में मई के दौरान बिजली की कुल आवश्यकताओं

के लगभग 23 प्रतिशत के बराबर बिजली की कमी थी। यह अनुमान लगाया गया था कि यह कमी जुलाई में बढ़कर लगभग 27 प्रतिशत हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कुछ श्रेणियों के लोडों पर बिजली की काफी कटौती लागू करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह निर्णय किया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों के लोडों को कटौती से मुक्त रखा जाए। कमी में हो रही वृद्धि के कारण है :—बढ़ी हुई मौसमी मांग तथा मानसून के आने में विलम्ब होने के कारण, जल-विद्युत जलाशयों के स्तरों में कमी होने के परिणामस्वरूप, जल-विद्युत परियोजनाओं से बिजली के उत्पादन में कमी होना। बिजली की इन कटौतियों ने निस्सन्देह औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है, परन्तु बिजली की कटौतियों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, उपलब्धता के अनुसार बिजली के वितरण की एक स्कीम, जिससे अर्थ व्यवस्था पर बिजली की कमी के कुप्रभाव को न्यूनतम करने की दृष्टि से विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकताओं की एक क्रमबद्ध प्रणाली की व्यवस्था है, लागू है।

विवरण

तमिलनाडू में लागू की गई बिजली की कटौतियां

(1) उच्च वोल्टलता उद्योगों, 200 यूनिट/मास से अधिक का उपभोग करने वाले निन्न-वोल्टता उद्योगों, सतत प्रक्रिया उद्योगों, मौसमी उद्योगों, उच्च वोल्टता पर विद्युत सप्लाई प्राप्त करने वालेवाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, 150 यूनिट प्रतिमास से अधिक निम्न वोल्टता पर विद्युत सप्लाई प्राप्त करने लाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा सिनेमाओं पर 60 प्रतिशत कटौती।

(2) अनिवार्य सेवाओं और समाचारपत्रों, पाक्षिक, साप्ताहिक पत्रिकाओं आदि के प्रकाशकों पर 15 प्रतिशत कटौती।

(3) निम्नलिखित श्रेणियों को बिजली की कटौती से छुट दी गई है :—

(क) घरेलू

(ख) कृषि

(ग) भारतीय खाद्य निगम की मार्डन चावल मिलें।

(घ) बीज संसाधन यूनिटें।

(ङ) सरकारी क्षेत्र में खाद्यांन सुखाने वाले।

(च) सहकारी और राज्य सरकारों के उर्वरक संयंत्र।

(छ) सार्वजनिक प्रकाश।

बहरहाल, 150 यूनिट से अधिक घरेलू उपयोग के लिए सामान्य टैरिफ से दूगने दर पर वसूली की जाती है। कृषि संबंधी वितरण बारी-बारी और वर्गीकृत प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है : ग्रामीण क्षेत्रों के निम्न-वोल्टता लोडों पर अधिकतम लोड प्रतिबंध लगाए जाते है। 25 मार्च, 19 74 से उच्च वोल्टता उद्योगों की पहले से ही प्रतिबंधित अधिकतम मांग पर 15 प्रतिशत की कटौती और असतत उच्च वोल्टता उद्योगों पर प्रातः 9 बजे से 6 बजे सायं तथा 9 बजें रात्रि से प्रातः 6 बजे तक की पारी के समय की व्यवस्था लागू की गई है।

सिंचाई पद्धति के रख-रखाव पर हुआ घाटा

*256. **श्री सरजू पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को सिंचाई पद्धति के रख-रखाव पर प्रति-वर्ष 178 करोड़ रूपय का घाटा होता है : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) **और** (ख) सिंचाई परियोजनायें कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अभिकल्पित की जाती है तथा ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक-संगति का मूल्याकंन लाभ-लागत अनुपात के आधार पर किया जाता है । सामान्य तौर पर, प्रारम्भ की गई सभी सिंचाई परियोजनाओं का लाभ-लागत अनुपात अनुकूल ही रहा है । बहरहाल, राज्य सरकार के राजस्व सिंचाई परियोजनाओं की वार्षिक वित्तीय लागतों से कम रहे है, जिसके मुख्य कारण ये है :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा ली जा रही न्यून जल-दरें ।

(2) जिन राज्यों में खुशहाली कर अधिनियम लागू किए जा चुके है, वहां खुशहाली कर की वसूली न होना ।

(3) विभिन्न कारणों से सिंचाई विधुत परियोजनाओं के पुर्ण होने में लगी लम्बी प्रारम्भिक अवधियां ।

(4) सृजित सिंचाई शक्यता के समुपयोजन म कमी ।

(5) निर्माण तथा रख रखाव कार्यों की लागतों में काफी वृद्धि जिसका मुख्य कारण कीमतों में हूई व्यापक वृद्धि है ।

1971 72 में राज्यों को लगभग 140 करोड़ रूपये की हानि हुई है ।

विदेशों को समुद्री और हवाई जहाजों से पार्सल भेजने की दरें

*257. **श्री राम प्रकाश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को समुद्री और हवाई जहाजों से पार्सल भजन की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां । स्थल पार्सलों की दरें तारीख 1-7-1974 से बढ़ा दी गई है, लेकिन हवाई जहाज से भेजी जाने वाली पार्सलों पर हवाई अधि-भार नहीं बढ़ाया गया है ।

(ख) पार्सलों को लाने ले जाने की लागत बढ़ जाने से ये दरें बढ़ानी पड़ी है ।

बिहार में आन्दोलनों से सरकारी सम्पत्ति की हानि

***258. डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हाल ही के 'भ्रष्टाचार विरोधी' आन्दोलनों मे रेलवे तथा डाक और तार विभाग सहित सरकारी सम्पति की कितनी हानि हुई ;

(ख) उसमें कितनी जानें गई ; और

(ग) इन आन्दोलनों के बारें म कन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) मार्च, 1974 से चालू आन्दोलन के दौरान डाक और तार विभाग में सरकारी सम्पति की अनुमानित क्षति लगभग 17,000/– रू० है। रेलवे सम्पति तथा अन्य सरकारी सम्पति के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 40 व्यक्तियों की जानें गई ।

(ग) सरकार हिंसात्मक कार्य समत जिससे सामान्य लोकतंत्रीय जीवन अस्तव्यस्त होता है अथवा सार्वजनिक व्यवस्था और शान्ति भंग होती है, सभी कार्यों की कठोर निन्दा करती है। सरकार घटनाओं के साथ निकट का सम्बन्ध बनाये हुए है और विधि तथा व्यवस्था बनायें रखने के लिये राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता प्रदान कर रही है ।

दामोदर घाटी निगम से बिजली का उत्पादन

***259. श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन अनियमित रूप से हो रहा है ;

(ख) दामोदर घाटी निगम की वर्तमान बिजली क्षमता का उपयोग कितना हो रहा है ;

(ग) क्या बिजली के कम उत्पादन से इस्पात संयंत्रों के काय और कोयला खानों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) दामोदर घाटी निगम प्रणाली की प्रतिष्ठापित क्षमता 1061 मैगावाट है जिसमें 104 मैगावाट जल-विधुत उत्पादन क्षमता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, चन्द्रपुरा में 120 मगावाट की एक ताप यूनिट भी प्रतिष्ठापित की जा चुकी है परन्तु इसमें उत्पादन स्थायी नहीं हो पाया है। जल विद्युत क्षमता का पूर्ण समुपयोजन किया जा सकता है परन्तु विद्युत उत्पादन उतना ही किया जा सकता है जितना कि जल उपलब्ध हो। 957 मै० वा० की ताप क्षमता कम होकर लगभग 880 मै० वा० रह गई है ।

उत्पादन वांछनीय मात्रा तक स्थायी नहीं हो पाया है। ताप यूनिटों में उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता से कम है, क्योंकि काफी समय से, घटिया किस्म का कोयला मिल रहा है और वह भी ठीक मात्रा में नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कोयले की कई मिलें आई० डी० फैन तथा नियंत्रण प्रणालियां इत्यादि अविश्वसनीय हो गई हैं। इन आनुषंगिक उपस्करों के बन्द होने से उत्पादन में घटा-बढ़ी हो जाती है। पिछले वर्ष से जीर्ण-शीर्ण संयंत्रों तथा मशीनों के पुर्नस्थापन तथा नवीकरण का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है तथा आशा है कि यह इस वर्ष के अन्त तक काफी हद तक पूरा हो जाएगा। कोयले की जिस किस्म के लिए वायलरों का अभिकल्प किया गया है, उसी किस्म का कोयला देने के लिए तथा रख रखाव और प्रचालन के स्तरों में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दामोदर घाटी निगम विद्युत के आवांटन करने के लिए बनाई गई स्कीम में रेलवे ट्रेक्शन के साथ कोयला खानों तथा इस्पात संयंत्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। पूर्वी क्षेत्र तथा दामोदर घाटी निगम में कम उत्पादन होने के कारण इन क्षेत्रों की अप्रतिवंधित मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हो पाया है, परन्तु सामान्यता कोयला खानों तथा इस्पात संयंत्रों को आवांटित मात्रा में बिजली सप्लाई की जा रही है। परन्तु ऐसे समय पर, जबकि दामोदर घाटी निगम में उत्पादन कम हो जाता है, इन दो उपभोक्ताओं पर भी कटौती लगाई जाती है।

अखबारी कागज की कमी के बारे में वास्तविक नीति

***260. श्री भगत राम राजा राम मनहर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने देश में अखबारी कागज की कमी के लिए सरकार की वास्तविक नीति को दोषी ठहराया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रीया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इण्डियन पेपर मनुफेकचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने 31 मई 1974 को हुई एसोसिएशन की वार्षिक सभा में दिए गए भाषण में देश में अखबारी कागज उद्योग का विकास करने के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। अधिक वास्तविक मुल्य नीति की आवश्यक्ता और धीमी गति के पर गैर-रम्परागत माल से अखबारी कागज बनाने के लिए मिनी अखबारी कागज संयंत्रों की स्थापना करना इनमें से कुछ सुझाव थे। सरकार इन मामलों पर पहले से ही विचार कर रही है।

कर्नाटक में उद्योगों पर बिजली की कटौती का प्रभाव

***261. श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बिजली की कटौती का महत्वपूर्ण उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उन महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : कर्नाटक, जो कि पूर्णतय जलविद्युत पर निर्भर करता है, 1973 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उपरांत जलाशयों में अपर्याप्त जल के कारण ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है। उच्च-वोल्टता उद्योग जिनमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग जैसे एल्युमिनियम, इस्पात, मशीन टूल्स, भारी मृदावाही उपस्कर, वायुयान, आटोमोबाईल आनुभंगिक उपस्कर, टेलोफोन, बिजली के उपस्कर तथा संघटक इत्यादी शामिल है तथा जिनमें राज्य की कुल खपत की 72% विद्युत की खपत होती है, उनपर गत अक्तूबर से 20% कटौती लगा दी गई है। जलाशयों में जल की कमी होने के उपरांत 24 जून, 1974 से यह कटौती बढ़ाकर 60% करनी पड़ी। वर्तमान दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू हो जाने और जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में सुधार हो जाने से, 15 जुलाई से यह कटौती घटाकर 40% कर दी गई है। ऊर्जा की कटौती से कर्नाटक में औद्योगिक उत्पादन में, विशेषतया एल्यूमिनियम जैसे अधिक विद्युत खपत वाले बुनियादी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के पड़ौसी राज्यों में भी विद्युत की कमी रही है, अतः इस क्षेत्र में बिजली का अन्तर्राज्यीय अन्तरण करके इस अवधि के दौरान कर्नाटक में उद्योगों के लिए किसी राहत की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है। अगर वर्तमान मानसून अच्छी साबित हुई तो कटौती को और कम करना अथवा समाप्त करना तथा उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई बहाल करना संभव हो सकेगा।

मोदी मिल्स के विरूद्ध छापों के दौरान लेखाबास गेंहु पाये जाने के आरोप

1714. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी मिल्स के डायेरेक्टर तथा दो अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने उस मामले के बारे में आरोप लगाये गये है, जब 9 फरवरी को मिल के गोदामों पर छापा मारा गया तो वहां 4133 बोरी गेहुं की पकड़ी गई जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था।

(ख) आरोप लगान में इतना अधिक समय लेने के क्या कारण है; और

(ग) उक्त मामला अब किस अवस्था में है ?

गृह मत्रालय मे उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं।

(ख) उच्च न्यायालय ने विलम्ब पर ध्यान दिया है और वह शीघ्र विचारण के लिए यथोचित कार्यवाही कर रहा है,

(ग) मुकदमा अब आरोप निर्धारण की अवस्था में है।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के सरकारीकरण के लिए राज्य उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक

1715. **श्री रघुनन्द लाल भाटिया :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्यौगिक बिकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई संकटग्रस्त मिलों के बारे में बातचीत क लिए राज्य उद्योग मंत्रीयों के साथ कई बैठक की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने उन कपड़ा उपक्रमों का जिनका प्रबन्ध हाथ में ले लिया गया है राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है। शीघ्र ही इस हेतु एक उपयुक्त कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी आस्तियों का अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद इन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम को स्थानान्तरित कर देने का प्रस्ताव है जो इनके वास्तविक प्रबन्ध के लिए सहायक निगम स्थापित करेगा । इन सहायक निगमों में संबंधित राज्य सरकारों को 49% तक की इक्विटी सहभागिता अनुमति होगी शेष इक्विटी की व्यवस्था राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा की जायगी ।

गुजरात के बनों में वनास्पति सम्पदा के लिये सवक्षण

1716. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के बनों मे विभिन्न किस्मों की वनास्पति सम्पदा की उपयोगिता का मूल्यांकन करने तथा उस राज्य में उसकी प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकलें ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि **तथा कृषि (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : **(क) और (ख)** सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

विद्युत् उत्पादन के लिये पृथक् निगम स्थापित करना

1717. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिये पृथक निगम स्थापित करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो निगम के मुख्य कार्यों का ब्योरा क्या है , और

(ग) क्या निगम की स्थापना से देश के गम्भीर विद्युत संकट का समाधान हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के कार्यन्वयन और विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्र में एक या अधिक कम्पनियों की स्थापना का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

(ग) आशा है कि इस संगठनात्मक ढांचे से केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यन्वयन में सुधार होगा चूंकि केन्द्रीय परियोजनाएं विद्युत कार्यक्रम का एक छाटो सा भाग है, ये अपने आप में विद्युत की कमी को समाप्त तो नहीं कर सकती है परन्तु वे विद्युत की कुल सप्लाई में वृद्धि करेंगी ।

Underground Nagas Pact with the Naga Organisation of Another Country

1718. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in a local Hindi daily dated the 10th June, 1974 to the effect that underground Indian Nagas have entered into a pact with the Naga Organisation of another country; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (**Shri F.H. Mohsin**):

(a) Yes, Sir.

(b) Government have no definite information that the underground Nagas have entered into any agreement as such with the Naga organisations in the border country. Utmost vigilance is maintained by Government of Nagaland and Manipur and the Security Forces all along the Indo-Burma border.

राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा तटीय और हाइड्रोलिक इंजीनियर अनुसंधान के लिये सहायता

1719. श्री बीरभद्र सिंह :

श्री इसहाक सम्भली :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय और हाइड्रोलिक इंजीनियरी अनुसंधान के बारे में पुना स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा दो अतिरिक्त परियोजनायें प्रारम्भ किये जाने के बारे में राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम भारत की सहायता करेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है और क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए ह और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम पुना स्थित 'समुद्रीतटीय इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र और जल वैज्ञानिक इन्स्ट्रूमैन्टेशन विकास' परियोजना में भारत को सहायता दे रहा है । दूसरी परियोजना 'समुद्रतटीय इंजीनियरी केन्द्र का विस्तार तथा जलवैज्ञानिक इन्स्ट्रूमेन्टेशन विकास" है ।

इन परियोजनाओं में समुद्रीतटीय इंजीनियरी तथा जलवैज्ञानिक इंस्ट्रुमेण्टेशन के क्षेत्र में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान कन्द्र, पुना की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञों, परिष्कृत उपस्करों तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए सहायता परिकल्पित है ।

इस समय चल रही परियोजना के लिए 1.07 मिलियन डालर की सहायता स्वीकृत की गई थी। परियोजना–कागजात पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विस्तार परियोजना के लिए 0.6 मिलियन डालर की सहायता मांगी गई है। परियोजना-कागजात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा वे उनके विचाराधीन है।

स्थानीय व्यक्तियों (सन्स आफ दि सायल) को रोजगार प्रदान करना

1720. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र से प्रारम्भ हुआ "स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने (जाब्स टू दि सन्स आफ सायल)" का सिद्धान्त तमिलनाडु में भी फैल गया है और सम्बद्ध राज्य सरकार उसे प्रोत्साहन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस विषय पर समाचारपत्रों की रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। अभी तक कोई औपचारिक आदेश केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

(ख) रोजगार के मामले में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि एक ओर तो सामान्य नागरिकता की ओर अपेक्षाओं और दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता के बीच यथोचित संतुलन रखना है।

Appointment of an Urdu Producer in all India Radio Station at Patna

1721. Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Urdu Committee constituted under his chairmanship about two years ago had visited Patna :

(b) whether any delegation on behalf of the Urdu-speaking people had met him there;

(c) if so, whether he had given an assurance to the delegation for the appointment of Urdu Producer in the All India Radio Station at Patna,

(d) the reasons for not appointing a new Producer so far after the retirement of the old Producer: and

(e) the time by which the new Producer is proposed to be appointed by Governments?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) :

(**a**) and (**b**) : Yes, Sir.

(**c**) : No, Sir.

(**d**) and (**e**) All India Radio, Patna has a Programme Executive who is looking after Urdu programmes and who is a well known poet and writer.

उपग्रेह छोड़ने के लिये राकटों के निर्माण में ग्रात्म-निर्भारता प्राप्त करना

1722. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **ग्रन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह छाड़ने के लिए राकेटों का निर्माण करने के मामले में देश को ग्रात्म-निर्भर बनाने के कार्य में सरकार ने कोई प्रगति की है ; ग्रौर

(ख) क्या सोवियत संघ से कोई सहायता मांगी गई है ग्रौर यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिकस मंत्री तथा ग्रंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) इस टैक्नालोजी के कई क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की गई है जिसका व्यौरा ग्रंतरिक्ष विभाग की 1973—74 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया हुग्रा है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं। फिर भी, सोवियत संघ प्रक्षेपण राकेट की व्यवस्था द्वारा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने में सहायता कर रहा है।

विदेशों मे काम कर रहे वैज्ञानिक ग्रनुसंधान ग्रौर विकास के भारतीय वैज्ञानिक

1724. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **विज्ञान ग्रौर प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिकी ग्रनुसंधान ग्रौर विकास के ग्रधिकांश भारतीय वैज्ञानिक ग्रार्थिक कारणों से विदेशों में काम कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है ग्रौर वे किन किन देशों में काम कर रहे हैं ; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का उन्हें ग्राकर्षक वेतन तथा ग्रन्य सुविधाएं देने का विचार है जिससे वे वापस ग्रा सकें ग्रौर यदि हां तो उन्हें किस प्रकार की सुविधायें देने का विचार है ?

ग्रद्योगिक विकास तथा विज्ञान ग्रौर प्रद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रद्योगिकी विदों का पंजीकरण करने के लिये राष्ट्रीय रजिस्टर का एक "प्रवासी भारतीय" ग्रनुभाग का संचालन सी० एस० ग्राई० ग्रार० द्वारा किया जाता है। पंजीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्टर में प्राप्त सूचना के ग्रनुसार दिनांक 1-1-74 तक 83 भारतीय वैमानिक ग्रभियन्ताग्रों का विदेशों से नामांकन प्राप्त हुग्रा था। ये भारतीय विदेशों में उच्च ग्रध्ययन, प्रशिक्षण, ग्रथवा बृहद् विशेषज्ञता को प्राप्त करने गये थे। इनमें से कुछ लोग उच्च विकसित देशों में नौकरी के सुग्रवसरों से ग्राकर्षित होकर गये थे।

विदेशों में उनके कार्यरत होने के कारणों का कोई विशेष ग्रध्ययन नहीं किया गया।

(ख) अभियन्ताओं का देश वार व्यौरा इस प्रकार है :--

अमरीका	कनाडा	यू०के०	जर्मनी	ओ०ई०सी०	अन्य	योग
28	9	33	2	6	5	**83**

ओ०ई०सी०--अन्य यूरोपीय देश ।

(ग) विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों, प्रोद्यौगिकी विदों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये उपाय करने पर भारत सरकार का निरंतर अथक प्रयास रहा है । पहले ही किये गये कुछ उपायों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों का भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय :--

वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित चरण उठाये गये हैं :--

(क) विदेशों से वापस आने वाले उच्च योग्यताप्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को अस्थाई तौर पर रोज़गार प्रदान करने के लिये वैज्ञानिक पुल का निर्माण ।

(ख) विदेशों में कार्यरत और अध्ययनरत वैज्ञानिकों को शीघ्रता से रोजगार प्रदान करने के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण ।

(ग) संघीय लोक सेवा आयोग और अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोगों ने उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये उन प्रत्याशियों को जिनका नाम नेशनल रजिस्टर में दर्ज है, "को व्यक्तिगत्त सम्पर्क" का प्रत्याशी मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है । संघीय लोक सेवा आयोग ने भारत के पदों के लिये विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों का साक्षात करने की भी व्यवस्था कर दी है ।

(घ) राष्ट्रीय रजिस्टर, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का एकनविशेष अनुभाग संचालन करना जिसमें प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों का नामाँकन किया जा सके और उनके नाम समस्त मंत्रालय, विभाग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघीय एवं राज्यीय लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी औद्यौगिक प्रतिष्ठानों बड़े निजी औद्योगिक क्षेत्रों में भेजने के लिये । ऐसे व्यक्तियों के नाम जनशक्ति बुलैटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं जिसका निशुल्क वितरण समस्त भारत में लगभग तीन हजार संगठनों को किया जाता है ।

(ङ) वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के पदों पर भारत के लिये चुने हुए प्रत्याशियों को जिनका चयन विदेशों में हुआ है, यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लियें---यदि वे तीन वर्ष तक सेवा करने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करें, स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(च) भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और इंजीनियरों को जो विदेशों में उत्पादन यूनिटों में कार्यरत हैं, आकर्षित करने, और वापिस आने तथा देश में अपने उद्योग शुरु करने के लिए एक-मुश्त सौदे की एक योजना तैयार की जा रही है। विशेष रुप से उत्पादन यूनिटों में (कारखानों में) जहां वे वैज्ञानिक अधिक कौशल प्राप्त कर सकें।

बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

1725. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों को उदारतापुर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने इंजीनियरों को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है और अब तक कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) सदैव ही सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि इजीनियरों और उच्च शिक्षा प्राप्त प्रोद्यौगिकि विदों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराया जाये। इस उदेश्य के पीछे यह सिद्धान्त रहा है कि तकनीकी रुप से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगो को सेवाओं का सही उपयोग किया जाय।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोई लाभांश लिए वगैर 2-3 लाख रुपये तक की राशि इंजीनियरों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते कि स्वनियोजन कार्य स्थापित करने में वह स्कीम सक्षम हो। बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की ऋण गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत ये स्कीमें संचालित की जाती हैं। बहरहाल, कितने इंजिनीयरों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किया गया है और अब तक कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है-इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय भी एक स्कीम लागू कर रहा है, उदाहरणार्थ "इंजीनियरों को प्रशिक्षण और ब्याज सहायता"। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम आरम्भ की गई थी और दो करोड़ रुपये के अस्थायी आवंटन से पांचवीं योजना में भी इसे जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत डिग्री और डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को लघु उद्योग सेवा संस्थानों और कतिपय अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपनी नियोजनीयता बढ़ा सकें और साथ-साथ अपने लघु उद्योग एकक स्थापित करने में सहायता प्राप्त कर सकें। इस स्कीम में यह भी परिकल्पना है कि अपना धंधा स्थापित करने के लिए जो युवा उद्यमकर्त्ता वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करें उन्हें ब्याज पर अनुदान दिया जाय। चालू वर्ष में इस स्कीम के अन्तर्गत कितने इंजीनियरों को फायदा पहुंचा-इस सम्बन्ध में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, चौथी योजनावधि में लगभग 4,000 इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना मिली है। लगभग 400 इंजीनियरों ने अपने उद्योग-धन्धे स्थापित किए हैं। चौथी योजना में इस स्कीम पर 66.16 लाख रुपये खर्च हुए।

रोजगार सम्बर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसे 40 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1974–75 में आरम्भ किया गया है, इंजीनियरों और उनकी सहकारी समितियों को मूल पूंजी उपान्त धन सुलभ किया जायगा ताकि स्वनियोजन कार्य स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उन्हें ऋण प्राप्त हो सके। राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस कार्यक्रम के लिए इस समय प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना आयोग ने सलाह दी है कि उन इंजीनियरों व उच्च शिक्षा प्राप्त प्रौद्योगिकी विदों, जिनके नाम 31–12–1972 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज थे और जो अब भी बेरोजगार हैं, को खपाने वाली स्कीमों पर उच्च प्राथमिकता दी जाय।

चौथी योजना के दौरान अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यक्रम चलाये गये जिनसे भारी संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध हुए। इसके अतिरिक्त, शिक्षित व्यक्तियों और इंजीनियरों को अतिरिक्त रोजगार सुलभ करने के लिए समय-समय पर विशेष कदम उठाये गये जो इस प्रकार हैं––(1) 1971–72 में आरम्भ किया गया शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम, (2) 1972–73 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए आरम्भ किया गयां विशेष रोजगार कार्यक्रम, और (3) 1973–74 में आरम्भ किया गया शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच-लाख रोजगार कार्यक्रम। इन स्कीमों से कुल कितने इंजीनियरों को फायदा पहुंचा है और उन्हे कितनी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है––इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, चौथी योजना के दौरान इन विशेष स्कीमों के लिए निर्धारित आवंटन, किया गया व्यय और सृजित रोजगार निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :––

स्कीम का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये)	व्यय	सृजित रोजगार (लाख रुपये)
1	2	3	4
1. शिक्षित बरोजगारों का कार्यक्रम	134.00	100.00	1,77,000 लगभग
2. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम	50.00	67.00	4,87,000 (376 लाख श्रमिक लगभग)
3. पांच लाख रोजगार कार्यक्रम	70.00	54.00 (वास्तव में निर्मुक्त)	3,24,000 लगभग

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखाना

1726. **श्री नारयाण चन्द पराशर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने का हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बागान विखण्डन को रोकने के लिये अध्यादेश जारी करने के लिये केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति का मांगा जाना

1727. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान–विखण्डन को रोकने के लिये एक अध्यादेश जारी करने हेतु केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्तावित अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि किसी बागान का कोई मालिक सरकार की अनुमति के बिना सारे बागान को अथवा उसके किसी भाग को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्तावित अध्यादेश पर विचार किया जा रहा है ।

केरल चलचित्र निगम को केन्द्रीय सहायता

1728. **श्री सी० जनार्दनन् :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने प्रस्तावित केरल चलचित्र निगम के लिए केन्द्र से सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केरल राज्य सरकार द्वारा कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद

1729. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर दिया गया है और यदि हां तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसन) : गृह मंत्री ने 17 मई को हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा दिये गये सुझाव स्वीकार कर लिये थे कि उन्हें उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद में मध्यस्थता करनी चाहिये । हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक अनुषंगिक विचार-विमर्श जारी है ।'

कागज मिलों द्वारा भारी मुनाफाखोरी

1730. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री बरके जार्ज :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कागज मिलों द्वारा दी जा रही भारी मुनाफाखारी तथा बहुत सी कम्पनियों द्वारा लिये जा रहे अनधिकृत "प्रीमियम" के बारे में उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कागज के उचित मूल्य निर्धारित करने की दृष्टि से कागज उद्योग का विस्तृत लागत अध्ययन करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)** सरकार का ध्यान इन शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है तथा पेपर उद्योग का लागत-अध्ययन हाथ में लिया जा चुका है।

ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन

1731. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये आयोजन और क्रियान्विति के लिये केन्द्र के अधीन ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड कब तक गठित कर दिया जायेगा ; और

(ग) बोर्ड के क्या-क्या कार्य होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपायों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सेक्टर में ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है । बोर्ड के गठन के लिए बिल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

बहु-चरणीय राकेट छोड़ने के लिये नेशनल रेंज के रुप में 'श्री हरिकोटा लांच कम्प्लैक्स'

1732. श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या स्वदेशी ढंग से विकसित बहु-चरणीय विशाल राकेट छोड़ने के लिए 'श्रीहरि-कोटा लांच कम्प्लैक्स' की नेशनल रेंज के रूप में कब तक स्थापना की जायेगी ; और

(ख) क्या कम्प्लैक्स की स्थापना में विलम्ब के परिणामस्वरूप विकसित देशों की तुलना में देश का वैज्ञानिक विकास पिछड़ेगा नहीं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) कुछ सुविधाओं की स्थापना की जा चुकी है और कई राकेट छोड़े जा चुके हैं। योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कई अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसमें अभी तक कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिये ग़ैर-सरकारी डिटेक्टिव कम्पनियों की जासूसी सम्बन्धी गतिविधियां

1733. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिये गैर-सरकारी डिटेक्टिव कम्पनियां जासूसी सम्बन्धी गतिविधियों में लगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों के मामलों का पता लगाने का कार्य ग़ैर-सरकारी डिटेक्टिव कम्पनियों को नहीं सौंपती।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा एटामिक एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाना

1734. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा एटामिक एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष को भारत के दौरे के लिए आमंत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो आमंत्रण का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या हाल ही में कोई वार्ता की गई थी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) उन्हें हाल की घटनाओं का पुनरीक्षण करने के वास्ते विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था । तथापि, द्विपक्षीय वार्ता कनाडा में हो चुकी है तथा इस बारे में निकट भविष्य में और आगे बातचीत होने की सम्भावना है ।

पांचवीं योजना में आत्म निर्भरता

1735. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवी योजना के अन्त तक आत्मनिर्भरता के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में संदेह व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में निरूपित आत्म-निर्भरता के मूल उद्देश्य के प्रति योजना आयोग ने कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विभागेतर पद्धति के कार्यकरण के बारे में जांच करने संबंधी समिति की सिफारिशें

1736. श्री वेकारिया :

श्री अरबिन्द एन० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेतर पद्धति के कार्यकरण के बारे में जांच करने संबंधी अक्तूबर, 1970 में गठित एक सदस्यीय समिति ने मार्च, 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जो अभी तक सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) विभागेतर प्रणाली के बारे में समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय कर लिये गए हैं । इसम विभिन्न श्रेणियों के विभागेतर एजंटों के बारे में समेकित परिश्रमिक निर्धारित करने से संबंधित एक सिफारिश भी शामिल है । बाकी कुछ सिफारिशों पर यथा समय निर्णय किया जाएगा ।

माण्डया नेशनल पेपर मिल्ज, मैसूर

1737. श्री वेंकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड ने मैसूर के निकट स्थित माण्डया नेशनल पेपर मिल्ज के नियंत्रणकारी और वित्तीय हितों के अधिग्रहण के प्रस्ताव तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि उक्त मिल के नियंत्रणकारी और वित्तीय हितों का अधिग्रहण हो जाता है तो निगम का दायित्व क्या होगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान कागज निगम ने एक त्रिपक्षीय करार के माध्यम से माण्डया नेशनल मिल्स पर पहले ही नियंत्रणकारी हितावह स्थिति प्राप्त कर ली है। कर्नाटक सरकार इस समझौते की एक पार्टी है।

(ग) हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा कुल देय राशि 386.96 लाख रुपये है।

छोटे एककों द्वारा कागज मिलों की स्थापना

1738. श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यह दृष्टिकोण अपनाये जाने के क्या कारण हैं कि 100 से 200 टन से कम दैनिक उत्पादन करने वाले कागज के एककों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये;

(ख) क्या ऐसी बहुत सी पार्टियां है जो 15 से 20 टन तक दैनिक उत्पादन करने के लिये कागज के एकक लगाने की इच्छुक हैं, और

(ग) जो गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है उसे ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार ढील देने तथा ऐसे छोटे एककों को कागज के उत्पादन में अपना योगदान देने की अनुमति देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) छोटी पेपर मिलें स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छोटी मिलें लगाने के कई प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा अन्यों को गुणावगुणों के आधार पर निपटा दिये जायेगा।

पांचवीं योजना में ताप संयंत्रों के लिये उपकरणों का उत्पादन और सप्लाई

1739. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप संयंत्रों के लिये देश में निर्मित उपकरणों के उत्पादन और सप्लाई के लिये प्रबन्ध कर लिये गए हैं जिससे उन्हें पांचवीं योजना अवधि में चालू किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने के बाद इस प्रकार कुल कितनी बिजली उत्पन्न की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) ताप केन्द्रों के संबंध में देशी उपस्कर से कुल विद्युत् शक्यता पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 9 मिलियन किलोवाट होगी।

इंजीनियरों को अखिल भारतीय सेवा का गठन

1740. श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी स्थानों को बिजली की कमी संबंधी भारी समस्या का समाधान करने के लिये इंजीनियरों को अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के बारे में राज्यों से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) देश में बिजली की कमी की समस्या को देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरों के क्षेत्र में एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के संबंध में राज्य सरकारों से अभी हाल में कोई परामर्श नहीं किया है फिर भी, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसरण में, इंजीनियरों को भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन रहा है और इसके संबंध में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

2. अगस्त, 1961 में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में वन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और इंजीनियरों के क्षेत्रों में तीन नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना सिद्धांत रूप मे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अधीन, राज्य सभा द्वारा दिसम्बर, 1961 में एक संकल्प पारित किए जाने के बाद अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 को उपर्युक्त तीन सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करने के लिये, सितम्बर, 1963 में संशोधित किया गया था। ज्यादा अखिल भारतीय सेवाओं को रखने के लाभों तथा इंजीनियरों को भारतीय सेवा के गठन में देरी के कारणों को आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

3. नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के प्रस्ताव के पीछे विचार प्रधानतः राष्ट्रीय एकता की धारणा पर आधारित है। इन सेवाओं के सदस्यों को अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किये जाने और सेवा को एक समान शर्तों और उनके अपने अधिवास के राज्यों के अलावा उन्हें अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में आवंटित किये जाने के कारण वे अपने संकीर्ण लगावों की भावना से ऊपर उठ जाते हैं। केन्द्र तथा राज्यों में इन सेवाओं के समान (कामन) होने के कारण अधिकारियों का केन्द्र तथा राज्य प्रशासनों के बीच बारी-बारी से आवर्तन (रोटेशन) हो सकेगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से भर्ती तथा प्रशिक्षण के उच्चस्तर को बनाये रखना भी सुनिश्चित हो जाता है, जिससे देश भर में प्रशासन और विकास का एक एक समान स्तर बन जाता है।

4. इंजीनियरों को भारतीय सेवा के गठन के संबंध में औपचारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किये गए हैं, क्योंकि छः राज्य सरकारों अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल ने, जो पहिले इस सेवा में सम्मिलित होने के लिये सहमत हो गयीं थी, बाद में अपने इरादे को बदल दिया और इस सेवा की योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। इन राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया को, सार रूप में नीचे दिया जाता है :—

(i) **असम**

राज्य सरकार ने जनवरी, 1970 में सूचित किया था कि राज्य में व्याप्त स्थितियां और परिस्थितियां, इंजीनियरों को भारतीय सेवा की योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

(ii) **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1971 में बिना कोई कारण बताये इंजीनियरों को भारतीय सेवा में सम्मिलित न होने के अपने निर्णय को सूचित किया था।

(iii) **जम्मू व कश्मीर**

जम्मू व कश्मीर सरकार ने फरवरी, 1970 में बिना कोई कारण बताये यह सूचित किया था कि राज्य सरकार ने फिलहाल इंजीनियरों को भारतीय सेवा में सम्मिलित न होने का निर्णय किया है।

(iv) **केरल**

राज्य सरकार ने मई, 1970 में बिना कोई कारण बताये उक्त सेवा में सम्मिलित न होने के अपने निर्णयों को सूचित किया था।

(v) **तमिलनाडु**

तमिल नाडु सरकार ने मार्च, 1968 में यह सूचित किया कि ऐसे विषयों के प्रबंध के लिये जो पूर्णतः राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का गठित किया जाना न तो आवश्यक ही है और न वांछनीय ही।

(vi) **पश्चिम बंगाल**

राज्य सरकार ने मई, 1969 में इंजीनियरों को भारतीय सेवा में सम्मिलित न होने के अपने निर्णय की सूचना दी थी, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा कन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के केन्द्रीय संवर्गों में पदोन्नति कोटे के बढ़ाये जाने और नियुक्ति की पद्धति के सम्बंध में उनके द्वारा किए गए प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं थे।

5. फिर भी, भारत सरकार सहमत होन वाले राज्य सरकारों को प्रस्तावित सेवा में सम्मिलित होने के लिये राजी करने में अपने प्रयत्नों को जारी रखे हुये है। इन छः राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को नवम्बर 1972 में लिखा गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उक्त

सेवा की योजना में सम्मिलित होने के लिये सहमत होने की दृष्टि से इस मामले पर फिर से विचार करे किन्तु, जिन राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुये हैं उनकी प्रतिक्रिया इसके पक्ष में नहीं थी। मार्च 1974 में असहमत होने वाले छः राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को फिर से लिखा गया था। अन्य बातों के साथ साथ यह अनुरोध भी किया गया था कि इस सेवा के सृजन से इंजीनियरी के क्षेत्र में न केवल सबसे अधिक प्रतिभावान व्यक्ति ही आकर्षित होंगे, बल्कि इससे विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का तेजी और कुशलता के साथ कार्यान्वित किया जाना भी सुनिश्चित हो सकेगा।

6. असम और केरल की सरकारों ने इस मामले पर पुनर्विचार करने के बाद भी उक्त सेवा में सम्मिलित न होने के अपने पहिले के इरादे को ही फिर से दोहराया है। जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अन्तिम उत्तरों की अभी प्रतीक्षा है।

Industrial Estates in Backward Area of Chhattisgarh District (Madhya Pradesh)

1741. **Shri Shrikrishna Agarwal :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal for setting up an industrial estate for small scale industries in the backward areas of the country particularly in Chhattisgarh District of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) :

(a) and (b) : An outlay of Rs. 24·97 crores has been envisaged in the Fifth Five Year Plan for setting up industrial estates in the country which include a provision for construction of Industrial Estates complete with factory buildings to be set up in selected growth centres in semi-urban, rural and backward areas.

Details of Industrial Estates/Areas set up and under construction in the Chhattisgarh region of Madhya Pradesh are :—

Chhattisgarh Region/Districts
(As on 30-9-1973)

Industrial Estates/Areas completed	Industrial Estates/Areas under construction
RAIPUR DISTRICT	
1. Raipur	
2. Industrial Area Raipur	
3. Abhanpur	

DURG DISTRICT

1. Bhilai	.. 1. Bhilai Heavy Industrial Area.
2. Industrial Area Bhilai ..	2. Balod
3. Durg	.. 3. Dongargarh

RAJNANDGAON DISTRICT

1. Rajnandgaon	.. ..

BILASPUR DISTRICT

1. Bilaspur District	.. 1. Gaurella

BASTAR DISTRICT

1. Jagdalpur ..	.. .. ..
2. Narayanpur ..	

RAIGARH DISTRICT

1. Raigarh	.. 1 Pussore

SURGUJA DISTRICT

1. Baikunthpur

राजस्थान तथा मद्रास परमाणु केन्द्रों के लिये फ्रांस द्वारा उपकरणों की सप्लाई

1742. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **परमाणु** और **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मद्रास के परमाणु केन्द्रों के लिए फ्रांस उपकरण सप्लाई करने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस इन परियोजनाओं के लिये पूरी सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कनाडियन सलाहकारों की मदद से किया जा रहा है । इस परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति कनाडा द्वारा उसके निर्यात-विकास-निगम के माध्यम से दिये गये 88.5

मिलियन कनाडियन डालर के ऋणों में से की जा रही है । राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के जो उपकरण भारत में उपलब्ध नहीं थे वे कनाडा, से प्राप्त किये गये हैं । मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किसी भी विदेशी सलाहकार की सहायता के बिना किया जा रहा है । इस परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों में से अधिकांश का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है । तथापि, ऐसे कुछ पेटेन्ट उपकरणों, संघटकों एवं विशिष्ट पदार्थों को, जिनका निर्माण करने की क्षमता अभी भारत में नहीं है, विभिन्न देशों से, जिन में फ्रांस भी शामिल है, मंगाया जा रहा है ।

Theft and Murder Cases in Sudarshan Park, New Delhi

1743. Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether thefts and murders have become order of the day in Sudarshan Park, New Delhi ;

(b) if so, the number of theft and murder cases registered during the last one year in this area and the number of culprits arrested in this regard, and

(c) whether Government propose to open a Sub-police Station in Sudarshan Park area and if so, the time by which the Police Station would be opened?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) No Sir.

(b) Year 1973.

	Cases reported	Persons arrested.
Murder	1	1
Thefts	6	Nil

(c) No Sir, this area is already covered by the existing police station at Moti Nagar.

Incidents of Murder Cases in Delhi during 1973-74.

1744. Shri Chandra Shekhar Singh
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) Whether the law and order situation in Delhi is very fluid and murders, thefts and dacoities have become incidents of common occurrence; and

(b) if so, the number of incidents of murder that took place in Delhi in 1973 74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :

(a) No Sir.

(b) 152 cases of murders were reported in 1973 and 90 have been reported till 30th June, 1974.

बंगला देश में परमाणु अनुसंधान रियेक्टर की स्थापना के लिए भारत बंगला देश वार्ता

1745. श्री वीरभद्र सिंह :

श्री बनमाली बाबू :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बंगला देश वार्ता हाल ही में हुई थी और बंगला देश ने एक मेगावाट का परमाणु अनुसंधान रियेक्टर स्थापित करने के लिये भारत से सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले और उसके फलस्वरूप क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी हां, । हाल ही में हुई भारत-बंगला देश वार्ता के परिणामस्वरूप, भारत बंगला देश को एक मैगावाट क्षमता के एक अनुसंधान रिऐक्टर का डिजायन तैयार करने में सहायता देगा । इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता का विवरण, परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों में सहयोग करने के लिए किए गए मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है ।

बिहार के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के बीच बिहार की स्थिति के बारे में बातचीत

1746. श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या बिहार के मुख्य मंत्री जून 1974 के मध्य में उन से मिले थे और श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां तो वार्ता का सार क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री तथा बिहार के मुख्य मंत्री के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ है । मुख्य मंत्री गृह मंत्री को राज्य की स्थिति के बारे में तथा उससे निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे उपायों से अवगत कराये हुए हैं ।

टेलीविजनों पर प्रदर्शन के लिए नवीनतम फिल्में देने के संबंध में वितरकों का असहयोग

1747. श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या टेलीविजनों पर प्रदशन के लिए नवीनतम फिल्में देने के मामले में वितरक सरकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार नें इस स्थिति का समाधान करने हेतु कोई वैकल्पिक योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं । तथापि कुछ वितरक इस आधार पर कि उनको व्यापारिक मार्केट में हानि हो सकती है। फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाने के लिए रिलीज करने के लिए अनिच्छुक है ।

(ख) और (ग) निर्माताओं तथा वितरकों दोनों को इस बात के लिए मनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे टेलीविजन पर दिखाने के लिए अपनी अच्छी और हाल ही में बनी फिल्मों में से कुछ फिल्मों को दें । बाल चित्र समिति द्वारा निर्मित तथा फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित फिल्मों को भी टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है । टेलीविजन पर फिल्मों को दिखाने के लिए लघु फिल्मों सहित फिल्मों के निर्माण के लिए देश में चार टेलीविजन फिल्म निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उपग्रह के लिये कार्यक्रम तैयार करने हेतु भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बम्बई में एक स्टूडियो की स्थापना

1748. श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टी० वी० एक्सपेरीमेंट के लिये नवीन कार्यक्रम तैयार करने हेतु भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बम्बई में एक स्टूडियो की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से चालू हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

'(क) जी, हां।

(ख) इस स्टूडियो के लगभग 15 अगस्त, 1974 तक चालू हो जाने की संभावना है ।

कोसी नहर तकनीकी परामर्शदायी समिति का प्रतिवेदन

1749. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री कोयसी बांध में गाद जमा हो जाने संबंधी समस्या के बारे में 23 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नदी की तमूर और अरूण नायक उपनदियों पर अवरोध बांध तथा कोसी नदी के ऊपरी भाग में चैक गोरज के समीप एक ऊंचे बांध के बारे में कोसी तकनीकी सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर बिहार सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने कंवर सेन की अध्यक्षता में गठित कोसी तकनीकी सलाहकार समिति को एक संसद सदस्य के कुछ ये सुझाव भजे है कि पश्चिम कोसी नहर को भारत से उसके प्रवेश स्थल पर उसे कुछ और उत्तर की ओर कृत्रिम रूप से ले जाया जाये ताकि वह जयनगर स्थित कमला वीयर के उत्तर से गुजर सके और इस वीयर को डैम में बदल दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो उस पर उक्त समिति की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) पूर्वी और पश्चिमी कोसी नदियों में गाद जमा होने की समस्या के स्थायी समाधान विद्युत उत्पादन और दोषीन बाढ़ नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने के लिये क्या चैन से ऊपर एक वहुउद्देशीय बांध बनाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कोसी तकनीकी समिति द्वारा अनुशासित दीर्घकालीन उपायों पर वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने तमुर और अरूण नामक सहायक नदियों पर चेक बांधों के संबंध में इस समिति की सिफारिश को कोसी सलाहकार बोर्ड को बांध के लिए निर्दिष्ट किया है ।

(ख) और (ग) पश्चिमी कोसी नहर को कमला वीयर के उत्तर में और आगे ले जाने के प्रस्ताव के संबंध में क्षेत्रीय अनुसंधान बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वे इन अन्वेषणों के प्रतिवेदन को कोसी सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट करेंगे ।

(घ) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यह संसाधनों की उपलब्धता तथा नेपाल सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करता है ।

बिहार में कमला नदी के दोनों ओर तट बंधों का विस्तार करने के लिये भारत-नेपाल करार

1750. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बिहार में कमला नदी के दोनों ओर तट बंधों का विस्तार करने के लिये भारत-नेपाल करार से संबंधित 23 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7876 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जयनगर से आगे नेपाल की सीमा में मिरचैया तक कमला नदी के तटबंधों का विस्तार करने की योजना को बिहार सरकार ने इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या ह और इस कार्य को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ग) तटबंधों को मिरचैया तक वढ़ाने के लिये नपाल सरकार क साथ समझौता कब किया गया था और तब से लेकर अब तक विलम्ब का क्या कारण रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नेपाल सरकार ने नेपाली सीमा में जयनगर से आगे मिर्चिया तक कमला तटबंधों के विस्तार के प्रस्ताव पर 1966 में सहमति दी थी । नेपाल सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार द्वारा परियोजना के विस्तृत अभिकल्प और प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं । बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नेपाल सरकार दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच मई, 1974 में होने वाली बैठक में अपेक्षित आंकड़े सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई थी परन्तु अभी तक वे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से नये विद्युत् संयंत्रों की स्थापना

1751. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में सहायता करने के लिये अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से किन-किन क्षेत्रों में नये विद्युत संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने पांचवीं पांच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1974–75 के लिये सहायता कार्यक्रम तैयार कर लिया है । विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को 52 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत करने का विचार है । इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी । अभी तक 1975–76 के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) निगम ने दूरस्थ तथा अलग-थलग ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने के लिये छोटी-छोटी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को धन देने का सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है । बहरहाल, इस संबंध में किसी भी राज्य बिजली बोर्ड से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पश्चिम बंगाल में विद्युत् उत्पादक एककों का कार्यकरण

1752. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लगभग सभी विद्युत उत्पादक एकक अपनी निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन सभी संयंत्रों को सहयोग-कर्ता देशों द्वारा सप्लाई की गई घटिया किस्म की मशीनों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है और मशीनें बदली नहीं गई हैं ;

(ग) क्या पुरानी मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीनें लगाने के विस्तृत कार्यक्रम से वर्तमान एकक राज्य जहां उद्योग बहुत हैं की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे ; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक वर्ष में 8760 घंटे होते हैं तथा प्रतिष्ठापित क्षमता का एक किलोवाट, सिद्धांत रूप में, एक वर्ष में 8760 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है । बहरहाल, नेमी ओवरहाल तथा अनुरक्षण के लिये कुछ समय अपेक्षित होता है तथा कुछ मजबूरन बंदीकरण भी हो जाता है जो सभी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में कमी करते हैं । हाल ही में, राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन ने निर्णय लिया है कि 6000 यूनिट/कि० वा० का उत्पादन उपलब्ध किया जा सकता है । इस आधार पर, केवल दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड ही अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से कम उत्पादन कर रहा है । इसके अतिरिक्त, संतालडीह में भी उत्पादन अभी स्थायी किया जाना है ।

(ख) से (घ) दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) में एम० ए० एन० यूनिटों के अतिरिक्त, मशीनों की निम्न कोटि के कारण कम विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, सभी यूनिटों के अनुरक्षण में सुधार करने तथा जीर्ण-शीर्ण एवं खराब पुर्जों को बदलने के लिए संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि केन्द्रों की विश्वसनीयता तथा उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड में आग-दुर्घटना से हानि हुई थी तथा खराबी को दूर करने के लिये आवश्यक पुर्जों का आयात किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है। वर्तमान केन्द्रों के उचित कार्य-निष्पादन से राज्य में विद्युत के अभाव की स्थिति में कुछ सुधार होगा। संतालडीह में विद्युत उत्पादन के स्थायी होने तथा नई यूनिटों के चालू हो जाने से पश्चिम बंगाल की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। पांचवीं योजना के दौरान, कार्यक्रमों के पूरा होने के उपरांत पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी रहने की कोई आशंका नहीं है।

अमरीकी सरकार द्वारा छोड़े जाने वाले उपग्रह से टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करना

1753. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार 1975 में एक उपग्रह छोड़ेगी जिससे समूचे देश में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने में सहायता मिलेगी ;

(ख) क्या भारत का विचार उपग्रह से मिलने वाली सुविधा का लाभ उठाने का है ; और

(ग) क्या उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिये आकाशवाणी को पर्याप्त रूप से सज्जित करने हेतु योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा एक ए० टी० एस० एफ० उपग्रह 30 मई, 1974 को छोड़ा जा चुका है। यह उपग्रह कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने हेतु 1975 के मध्य से लगभग एक वर्ष तक भारत की दृष्टि की परिधि में रहेगा।

(ख) जी हां।

(ग) आकाशवाणी उपग्रह की प्रनिपुष्टि करने के लिये कार्यक्रमों के निर्माण और उनके संचय में गतिशील है। उपग्रह से कार्यक्रमों की सीधी प्राप्ति देश में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 6 समूह क्षेत्रों के लगभग 2400 गांवों में आई० एस० आर० ओ० द्वारा लगाये जाने वाले विशेष टेलीविजन सेटों पर उपलब्ध होगी।

बिजली के संकट को दूर करने के बारे में आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन द्वारा दिया गया सुझाव

1754. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **सिंचाई और** विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत संकट को दूर करने के लिये आल इंडिया पावर इंजीनियरस फेडरेशन के चेयरमैन द्वारा दिये गये सुझाव का पता है: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख) : अखिल भारतीय विद्युत अभियंता फेडरेशन के अध्यक्ष ने विद्युत प्रदाय उद्योग के राज्य, क्षेत्रीय और केन्द्रीय स्तरों पर पुनर्गठन, क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की व्यवस्था के संबंध में अनेक सुझाव दिये हैं । उद्योग के पुनर्गठन के लिये प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों पर पूरी तरह विचार किया जा रहा है ।

टेलीविजन केन्द्र का पुनर्गठन

1755. श्री एम० कतामुतु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों ने टेलीविजन केन्द्र के पुनर्गठन की समस्याओं की जांच एवं एक आयोग के गठन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) और (ख): श्री जे० एन० गौड की मृत्यु के सन्दर्भ में एसोसियेशनों से दिल्ली टेलीविजन केन्द्र की सेवाशर्तों की जांच के सम्बन्ध म कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । श्री गौड की मृत्यु के बारे में पुलिस की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा पुलिस की रिपोर्ट से यह प्रमाणित हुआ है कि श्री गौड की मृत्यु आत्म हत्या के कारण हुई थी ।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी सिद्धांत ('संन्स आफ दि सायल थयोरी')

1756. श्री एम० कतामुतु: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाने वाले 'सन्स आफ दि सायल' प्रश्न के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में कर्नाटक के उद्योग मंत्री ने सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई औपचारिक सुझाव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों की सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय

1758. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रधान मंत्री सहित केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के सुरक्षा प्रबन्धों पर 1 जनवरी, 1974 से 30 जून 1974 तक कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या चौथी लोक-सभा में किये गये खर्चे की तुलना में इन मंत्रियों की सुरक्षा पर किये जाने वाले खर्च में वृद्धि हुई है; और

(ग) गंतव्ययिता के उपाय के रूप में खर्च को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । व्यय में वृद्धि अधिकांश रूप से कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य उपलब्धियों में संशोधन के कारण हुई है ।

(ग) एसे प्रबन्धों की समय समय पर समीक्षा करते समय मित्तव्ययता की आवश्यकता को सदैव ध्यान में रखा जाता है ।

विवरण

1-1-1974 से 30-6-74 तक की अवधि में मंत्रियों के सुरक्षा प्रबन्धों पर किये गये व्यय का विवरण ।

	व्यय (रुपये)
प्रधान मंत्री	6,58,070.00
श्री वाई० बी० चव्हाण	65,512.80
श्री जगजीवन राम	31,408.70
श्री उमांशकर दीक्षित	79,518.90
श्री एच० आर० गोखले	32,139.40
श्री के० डी० मालवीय	9,534.00
श्री एल० एन० मिश्र	18,014.60
श्री के० ब्रह्मानन्द रडी	19,761.30
डा० कर्ण सिंह	38,773.80
श्री आई० के० गुजराल	19,761.30
श्री आर० एन० मिर्धा	27,781.30
श्री क० सी० पन्त	27,320.20
श्री एस० नूरूल हसन	42,070.20
श्री एफ० एच० मोहसिन	24,153.90
श्री वी० पी० मौर्य	9,559.00
श्री दलबीर सिंह	9,012.00
श्री अरविन्द नेतराम श्री पी० के० मुखर्जी श्री सबोध चन्द्र हन्सदा श्री कोन्डाझी बसप्पा श्री जी० वेन्कटस्वामी श्री जेड० रहमान अनसारी श्री जे० बी० पटनायक	10,056.00 रु० प्रत्येंक पर
अन्य सभी मंत्री	14,562.00 रुपये प्रत्येक पर

माचिस का मूल्य

1759. श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में 15 पैसे प्रति पैकेट की दर से माचिस बिक रही है ;

(ख) क्या माचिस के लिये निर्धारित वास्तविक मूल्य 10 पैसे प्रति पैकेट है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औधोगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) माचिस डिब्बी (शिप ब्रान्ड) की कीमत 11–1–1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह में 10 पसे 18–1–1974 से 17–5–74 तक 12 पैसे तथा 25–5–74 से 26–7–74 तक 15 रही है (अधुन्नातम प्राप्त आंकड़े)।

(ख) (माचिस की कीमत पर कोई कंट्रोल (नियंत्रण) नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केसैट्स के गैर कानूनी निर्माण का पता लगाने के लिये फिलिप्स इंडिया लिमिटेड पर छापा मारा जाना

1760. श्री मधु लिमयेः क्या **इलक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलिप्स इंडिया लिमिटेड उचित लाइसेंस प्राप्त किये बिना केसैट्स का निर्माण कर रही थी ;

(ख) क्या पूना स्थित उनके कारखाने पर छापा मारा गया और केसैट्स के गैर कानूनी निर्माण के सम्बन्ध में प्रमाण बरामद किये गये, और

(ग) यदि हां, तो उक्त विदेशी कंपनी के विरूद्ध आगे और क्या कानूनी तथा अन्य कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केसैट्स के निर्माण के संबंध में फिलिप्स (इंडिया) के विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। इस बात का पता चला कि टेप रिकार्डरों के निर्माण के संबंध में, केवल परीक्षण उत्पादन किया गया था, जिसके लिये कम्पनी के पास आशय पत्र मौजूद था। कम्पनी सूत्रों के आधार पर जाना जाता है कि केसैट्स का नियमित उत्पादन कभी हाथ में लिया ही नहीं गया तथा यह परीक्षण उत्पादन भी बाद में बन्द कर दिया गया।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है।

विदेशी फर्मों द्वारा टेप-रिकार्डों का निर्माण और बिक्री

1761. श्री मधु लिमये : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों/फर्मों के नाम क्या हैं जो टेप-रिकार्डर बनाती हैं ;

(ख) टेप-रिकार्डरों के कुल वार्षिक उत्पादन और बिक्री में विदेशी कंपनियों का हिस्सा कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश विदेशी कंपनियां इन टेप-रिकार्डरों के पुर्जे टुटी फुटी हालत में खरीदती हैं और उनको पुनः जोड़ कर अत्यधिक मूल्यों पर बेचती हैं; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन कंपनियों/फर्मों का उनके मूल्यों में भारी कमी करने के लिये निर्देश देगी ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जिन कंपनियों ने टेपरिकार्डरों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है उनके नाम विवरण में दिये गये हैं । इनमें से किसी कंपनी में विदेशी साम्य नहीं है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

(i) **संगठित क्षेत्र**

1. मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर ।

(ii) **लघु क्षत्र**

2. मैसर्स आहूजा रेडियोज, नई दिल्ली ।
3. मैसर्स सुप्रिम इलैक्ट्रोनिक्स, दिल्ली ।
4. मैसर्स एस० के० इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली ।
5. मैसर्स टेलीविस्टा इलैक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
6. मैसर्स जैन रिडियो वर्क्स, दिल्ली ।
7. मैसर्स कलकत्ता ग्रामोफोन एजेंसी, दिल्ली ।
8. मसर्स प्रीति इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ।
9. मैसर्स जनरल रेडियो कोरपोरेशन, नई दिल्ली ।
10. मैसर्स सुमिको कोरपोरेशन, नई दिल्ली ।
11. मैसर्स जनरल इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली ।
12. मैसर्स पायोनियर, इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन, आगरा ।
13. मसर्स रेडियो कौर्डर इंडस्ट्रीज, सोनीपत ।
14. मैसर्स वेस्टन इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली ।
15. मैसर्स सिंह रेडियो क० (आई) लि०, दिल्ली ।
16. मैसर्स भट्टी इलक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन, वम्बई ।
17. मैसर्स कंजप इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज, मद्रास ।
18. मैसर्स रिसा एण्ड क०, मद्रास ।
19. मैसर्स यू० एम० एस० रेडियो फैक्टरी, कोयंबटूर ।
20. मैसर्स एटलस रेडियो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री प्रा० लि०, अहमदाबाद ।
21. मैसर्स ग्रेवल रडियो कम्पनी, लुधियाना ।
22. मैसर्स शर्मा इंजीनियरिंग कोरपोरेशन (प्रा०) लि०, चण्डीगढ़ ।
23. मसर्स मैक इलैक्ट्रोनिक्स (आई), अहमदाबाद ।
24. मैसर्स जैम्स इलक्ट्रोनिक्स, अहमदाबाद ।
25. मैसर्स महिन्द्र रेडियो एण्ड टेलीविजन कोरपोरेशन, मैरठ ।

टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिये नये कारखानों को लाइसेंस देने सम्बन्धी नियम

1762. **श्री मधु लिमये** : क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन उद्योग में पर्याप्त से अधिक उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिये किसी भी नये कारखाने को लाइसेंस न देने का वर्ष 1970 में नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के तकनीशियनों को इसी नीति सम्बन्धी निर्णय के कारण लाइसेंस नहीं दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाइसेंस के लिये उक्त नामंजूरी के बाद, इस नीति सम्बन्धी निर्णय की पूर्ण अवहेलना करते हुए नये कारखानों को वस्तुतः मंजूरी दी गई और उन्हें लाइसेंस दिया गया, और

(घ) यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी और क्या आंध्र तकनीशियनों के आवेदन-पत्रों को पक्षपातपूर्ण नामंजूरी पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नहीं, श्रीमान।

वस्तुत : संगठित तथा लघु दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत टी० वी० सेटों के निर्माण हेतु यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने के लिये संभावित उद्योगकर्ताओं से आवेदनपत्र आमंत्रित करने के विषय में एक निर्णय 1970 में किया गया था। विभिन्न राज्यों से अनेक आवेदन प्राप्त किये गये और इनकी पड़ताल एक समिति द्वारा की गयी जिसमें रक्षा पूर्ति विभाग (जो उस समय इलैक्ट्रोनिक्स से संबद्ध था) प्रौद्योगिक विकास महा निदेशालय (डी० जी० टी० डी०) तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यह भी निर्णय किया गया कि क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत भाग लघु क्षेत्र के लिये पृष्ठांकित कर दिया जाय।

(ख) आंध्र प्रदेश में, पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम भारतीय इलैक्ट्रोनिकस निगम लि० (20,000 सेट प्रति वर्ष) को तथा राज्य सरकार के एक उपक्रम आंध्र प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम (5000 सेट वार्षिक) को मंजूरी दी गयी। इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह विचारा गया कि हैदराबाद में जहां निकट भविष्य में टी० वी० केन्द्र स्थापित होने की संभावना नहीं, और अधिक यूनिटों को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है।

(ग) 1972 व 1973 में उच्च योग्यता प्राप्त प्रौद्योगिक उद्योगकर्ताओं को तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों को कुछ मंजूरियां और प्रदान की गयीं जिससे देश भर में क्षमता का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी की 'इन्दिरा ब्रिगेड' गठित करने का कार्य सौंपने का समाचार

1763. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली के एक भूतपूर्व कर्मचारी/अधिकारी श्री कौं को इन्दिरा ब्रिगेड गठित करने का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्री कों को यह कार्य कब से सौंपा गया है; और

(ग) क्या इस विशेष कार्य के लिये उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा ईंधन दक्षता तकनीक का विकास

1764. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषदों ने, जो औद्योगिक कारखानों को ईंधन दक्षता सम्बन्धी परामर्श दे रही है, एक ईंधन दक्षता तकनीक का विकास किया है। जिससे ईंधन लागत में 10 से 15 प्रतिशत कमी हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख) : राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ईंधन कुशलता परामर्शदायी सेवाएं प्रदान कर रही है जिससे उद्योगों को सुस्थापित प्रौद्योगिक सिद्धान्तों को अपनाने में सहायता मिलती है और जिसके द्वारा ईंधन की खपत में कमी की जा सकती है तो भी इससे ईंधन की लागत में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कमी करने के लिये कोई विशेष ईंधन कुशलता तकनीक का विकास नहीं किया है।

अखबारी कागज के उत्पादन के लिये चावल और पटसन का प्रयोग

1765. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज के कुछ विख्यात टेक्नोलाजिस्टों ने अखबारी कागज की समस्या के समाधान के लिये कागज की लुगदी तैयार करने हेतु चावल और पटसन सहित गैर परम्परागत कच्चे माल के प्रयोग का समर्थन किया है और सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो आगे आने के इच्छुक है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : लुगदी और कागज की विकास परिषद की बैठक में कागज के एक प्रौद्योगिकी विद (टेकनोलाजिस्टों) ने इस प्रकार का सुझाव दिया था। तकनीकी समिति मामले की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

केरल के पिछड़े जिले में उद्योगों की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र

1766. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) किन किन उद्योगों के लिये उक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुए और प्रत्येक मामले में ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने की क्या तारीख थी ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) केरल के पिछड़े जिलों में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिये नवम्बर, 1973 और जन, 1974 के मध्यम औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) : (केरल के पिछडे जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये आवेदन-पत्र)।

क्रम० सं०	उद्योग जिससे आवेदन पत्र संबंधित है	प्राप्त करने की तिथि	की गई कार्यवाही
1	कैपीसीटर्स	12-11-74	स्वीकृत
2	कैपीसीटर्स	12-11-74	स्वीकृत
3	औद्योगिक गैसें	1-1-74	रद्द कर दिया गया
4	कैल्सियम कारबाइड	21-2-74	रद्द कर दिया गया
5	कागज	25-3-74	स्वीकृत
6	सूती धागे	15-4-74	रद्द कर दिया गया
7	इस्पात की ढली हुई वस्तुएं	3-5-74	अनिर्णीत
8	क्रास्टल चीनी	21-5-74	अनिर्णीत
9	फाइवर ग्लास रिइन्फोर्सड प्लास्टिक प्राडक्टस्	23-5-74	अनिर्णीत
10	फोर्जिंग्स तथा स्पिंग्स	4-6-74	अनिर्णीत
11	से		
14	सूती धागे	13-6-74	अनिर्णीत
15	सूती धागे	19-6-74	अनिर्णीत

चौथी योजना के दौरान केरल तथा तमिल नाडु में बिजली उत्पादन और सप्लाई के लक्ष्य

1767. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना में केरल और तमिलनाडु में बिजली उत्पादन और सप्लाई का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया ;

(ख) इन राज्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन राज्यों में पांचवीं योजना में उस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : तमिलनाडु और केरल राज्यों में चौथी योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों को पूर्ण करने का लक्ष्य था :—

तमिलनाडू

1. बेसिन ब्रिज ताप विद्युत	1×30 मैगावाट
2. कोडायर जल विद्युत	1×60+1×40 मैगावाट
3. परिविकुलम अलियार जल विद्युत	1×60+2×35+1×25 मैगावाट
4. एंन्नोर ताप विद्युत	2×55+2×110 मैगावाट
5. एन्नोर ताप विद्युत विस्तार	1×110 मैगावाट
6. कुंडाह जल विद्युत चरण-चार	1×50+1×60 मैगावाट
7. नेवेली ताप विद्युत विस्तार	2+100 मैगावाट
8. कलपक्कम परमाणु	1+235 मैगावाट
कुल	1270 मैगावाट

केरल

कुट्टियाड़ी जल विद्युत	3×25 मैगावाट
इदिक्की जल विद्युत	2×130 मैगावाट
कुल	335 मैगावाट

(ख) और (ग) एन्नोर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (1×110 मैगावाट), कुंडाह जल विद्युत चरण-चार (1×50+1×160 मैगावाट) और कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र (1×235 मैगावाट) को छोड़कर तमिलनाडु में सभी स्कीमें चौथी योजना के दौरान चालू हो गई हैं । एन्नोर ताप विद्युत केन्द्र के मामले में इस्पात के देर से प्राप्त होने के अतिरिक्त परियोजना के अभिकल्पों में संशोधन के कारण भी प्रारम्भ में कुछ देरियां हुई । इस यूनिट के अब जून, 1975 में चालू होने की संभावना है । कुंडाह जल विद्युत परियोजना के मामले में देरी का मुख्य कारण उपस्करों की प्राप्ति करना था, जिसे अब आयात किया जा रहा है । यूनिटों के 1976-77 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है । कलपक्कम परमाणु बिजली केन्द्र के यूनिट का जून, 1977 में चालू हो जाना प्रत्याशित है ।

केरल में कुट्टियाडी परियोजना चालू हो चुकी है। बहरहाल, बार-बार की श्रमिक अशान्ति और सीमेन्ट की कमी के कारण इदिक्की परियोजना के पूर्ण होने में देरी हुई है। अब प्रथम यूनिट के जून 1975 में और दूसरे यूनिट के सितम्बर, 1975 में चालू होने की संभावना है।

(घ) पांचवी योजना में लाभ देने के लिए निम्नलिखित नई स्कीमें प्रस्तावित हैं :—

तमिलनाडू

1. सुरुलियार जल विद्युत	1 × 35 मैगावाट
2. तूतीकोरिन ताप विद्यत परियोजना	1 × 200 मैगावाट

केरल

1. इदिक्की जल विद्युत चरण-दो	3 × 130 मैगावाट
2. इदामलायार जल विद्युत	1 × 30 मैगावाट

संतत स्कीमों और पांचवी योजना के दौरान पूर्ण करने के लिए अनुसूचित स्कीमों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के हर कोशिश की जा रही है। राज्यों को इस्पात, सीमेन्ट आदि जैसी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार निगाह रखने के लिए बाधाओं को अभिज्ञात करने तथा समय पर दोषनिवारक उपाय करने के लिए एक मानीटरिंग संगठन गठित करने का प्रस्ताव है। कोयले की पर्याप्त माला प्राप्त करने को सुनिश्चित करने तथा तमिलनाडु में वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। नेवेली के दो विद्युत उत्पादन यूनिटों (2 × 50 मैगावाट) को लिग्नाइट की कमी के कारण तेल संचलन वाले यूनिटों में बदल दिया गया है ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके।

भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से पिक्चर ट्यूबें सप्लाई करने में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को प्राथमिकता देना

1768. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० से पिक्चर ट्यूबें सप्लाई करने के मामले में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० से पिक्चर ट्यूब्स के निर्धारण के संबंध में सरकार लोक एवं निजी क्षेत्रों के टी० वी० निर्माण कर्ता यूनिटों के बीच कोई भद नहीं करती। निजी क्षेत्रों में क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग लघ क्षेत्र यूनिटों के पास है, जिनका संगठन तकनीकी रूप से योग्य उद्योगकर्ता करते हैं।

इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकेन्द्रीकरण

1769. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग महाराष्ट्र, मैसूर और दिल्ली जैसे देश के कुछ भागों में ही केन्द्रित है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग को देश के अन्य भागों में विकेन्द्रीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) यह सच है कि इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महाराष्ट्र, मैसूर, एवं दिल्ली में अवस्थित है । तथापि, इन राज्यों में भी, उद्योग प्रमुखत: नगरीय क्षेत्रों जैसे बम्बई, पूना, बंगलौर और दिल्ली में केन्द्रित है । जहां तक बंगलौर का संबंध है, कुल इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादन में इसके ऊंचे योगदान का कारण यह है कि वहां पर भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० तथा इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० जैसे बड़े सरकारी क्षेत्र उपक्रम अवस्थित हैं । उद्योग को और अधिक साम्यिक आधार पर विकेन्द्रित करने के प्रयोजन से अब कम विकसित राज्यों को संगठित तथा लघु उद्योग दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने में वरीयता दी जा रही है ।

टैलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

1770. श्री सी० के० चन्द्रप्पन क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या जिन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए सरकार ने लाइसेंस जारी किये हैं. उनके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 2500 टी० वी० सैट के वार्षिक उत्पादन के लिये (सामान्यत: इतनी ही क्षमता लघु क्षेत्र यूनिटों को प्रदान की जाती है) 2 लाख रुपयों से कम मूल्य के पूंजीगत सामान की आवश्यकता होती है, जहां अधिक क्षमता विद्यमान है, वहां विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बढ़ कर तीन लाख रुपये हो जाती है । चालू आयात नीति के अंतर्गत, स्वदेश में न मिलने वाले घटकों के आयात के लिए टी० वी० सेट निर्माता को रु० 60/– प्रति सेट का एक लाइसेंस दे दिया जाता है । इसके अलावा, ग्लास बल्बों के आयात हेतु भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर के लिए लगभग रुपये 120/- प्रति पिक्चर ट्यूब की व्यवस्था की गयी है । इस भांति, सम्यक रूप से, एक टी० वी० रिसीवर का सीधा आयात अंश रुपये 180/- है ।

(ख) अब तक जारी लाइसेंसों की कुल संख्या संगठित क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1,05,000 टी०वी० सेट की क्षमता के साथ 10 है तथा लघु क्षेत्रों में 67, जिसकी क्षमता 2,16,800 सेट प्रतिवर्ष है । 1973 में लगभग 75,000 टी० वी० सेट उत्पादित किए गये और इस प्रकार 1.35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध की गयी ।

लद्दाख में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना

1771. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के निर्माण में सहायता देने और हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : सम्पूर्ण जम्मू और काश्मीर राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष राज सहायता और परिवहन राज सहायता योजनाओं का पात्र है और उद्यमी इनका और राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली अन्य छूटों का लाभ उठा सकते हैं।

लद्दाख क्षेत्र के प्रारम्भिक सर्वेक्षण से लकड़ी, चमड़ा, खाद्य परिष्करण, सामान्य इंजीनियरी और मोटर गाड़ी मुरम्मत जैसे उद्योगों की स्थापना किये जाने की संभावना का पता लगता है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से दस्तकारी तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी समिति

1772. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के मामले पर विचार करने के लिए इस बीच कोई समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ,

(ग) समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए नीति अपनाने और कार्यक्रम बनान के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठत।

देश में साम्प्रदायिक दंगे

1773. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **गृह** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974 की अवधि में देश में प्रत्येक राज्य-संघ राज्य क्षेत्र में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक दंगे में कितने व्यक्ति मरे और कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) प्रत्येक दंगे में अनुमानतः कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ; और

(घ) इन दंगों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

(घ) साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए किए गये उपायों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है जिससे धारा 153 के अधीन किए गये अपराधों के लिए दी गई सजा चुनावों के प्रयोजन के लिए एक अयोग्यता ठहराना, अफवाह फैलाने तथा सनसनीखेज समाचारों तथा विचारों को छापना अपराध घोषित करना, सेनाओं जैसे संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना, और साम्प्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न अपराधों से निपटने के लिए तत्काल विचारण हेतु विशिष्ट न्यायालय गठित करना शामिल है । केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर विशिष्ट आसूचना दस्ते गठित करने, साम्प्रदायिक दंगे न होने देने अथवा रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने क लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को उत्तरदायी ठहराने, साम्प्रदायिक दंगों के दौरान किए गये अपराधों की जांच करने के लिए विशिष्ट जांच दल बनाने, राज्य जिला तथा थाना स्तरों पर एकता समितियां गठित करने के लिए भी कदम उठाए गये हैं ।

Raid on Houses of Officers of Engineering Department of M.C.D.

1774. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether officers of the Central Bureau of Investigation had raided the houses of certain officers of the Engineering Department of Delhi Municipal Corporation in Karol Bagh area during the second fortnight of May, 1974;

(b) whether some cases of corruption have been brought to light as a result thereof; and

(c) if so, the results of the enquiries conducted in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) : Yes, Sir.

(b) & (c) : Investigation of the case is still in progress and results are yet to be finalised.

Loans and Grants to U. P. and Bihar for Gandak Project in 1973-74 and 1974-75

1775. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the amount of loans and grants given by the Central Government to the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar for the Gandak Project during the financial year 1973-74 and that proposed to be given during 1974-75?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : The central assistance to the States is being provided in the form of block loans and grants and is not related to any individual head of development or project. However, the Government of India have been giving grants-in-aid to the State Governments for executing Nepal Benefit schemes of the Gandak Project. The grant-in-aid given to the Governments of Bihar and Uttar Pradesh during 1973-74 was Rs. 100 lakhs and Rs. 6·50 lakhs respectively. It is proposed to give a grant-in-aid of Rs. 100 lakhs and Rs. 5·79 lakhs during 1974-75 to Bihar and Uttar Pradesh respectively.

इस्पात संयंत्रों के लिये रक्षित बिजलीघर

1776. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के लिए रक्षित बिजलीघरों और कोयला धावनशालाओं के लिए छोटे जेनेरेटिंग सेटों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केपटिव विद्युत संयंत्रों के प्रस्तावों पर प्रत्येक के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है । इस्पात संयंत्रों या कोयला वाशरियों के मामले में किन्हीं ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के ओखला गांव में हुआ कांड

1777. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के ओखला गांव में हुए उस कांड की जानकारी है जिसमें एक विवादग्रस्त भूखंड से अनधिकृत कब्जाधारियों को निकालने के प्रयास में कुछ लोगों को छुरे घोंप दिये गये थे और झुग्गियां जला दी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् । 2–6–1974 को एक व्यक्ति मोहम्मद नसीन ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि ओखला में एक निजी भूखण्ड पर कुछ झुग्गियां थीं । इन झुग्गियों के साथ की भूमि को चार व्यक्तियों ने समतल करना आरम्भ किया और दावा किया कि वह भूमि खण्ड उन्होंने खरीदा है । झुग्गियों में रहने वालों ने इसका विरोध किया जिसके परिणाम-स्वरुप झगड़ा हो गया । घासफूस की एक झोंपड़ी को आग लगा दी गई जिसके कारण लगभग 30/- रूपये की क्षति हुई । कोई भी व्यक्ति आग से घायल नहीं हुआ था । झगड़े में तीन व्यक्ति अन्य रूप से घायल हुए ।

हत्या करने का प्रयास करने तथा आग लगाने की शरारत करने के लिए उसी दिन एक मामला दर्ज किया गया था । कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया था । इस मामले की जांच लगभग पूरी होने वाली है ।

न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिये अनुदार केन्द्रीय सहायता

1778. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिए राज्यों को उदार शर्तों पर केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सहित, पांचवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता जिन सिद्धान्तों तथा प्रणालियों के आधार पर आवंटित की जायेगी वे योजना आयोग के विचाराधीन हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिया जायेगा। अतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता की शर्तों के बारे में उसी के बाद पता चलेगा।

हरियाणा को अबोहर तथा फाजिल्का क्षेत्रों का अन्तरण

1779. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 के पंचाट में अबोहर और फाजिल्का के क्षेत्रों को हरियाणा को अन्तरण करने के बारे में आवश्यक कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये कदम कब तक उठाये जायेंगे ताकि पांच वर्षों अर्थात जनवरी, 1975 तक की अवधि के समाप्त होने से पहले ही उन क्षेत्रों के अन्तरण के समय वहां के लोगों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई असुविधा न हो ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (ग) 29 जनवरी, 1970 को घोषित किए गए केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार इन क्षेत्रों का हरियाणा को हस्तान्तरण पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान अन्तर्राज्यीय सीमा के पुनः समायोजन के लिए दावों तथा प्रतिदावों पर विचार करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले आयोग की सिफारिशों पर हस्तान्तरण के बारे में किए जाने वाले निर्णय के साथ किया जायेगा। फाजिल्का-अबोहर क्षेत्रों के साथ-साथ कथिक घोषणा से संबंधित विभिन्न मामले राज्य सरकारों के विचार विमर्श से विचाराधीन हैं।

जम्मू तथा काश्मीर डाक-सर्किल

1780. श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर डाक-सर्किल की स्थापना के समय वहां डाक तथा इंजीनियरिंग डिवीजनों, टैलीफोन कनेक्शनों, डाकखानों, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और काल आफिसों की संख्या कितनी थी,

(ख) हिमाचल प्रदेश में इनमें से प्रत्येक श्रणी में संख्या कितनी है ;

(ग) क्या एक अलग डाक-सर्किल की स्थापनाकी मांग सरकार क विचाराधीन है और अधिक कार्य भार को ध्यान में रखते हुए यह न्यायोचित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किस तारीख तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रायल में राज्य मंत्री प्रो० शेर सिह : (क) यह सूचना नीचे दी जा रही है :—

(1)	डाक डिवीजन	2
(2)	इंजीनियरी डिवीजन	2
(3)	टेलीफोन कनेक्शन	3,376
(4)	डाकघर	887
(5)	पी० सी० ओ०	35
(6)	संयुक्त डाक-तारघर	76

(ख) हिमाचल प्रदेश म फिलहाल इनकी संख्या इस प्रकार है :—

(1)	डाक डिवीजन	5
(2)	इंजीनयरी डिवीजन	2
(3)	टलीफोन कनेक्शन	4,145
(4)	डाकघर	1,774
(5)	पी० सी० ओ०	224
(6)	संयुक्त डाक-तार घर	183

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग डाक-तार सर्किल की मांग रही है । इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और आर्थिक तंगी के कारण फिलहाल इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा

1781. श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों को देश के किसी पर्वतीय अथवा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए रेलवे लाइनों आदि की तरह का आधारभूत ढांचा बनाने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के लिए आधारभूत ढांचा बनाने की सिफारिश करेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश में पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना के सुविधाओं सहित इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम बनाने हेतु औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से ज्ञात हुआ है उन्होंने रेल मंत्रालय से निम्नलिखित रेलवे लाइनों का औद्योगिक कौम्पलैक्सों तथा मण्डियों तक विस्तार करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

कालका से परवानू तक जगाधरी से पौंटा और राजबन तक नांगल से तलवाड़ा संसारपुर टौरेस तक ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा उपकरणों का निर्यात

1782. श्री पी० गंगादेव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज ने गत तीन वर्षों में उपकरणों का निर्यात किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य के उपकरणों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या कुछ क्रया देश लम्बित पड़े हैं ; और

(घ) कुल कितने तथा किन-किन देशों को सामान भेजा जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 116.96 लाख रुपये ।

(ग) जी हां ।

(घ) 36 देशों के नाम विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

जिन देशों को इण्डिय टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्यात किया गया है उनके नाम नीचे दिये गए है :

अफगानिस्तान, मिश्र का अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, बर्मा, कनाडा, इथोपिया, घाना, गिनी, ग्रीस, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, जार्डन, कीनिया, कुवैत, लीबिया, मलयेशिया, नैपाल, न्यूजीलैण्ड, नाइजेरिया, फिलीपाइन्स, दक्षिण वियतनाम, दक्षिण यमन, श्रीलंका, सिंगापुर, सिक्किम, सोमाली लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तंजानिया, थाइलैण्ड, ब्रिटेन, रूस, यूगाण्डा और जाम्बिया ।

दिल्ली में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1783. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीफोन कनेक्शनों की भारी मांग को पूरा करने तथा दिल्ली में, मई, 1971 से इस उद्देश्य के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों के निपटान की दृष्टि से सरकार निकट भविष्य में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 5वीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली में अनेक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय पहले ही कर लिया गया है।

(ख) 5वीं योजना के दौरान दिल्ली में जितनी टेलीफोन लाइनों के लगाए जाने की संभावना है, उनकी वर्ष वार संख्या इस प्रकार है।

1974–75		3800 लाइनें
1975–76		10500 लाइनें
1976–77		11500 लाइनें
1977–78		19000 लाइन
1978–79		31500 लाइनें
	योग	76300 लाइनें

मिसिलिमी के निकट सीमा सुरक्षा दल के गश्ती दस्ते पर सशस्त्र नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना

1785. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल ने 17 जून, 1974 को मिसिलिमी के निकट सीमा सुरक्षा दल के एक गश्ती दस्ते पर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा दल के कितने कर्मचारी घायल हुये अथवा मारे गये ; और

(ग) ऐसे नागा विद्रोहियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन आपरेटरों की भर्ती

1786. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन आपरेटरों की आगे नियुक्ति करना पूर्णतया बंद कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह आदेश कब से लागू किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राक फास्फेंट की बिक्री से उपलब्ध आय को राजस्थान की राज्य योजनाओं के वित पोषण के लिए लगाना

1787. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को राक फास्फेट की बिक्री से उपलब्ध आय को राज्य योजनाओं के वित पोषण के लिये उपयोग करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि के पश्चात् भी राजस्थान सरकार द्वारा बेची गई राक फास्फेट का मूल्य आयातित फास्फेट के मूल्य से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या राज्य सरकार को आयातित फास्फेट के समतुल्य मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राक फास्फेट की बिक्री से उपलब्ध आय राज्य के कुल संसाधनों का भाग है, जिसे राज्य सरकार योजना को धन उपलब्ध करने और गैर-योजना खर्च जिस के लिए भी चाहे खर्च करने के लिए स्वतंत्र है ।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीमान्त राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता

1788. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के पश्चिम प्रदेशों के गत तीन पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान नष्ट हुए क्षेत्रों के विकास के लिए सीमान्त राज्यों को कोई विशेष वित्तीय सहायता दी है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए किन किन प्रदेशों/नगरों को चुना है और क्या बारमेड़ और जोधपुर भी सूची में सम्मिलित हैं और इन प्रदेशों के विकास के लिये अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं , तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) वांछित सूचना, यदि कोई हुई तो, उसे सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से प्राप्त किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

रवीन्द्र रंगशाला, दिल्ली में चलचित्रों क प्रदर्शनों पर मनोरंजन कर की छूट

1789. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रवीन्द्र रंगशाला, दिल्ली में चलचित्रों के प्रदर्शनों पर मनोरंजन-कर की छूट दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन की कर प्राप्ति की हानि को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) यह दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में यातायात नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन

1790. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही के महीनों में यातायात नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यातायात नियमों एवं विनियमों के पालन के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) वर्ष 1974 के प्रथम 6 महीनों में यातायात के नियमों तथा विनियमों के उल्लंघनों के लिए दर्ज किए गये मामलों की संख्या में गत वर्ष इसी अवधि में दर्ज की गई की संख्या से थोड़ी वृद्धि हुई है ।

(ख) यातायात के नियमों तथा विनियमों का पालन करने के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) मार्गों का प्रयोग करने वालों को महत्वपूर्ण मार्गों के चौराहों से सार्वजनिक सम्बोधन के उपकरणों द्वारा घोषणाओं तथा विज्ञप्तियों व इश्तहारों के द्वारा यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

(2) दुर्घटनाओं तथा मार्ग उल्लंघन की संख्या को कम करने की दृष्टि से मार्गों का प्रयोग करने वाले विभिन्न वर्गों को मार्ग सुरक्षा की शिक्षा देने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठशाला के बच्चों को व्याख्यान तथा प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके मार्ग सुरक्षा की शिक्षा दी जाती हैं ।

(3) इर्विन रोड पर स्थित यातायात प्रशिक्षण पार्क में यातायात पुलिस द्वारा बच्चों को मार्ग सुरक्षा की शिक्षा दी जाती हैं ।

(4) दिल्ली यातायात पुलिस ने अनेक पाठशालाओं में एक "स्कूल रोड सेफ्टी कार्पस" संगठित किया है जिसमें कैडटों को प्राथमिक यातायात नियंत्रण तथा अनेक मार्ग सुरक्षा नियमों का पालन करन में प्रशिक्षण दिया जाता है । छात्रों, अध्यापकों, व्यापारिक तथा निजी वाहनों के चालकों म मार्ग सुरक्षा की चेतना जाग्रित करने के लिए यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको व्याख्यान दिए जाते हैं ।

टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन

1791. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छपाई के कागज की भारी कमी के कारण सरकार का विचार देश में प्रत्येक वर्ष टेलीफोन डाइरेक्टरी प्रकाशित न कराने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : वर्ष 1971 तक कुछ इकाइयों की टेलीफोन डाइरेक्टिरियां छ :–छ : महीने में छपती थीं। छपाई के कागज की कमी के कारण अक्तूबर, 1971 में यह तय किया गया था कि सभी टेलीफोन डाइरेक्टरियां वर्ष में एक बार ही प्रकाशित की जाएं ।

देश में टेलीफोन डाइरेक्टरियों के प्रकाशन की वार्षिक आवधिकता में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विद्युत् संकट

1792. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई, 1974 तक राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्यप्रदेश में विद्युत की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका इन राज्यों में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : मई, जून और जुलाई, 1974 के महीनों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई स्थिति आसान ही रही है और इन दोनों राज्यों में बिजली की कोई कटौतियां/पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी बिजली की स्थिति और खराब नहीं हुई है ।

आंध्र प्रदेश में कृष्णा के जल के उपयोग के लिए श्री सैलाम पनबिजली परियोजना को सिंचाई परियोजना में परिणित करना

1793. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायलसीमा विकास तथा योजना बोर्ड के सम्मेलन ने सरकार से अनुरोध किया है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के विकास के लिए कृष्णा के जल के उपयोग हेतु श्री सैलाम पनबिजली परियोजना को सिंचाई परियोजना में परिणित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) रायलसीमा विकास और आयोजन बोर्ड के सम्मेलन से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, कई अन्य स्त्रोतों से

इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें एक वह भी सम्मिलित है जो कि उन विधायकों, संसद सदस्यों तथा जिला परिषद के अध्यक्षों से प्राप्त हुआ है जो 1–7–1974 को हैदराबाद में सिंचाई और विद्युत मंत्री को मिले थे।

(ख) इस मामले में कार्यवाही, कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट, वर्तमान स्थिति, जल की उपलब्धता तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है।

उपक्रम स्थापित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आशयपत्र जारी करना

1794. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को एक आशयपत्र जारी किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

(क) जी हाँ।

(ख) नये उपक्रम स्थापित करने हेतु नवम्बर 1973 से जून 1974 की अवधि में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन को 8 आशय पत्र जारी कि' गये हैं। संलग्न विवरण में इस आशय पत्रों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को नये उपक्रम स्थापित करने हेतु नवम्बर 73 से जून 74 की अवधि में जारी किये गये आशय पत्र दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	बनायी जाने वाली वस्तु तथा क्षमता
1	2	3	4
1.	मे० आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० फतेह मैदान रोड, हैदराबाद–4.	आन्ध्र प्रदेश	खाल से तैयार चमड़ा बनाना प्रति वर्ष 2 लाख
2	वही	कुर्नूल आन्ध्र प्रदेश	पेपर ग्रेड लुगदी तथा लिखाई व खफाई का कागज़ प्रति वर्ष 35 हजार मीट्रिक टन

क्रमाँक	उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	बनायी जाने वाली वस्तु तथा क्षमता
3	मैं० आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० फतेह मैदान रोड हैदराबाद-4	आंन्ध्र प्रदेश कोठागुडम	1. कोल्ड राल्ड स्ट्रिप्पस 2. 12000 मी० एम० प्रति वर्ष
4	वही	आंध्र प्रदेश	1. 143 मिलियन एम० 3 2. एसिटिलीन-0.40 मिलियन एम० 3
5	वही	आ० प्र०	कैल्सियम कार्बाइड 33000 मी० प्रति वर्ष
6	वही	वारंगल आ० प्र०	रेयान ग्रेड लुगदी 26,250 मी० टन
7	वही	आ० प्र०	पावर ट्रांसफार्मरस 132 के० वी० ए० तक 1000 एम० वी० ए०
8	वही	रायलसीमा जिला आ० प्र०	जी० एल० एस० लैम्पस 7.5 मिलियन

छपाई के सफेद कागज के उत्पादकों पर लेवी

1795. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने छपाई के सफेद कागज का उत्पादन करने वाले उत्पादकों पर लेवी लगाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं। हां, उद्योग 2 लाख मी० टन तक प्रति वर्ष छपाई के सफेद कागज का उत्पादन बढ़ाने और उसे शैक्षिक क्षेत्र एवं सरकार के लिए उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। उत्पादन कर्त्ताओं द्वारा उपयुक्त उत्पादन ढांचे का सुनिश्चय किये जाने के लिए सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है।

Creation of L.S.G. Posts

1796. **Dr. Laxminarayan Pandeya.**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Third Pay Commission has made certain recommendations in respect of lower selection grade in R.M.S.;

(b) whether on the basis of these recommendations of the Director General, Posts and Telegraphs, New Delhi, vide his orders dated 14th March, 1974, directed all the PMGs to create L.S.G posts in the light of these recommendations; and

(c) the names of the circles in Madhya Pradesh where these orders have been implemented and the time likely to be taken in their implementation in the remaining circles ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Madhya Pradesh has a P & T Circle. There are no other Circles in it. The subordinate RMS administrative Units are RMS Divisions, viz. 'MP', 'JB' and 'ID'. In all these three Divisions the orders have been fully implemented.

Opening of P.C.Os. in Villages of Pali District.

1797. **Shri M. C. Daga**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of villages in Pali District where P.C.Os. are proposed to be set up during the current year and the time by which the P.C.Os. will be set up; and

(b) whether P.C.Os. will be opened in villages Nadol, Radawas and Chandawal during the current year and if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh):

(a) The three villages viz. Rohat, Jawal and Kintalia in Pali District are proposed to be provided with P.C.O. by end of March, 1975.

(b) No Sir. The proposals have been examined earlier and were found unremunerative.

एक टिप्पर ट्रक पर चढ़ाया गया 'मोबाइल लांचर'

1798. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एच०–300 की दो किस्मों अर्थात् एम० के०–1–एस० और एम० के०–2–एस० के लिये एक टिप्पर ट्रक पर चढ़ाये गये 'मोबाइल लांचर' को बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न उपयोग कौन-कौन से हैं जिस के लिये ऐसे लांचर को इस्तेमाल किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हां ।

(ख) मोबाइल होने के कारण, इस लांचर को विभिन्न स्थानों से प्रक्षेपण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह अधिक नमनीयता प्रदान करता है ।

तारापुर परमाणु बिजली घर में त्रुटियां

1799. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसमिशन लाइन की समस्याओं से उत्पन्न होने वाले रिएक्टर एक्रेम श्रृंखला के कारण तारापुर परमाणु बिजलीघर की प्रथम यूनिट में गम्भीर ईंधन सम्बन्धी त्रुटियां पैदा हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार करने और ट्रान्समिशन लाइनों के फेल हो जाने से परमाणु बिजलीघर के रिएक्टरों को क्षति न पहुंचने देने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा सन्देह है कि गत वर्ष ट्रांसमिशन लाइनों की त्रुटि के कारण तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली के लोड में हुए परिवर्तनों तथा ट्रिपों के कारण बिजलीघर के पहले यूनिट के ईंधन के कुछ बंडलों में दोष उत्पन्न हो गये हैं । इन दोषों की मात्रा का पता लगा सकना तभी सम्भव होगा जब इस यूनिट के रिऐक्टरों को ईंधन बदलने के लिए अगली बार बंद किया जायेगा और ईंधन के बंडलों की जांच की जायेगी ।

(ख) यदि ईंधन के किन्हीं बंडलों को दोषपूर्ण पाया गया तो उन्हें अगली बार ईंधन बदलते समय बदल दिया जायेगा । तब तक के लिए, ईंधन के बंडलों की रैखिक ताप की दर को सावधानी पूर्वक नियंत्रित रखा जा रहा है ताकि बंडलों में और ज्यादा खराबी न आने पाये ।

ट्रांसमिशन लाइन में दोष उत्पन्न होने के कारणों का पता लगानें तथा उन्हें दूर करने के लिए समुचित उपाय सुझाने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड तथा टाटा पावर कम्पनी के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने हाल ही मे अपनी सिफारिशें दे दी हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सभी सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा किया जाता है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

गलत सूचना देने वाले स्वतन्त्रता सेनानी

1800. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **गृह** मंत्री 3 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 129 मामलों में एक नाम श्री प्राणनाथ चोपड़ा, जनरल सेक्रेटरी, हिन्दुस्तान फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, का भी है ; और

(ख) क्या उनके विरुद्ध चल रही जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन की एक विशेष समिति द्वारा उनकी राजनीतिक यातनाओं की जांच की गई है । दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनकी अस्थायी पेंशन स्थगति कर दी गई है । उनसे कारण बताने के लिये कहा गया है कि उनकी पेंशन क्यों न रद्द कर दी जाय ।

गलत सूचना देने वाले स्वतन्त्रता सेनानी

1801. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री 3 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गलत सूचना देकर स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन पाने वाले कितने मामलों में उन व्यक्तियों की पेंशन रोक दी गई है ; और

(ख) उन संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, विधान सभा के विधायकों तथा विधान सभा के भूतपूर्व विधायकों तथा अन्य प्राधिकारियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके प्रमाणपत्रों के आधार पर ये व्यक्ति पेंशन पाने में सफल हुये हैं और उनके खिलाफ सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही करने का निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ0 एच0 मोहसिन) : (क) 175 मामलों में पेंशन स्थगित/रोक दी गई है ।

(ख) इन सब मामलों के नाम तथा पते देना सम्भव नहीं है । किन्तु, जांच पूरी होने पर यदि पेंशन गलत ढंग से स्वीकृत की गई पाई जाती है तो उसे रद्द कर दिया जायगा और वसूली इत्यादि के संबंध में आगे कार्यवाई प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर की जायेगी ।

बदरपुर संयंत्र के प्रबंध को दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों को सौंपना

1802. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों ने लिखा है कि बदरपुर संयंत्र के प्रबंध को उन्हें सौंप दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण को केन्द्रीय परियोजना के रूप में करने पर सहमति देते समय दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत यह अनुबन्ध किया था कि पूर्ण हो जाने पर इस परियोजना का प्रचालन और अनुरक्षण उनके सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) इस संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

आसाम में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का तैनात किया जाना

1803. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य के हाल ही में खाद्यान्नों तथा अधिक मूल्यों के विरूद्ध विद्यार्थियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कितने बटालियन अथवा कम्पनियां और कर्मचारी तैनात किए गए ;

(ख) क्या गोहाटी विश्वविद्यालय के उपकुलपति और रजिस्ट्रार ने 25 जून, 1974 को विद्यार्थियों द्वारा आयोजित आसाम बन्द के दौरान सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यादतियों के कारण सरकार से विरोध प्रकट किया है ;

(ग) क्या उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों ने 25 जून, 1974 को सम्बद्ध अधिकारियों से अनुमति लिए बिना विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया था, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए असम सरकार को सीमा सुरक्षा बल की 5 कम्पनियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 28 कम्पनियां उपलब्द्ध कराई गई थीं ।

(ख) तथा (ग) : केन्द्र सरकार को ऐसा कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Seizure of Commodities which are in short supply

1804. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether commodities which are in short supply like steel, dalda, soap have been seized in Delhi and other places recently ;

(b) if so, the quantity thereof;

(c) whether any action has been taken by the Government against the hoarders; and

(d) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)

(a) & (b) : 401 kgs. of dalda (Hydrogenated Vegetable Oil), 1163 soap cakes and 36 kgs. washing soap have been seized in Delhi under the Essential Commodities Act and Defence of India Rules. There is no licensing or distribution control on iron and steel under any Order issued by the Delhi Administration under the Essential Commodities Act/Defence of India Rules.

In so far as other places outside Delhi are concerned, Government have no information. However, all the State Government including Union Territories other than Delhi have been addressed in the matter.

(c) & (d) : Cases have been registered under the Essential Commodities Act, 1955 and the Defence of India Rules, 1971 against the dealers from whom hydrogenated vegetable oil and soap were seized. These cases are pending in the Law Courts.

Telephone Billing in Kota

1805. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether P&T counting machine installed in Kota, Rajasthan which indicates the number of telephone calls made, is lying defective for the last few months;

(b) whether some traders have been billed to the extent of Rs. 300 instead of Rs. 30/; and

(c) how the cases of these traders will be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) :

(a) Telephone calls made by each subscriber are recorded on a separate meter associated with his telephone number. The meters of the telephone subscribers of Kota telephone system are functioning satisfactorily.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Setting up of a Thermal Power Station at Kota, Rajasthan

1806. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a Thermal Power Station is being set up at Kota, Rajasthan;

(b) if so, the date on which the work is likely to be started; and

(c) the time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (c) : The Rajasthan Government have proposed the setting up of a 400 MW thermal power station at Kota. The project is not included in the Fifth Plan.

फ्रांस द्वारा भारतीय उपग्रह के लिये प्रस्तावित 'ट्रैकिंग' सुविधाएं

1807. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी कोस्मोड्रोम से छोड़े जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह के लिए फ्रांस ने ट्रैकिंग सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्या बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है ।

दिल्ली में छात्रों को जाली प्रमाणपत्र दिये जाना

1808. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे अनुसूचित जाति/जनजाति के जाली प्रमाणपत्रों का सूत्र जानने के लिए कोई जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष 1974 के दौरान दिल्ली पुलिस ने जाली अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्रों द्वारा दिल्ली के कालेजों में प्रवेश पाने की शिकायत पर तीन आपराधिक मामले दर्ज किए हैं । अब तक की गई जांच से मालूम हुआ है कि जांच किए गये संदिग्ध 335 छात्रों में से 17 अनुसूचित जाति के नहीं थे ।

तकनीकी ज्ञान का आयात करने वाले निर्माण एककों को उसका आत्मसात करने के लिए सहायता

1809. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तकनीकी ज्ञान का आयात करने वाले निर्माता एककों, सी० एस० आई० आर० लवोरेटरीज तथा परामर्शदाता फर्मों को विकसित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे ये निर्धारित अवधि में विदेशी तकनीकी ज्ञान को आत्मसात कर सकें ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): भारत सरकार, देश में प्रौद्योगिकी के आयात करने वाली विभिन्न औद्योगिक फर्मों को प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने तथा विदशी सहयोग के लिए सामान्यत: स्वीकृत समय की समाप्ति से पहले ही स्वयं प्रयत्न करके उसे और उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन देती रही है । यह कार्य स्वयं उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं की स्थापना को बढ़ावा दे कर तथा अनुसंधान और विकास के लिए उपस्कर, कच्चा माल आदि का आयात करने में सहायता देकर किया

जा रहा है । प्रौद्योगिकी का आयात करने वाली फर्मों को सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं तथा ऐसी परामर्शी फर्मों के साथ संबंध जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो उन विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती हैं जिनके लिए प्रौद्योगिकी का आयात आयतित प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने तथा उसको उन्नत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है ।

पश्चिमी घाट के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग

1810. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम घाट क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में कोई बैठक हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पश्चिम घाट के लिए समेकित विकास योजना तैयार करने के वास्ते दिसम्बर, 1973 में एक समिति का गठन किया गया था। जिसमें महाराष्ट्र तमिलनाडू, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गोवा के मुख्य मंत्री हैं । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं । समिति की पहली बैठक बम्बई में 25 जुलाई 1974 को हुई थी जिसमें पश्चिमी घाट के समेकित विकास के प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण से संबंधित अनेक लेख भाग लेने वाली सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गये और उन पर व्यापक रूप से विचार विर्मश हुआ । क्षेत्र के विकास के लिए परमाणु उर्जा के उपयोग करने के बारे में इस बैठक में कोई भी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किए गये ।

प्रत्येक सिनेमा-टिकट पर पांच पैसा उपकर लगाने का प्रस्ताव

1811. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक सिनेमा-टिकट पर पांच पैसा उपकर लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस बारे में फिल्म उद्योग से भी विचार विमर्श कर लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में फिल्म उद्योग के क्या विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक प्रस्ताव विचाराधीन है । यदि सिनेमा के विकास के लिये उपकर के माध्यम से स्रोतों को जुटाना सम्भव हो सके तो सरकार को प्रसन्नता होगी ।

(ख) तथा (ग) फिल्म उद्योग के विभिन्न पक्षों के विचारों पर समुचित ध्यान दिया गया है ।

पांचवीं योजना में उद्योगों और खानों के विस्तार के लिये धनराशि का नियतन

1813. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भाव्यता और लाभप्रदता की दृष्टि से आयात समाप्त करने और निर्यात बढ़ाने की कई अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही किस्मों के रसायनों के उत्पादन में बृद्धि करने के लिये पांचवीं योजना में उद्योगों और खनन क्षेत्रों के लिये सरकार ने कुछ राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) और (ख) : पांचवीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज का प्रारूप, जिसे पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है, में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन में वृद्धि की कल्पना की गई है ताकि उनकी आन्तरिक और बाह्य मांग की पूर्ति की जा सके । रसायनों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र कार्यक्रमों पर पांचवीं योजना के दौरान जो परिव्यय लगेगा और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1978–79 में क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य पांचवीं योजना दस्तावेज के प्रारूप में उद्योग और खनिज अध्याय के साथ संलग्न अनुबन्ध 2 और 3 में बताये गये हैं ।

सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि

1814. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने टेरिफ आयोग की सिफारिश के अनुसार सीमेंट उद्योग के इस मामले पर स्वीकृति दे दी है कि जब भी सीमेंट के लिये मुख्य कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो सीमेंट के धारण मूल्य में स्वतः वृद्धि कर दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की रूपरेखा क्या है तथा इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना सीमेंट उद्योग तथा उस पर जारी किये गये सरकारी संकल्प से सम्बन्धित प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट में दी गयी है जिसकी प्रतियां 1 अगस्त 1974 को लोक सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

ग्रामीण विदयुतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

1815. **श्री झारखंडे राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों के अन्य 2,400 गांवों में बिजली पहुंचाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने मई, 1974 में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की 36 स्कीमें स्वीकृत की थीं जिनमें 11.33 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है। इन स्कीमों में 239 ग्रामों के विद्युतीकरण और 16306 पम्पों का ऊर्जन परिकल्पित है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8138/74]

Correspondence in Hindi in Central Offices in Hindi-Speaking States

1816. **Shri M. C.Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether some Central Offices located in certain Hindi speaking States are not doing corres pondence in Hindi and if so, the names of such States ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : Instructions have been issued that Central Offices located in Hindi-speaking States should progressively correspond in Hindi among themselves or with he Departments/Ministeriesof the Government of India. As regard correspondence with the Hindi-speaking States, the diretions are that it should be in Hindi. The compliance of these instructions is insisted upon and is being watched by the respective Departments and Minstries. When-ever any lapse comes to notice. suitable remedial measures are suggested. It is not possible to indicate particulars of offices where these instructions are not being fully complied with.

Loss Incurred on Irrigation Projects in States

1817. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a loss of Rs. 173 crores has occurred from the irrigation projects of all the States during 1973-74;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) The total expenditure incurred on the irrigation projects during the Fourth Five Year Plan and the extent of loss suffered or profit earned as a result thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : (a)to(c) Irrigation projects are designed to increase agricultural production, and the economies of such projects are assessed on the bene fitcost ratio approach. Generally, all irrigation projects taken up have a favourable ratio of benefits to costs. However, due to low water rates char-ged by the State Governments,

increasing cost of construction and maintenance of projects, and lag in utilisation of created potential, the revenues to Government have progressively fallen short of expenditure and in that context, Government revenues have suffered a loss.

The total expenditure incurred on irrigation projects by the States during the Fourth Plan was about Rs. 1,186 crores. The extent of loss assessed in 1971-72 the latest year for which information is available, was about Rs. 140 crores.

केरल के कन्नानूर जिले में पजस्सी सिंचाई परियोजना क्षेत्र को जल की सप्लाई

1818. श्री एम० के० कृष्णन :

श्री ए० के० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूमिगत टनल के कारण पजस्सी सिंचाई परियोजना क्षेत्र, मट्टनपुर, जिला कन्नानूर, केरल में घरों के सभी कुंओं के सूख जाने तथा उसके परिणामस्वरूप जल के भारी अभाव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र को जल की सप्लाई का कोई प्रबंध किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां जल की सप्लाई के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि जिला कलक्टर, कन्नानूर ने उनके ध्यान में लाया है कि मत्तानूर क्षेत्र में कुछ कुएं, जो पझासी सिंचाई परियोजना क्षेत्र में आते हैं, सूख गये हैं और उस क्षेत्र में पीने के पानी की अत्याधिक कमी हो गयी थी। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि 28-3-1974 से परियोजना प्राधिकारियों ने विभागीय लारियों के द्वारा मत्तान्नूर क्षत्र के ज़रूरतमन्द लोगों को अस्थाई रूप से पीने के पानी की सप्लाई का प्रबंध किया है। इस प्रश्न की राज्य सरकार द्वारा राज्य के मुख्य अभियंता के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

नेपा मिल द्वारा अखबारी कागज की बिक्री

1819. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल द्वारा बहुत कम मूल्यों पर अखबारी कागज बेचा जाता था और बेचा जा रहा है, ;

(ख) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) नेपा मिल्स अखबारी कागज 1800 रुपये प्रति मी० टन के मूल्य पर बेचती है। मूल्य की औचित्यता की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। पिछली बार अक्तूबर 1973 में मूल्य का पुनरीक्षण किया गया था तथा वर्तमान मूल्य पर विचार किया जा रहा है।

राजभाषा अधिनियम के क्रियान्वयन कार्य में लगे कर्मचारी

1820. **श्री श्रीकिशन मोदी**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समान कार्य और ड्यूटी तथा समान योग्यतायें होने के बावजूद भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा अधिनियम के क्रियान्वयन कार्य में लगे कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतनमानों में भारी असमानता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में समानता लाने के लिये संभावना की जांच करने तथा उपाय खोजने के लिये एक समिति नियुक्त करेगी?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) हिन्दी कार्य से सम्बन्धित पद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने प्राधिकरण के अधीन भिन्न-भिन्न समय पर बनाये गये थे। इस कारण कुछ समय इन पदों के वेतनमानों में भिन्नता रही, हालांकि उनके लिये समान अर्हताएं और कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे। तृतीय वेतन आयोग द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और उसने इन पदों के लिये कुछ मानक वेतनमानों की सिफारिश की है। अतः इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से वेतनमानों में विद्यमान असमानता काफी कम हो जायेगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिये किसी समिति की नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल सर्किल की टेलीफोन डायरेक्टरी

1821. **डा० सरदीश राय**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सर्किल की नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी कब प्रकाशित हुई थी तथा उपभोक्ताओं में कब वितरित की गई थी;

(ख) इस के बाद के प्रकाशनों में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सर्किल की पिछली डाइरेक्टरी जोकि 30–4–1972 तक संशोधित थी, अगस्त, 1972 में प्रकाशित की गई थी। इसका अगला प्रकाशन अगस्त, 1973 में होना था। सन् 1972 के अन्त में यह फैसला किया गया कि पूरे पश्चिम बंगाल सर्किल के लिये एक समेकित डाइरेक्टरी के बजाये पांचों डिवीजनों में से प्रत्येक डिवीजन के लिये अलग अलग डाइरेक्टरियां प्रकाशित की जाएंगी।

छपाई के कागज की भारी कमी और पश्चिम बंगाल में बिजली की कटौती के कारण छापाखानों के काम के घंटों पर पाबंदी लगाए जाने से डिवीजनों की डाइरेक्टरियों के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है। इनमें से एक डाइरेक्टरी छप चुकी है और उसका वितरण अगले महीने में कर दिया जाएगा। दूसरी डाइरेक्टरियों के धीरे-धीरे प्रकाशित होने की संभावना है।

त्रिपुरा में डम्बर हाईडल परियोजना

1822. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में डम्बर हाईडल परियोजना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके पूरा न होने के क्या कारण ह ; और

(ग) उक्त परियोजना को सर्वप्रथम कितने वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) गुमती जल-विद्युत् परियोजना पर, जो विद्युत् के उत्पादन के लिये दुमबार झरने का प्रयोग करती है, पारम्भिक सिविल कार्य फरवरी, 1968 में चालू किये गये थे। परियोजना के पूर्ण होने में विभिन्न कारणों से देरी हुई जिनमें मुख्य ये हैं—1970–71 के दौरान सीमा के उस पार छापे, 1971–72 के दौरान बंगला-देश संकट और 1973 में गुमती नदी में अभूतपूर्व बाढ़ें, जिसके कारण विद्युत् चैनल में भूस्खलन हुआ और विद्युत् घर स्थल में पानी भर गया ।

बांधों और नहरों में गाद जमा हो जाना

1823. डा० कर्णी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री बड़े जलाशयों में गाद जमा होने की आशंका के बारे में 19 मार्च, 1974 क अतारांकित प्रश्न संख्या 3678 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बाधों और नहरों के नाम क्या हैं जिन्हें गाद जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) भारत में गाद जमा होने की गति इतनी अधिक होने के क्या कारण हैं और गाद हटाने के लिए की गई कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) अब तक सूचित किए गए परिवीक्षणों के आधार पर, प्रचालनाधीन निम्नलिखित जलाशयों पर गाद जमा होने की गति परियोजना का आयोजन करते समय आंकी गई गति से अधिक मूल्यांकित की गई है :–

(1) हीराकुंड (2) मैथन (3) पेंचट हिल (4) तुंगभद्रा (5) मयुराक्षी (6) घोड (7) कंसवती (8) दांतीवाडा (9) माताटीला और (10) निजामसागर । केवल कोसी पूर्वी नहर में ही गाद समस्या के गंभीर होने की सचना मिली है ।

(ख) गाद जमा होने की गति, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली तलछट की मात्रा पर निर्भर करती है जो अपवाह-क्षेत्र, वर्षापात, भूवैज्ञानिक तत्वों, भूमि उपयोग तथा जलविभाजक (वाटर शेड) व्यवस्था की विशेषताओं द्वारा प्रभावित होती है । इसलिए, इस देश के विभिन्न भागों में गाद जमा होने की गति की तुलना दूसरे देशों में गाद जमा होने की गति से नहीं की जा सकती ।

मचकुंड, पंचेट और कुंडाह जलाशयों के अपवाह क्षेत्रों में, जहां विस्तृत क्षेत्र भूमि संरक्षण के केन्द्रीय प्रायोजित कायक्रम के अन्तर्गत आते हैं, किए गए भू-संरक्षण उपायों के परिणामस्वरूप जलाशयों में तलछट के बहकर आने में कमी हुई है ।

नर्मदा नदी के जल का उपयोग न करने के कारण हानि

1824. डा० कर्णी सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी के जल का उपयोग न करने के कारण देश को प्रतिदिन 10 लाख रुपये की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नदी के जल को उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप देश को अब तक कुल कितनी हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) नर्मदा जल के समुपयोजन से संबंधित अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण इस नदी बेसिन में सिंचाई और विद्युत् शक्यता विकसित करना अभी संभव नहीं हुआ है। बहरहाल, सिंचाई और विद्युत् विकास के लिए उपलब्ध धनराशि अन्य नदी बेसिनों में इस शक्यता का विकास करने के लिए प्रयोग में लाई गई है। इस प्रकार जबकि इन बेसिन के विकास में बाधा पड़ी है, यह नहीं कहा जा सकता कि समस्त देश को काफी हानि हुई है।

टेलीविजन निर्माताओं द्वारा गलत प्रचार के जरिए टेलीविजन सेटों की बिक्री

1825. डा० कर्णी सिंह : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में टेलीविजन निर्माता गलत प्रचार के जरिए. कि आई० एस०आर० ओ० टेलीविजन उपग्रह को कक्ष में छोड़े जाने पर उनके द्वारा निर्मित मल्टी चैनल टेलीविजन सेट अनेक टेलीविजन केन्द्रों को पकड़ सकते हैं, अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारी उद्योगों द्वारा परमाणु परियोजनाओं की आवश्यकताएं पूरी की जाना

1826. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन परमाणु परियोजनाओं को कनाडा से सहायता बन्द हो जाने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है, भारत के भारी उद्योग एकक उनकी आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर पाये हैं ; और

(ख) परमाणु ऊर्जा आयोग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इन औद्योगिक एककों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) कुछ तरह के ऐसे कच्चे माल, पेटेन्ट सामान तथा उपकरणों को छोड़कर ; जिनका आयात विदेशों से करना आवश्यक है, भारतीय उद्योग अब परमाणु बिजलीघर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रकार के नाभिकीय एवं परम्परागत उपकरण सप्लाई कर सकने की स्थिति में हैं। कनाडा द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, अब यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे सामान को जो कि कनाडा से मंगाया जाना था, प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये । इस स्थिति का सामना करने के लिए, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के उद्योगों ने उपर्युक्त किस्म के समान का निर्माण देश में ही करने के लिए एक विशेष विकास कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है तथा इस कार्यक्रम में उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यथासम्भव सहायता दी जा रही है । जिन चीजों का विकास इस प्रकार से कर सकना सम्भव नहीं है, उनकी सप्लाई के लिए वकल्पिक विदेशी सप्लायरों की खोज की जा रही है ।

पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्रिनगर, दिल्ली में प्रदर्शन

1827. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1974 को महानगर परिषद् के एक सदस्य के नेतृत्व में त्रिनगर, दिल्ली-35 में पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) ऐसा प्रदर्शन स्थानीय पुलिस के तथाकथित दुर्व्यवहार के विरुद्ध हुआ था न कि पुलिस प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ।

(ख) राम सरन नाम के एक व्यक्ति ने 13-6-1974 को शान्ति नगर पुलिस चौकी पर रिपोर्ट लिखाई कि सतनाम सिंह ने उन्हें घायल किया है और उन्हें सतनाम सिंह से खतरे की आशंका है । दोनों व्यक्ति शान्ति भंग करने की आशंका म गिरफ्तार कर लिये गये और निजी जमानत पर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा 14-6-1 4 को रिहा कर दिये गय । श्री राम सरन को डाक्टरी जांच के लिए भेज दिया गया था ।

सतनाम सिंह क कछ सम्बन्धियों न 13-6-1974 को स्थानीय पलिस स रिहायी के लिये आग्रह किया । पुलिस ने ऐसा करने स इन्कार कर दिया और इसके फलस्वरूप सतनाम सिंह के सम्बन्धियों द्वारा 23-6-1974 को एक प्रदशन किया गया जिसम 13-6-1974 को पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था ।

डाक्टरी मत क आधार पर कि राम सरन का घाव गम्भीर है और कण्ठ वस्तु से किया गया है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 225 क अधीन 25-6-1974 को एक मामला दर्ज किया गया था । सतनाम सिंह फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिये बिना जमानत के वारंट जारी किया गया है । गिरफ्तारी वारंट की तामील क लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना

1828. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा दोनों राज्यों में बाढ़ आप्लावन की समस्या उपस्थित करती है । इन दोनों राज्यों की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि स्वर्ण-रेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए सिचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति द्वारा अगस्त, 1973 में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, वे बाढ़ सुरक्षा स्कीम तैयार कर रही हैं ।

राज्य सरकारों ने इन स्कीमों को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए किसी समय अनुसूची की सूचना नहीं दी है ।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

1829. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन (i) मंजूर की गई और (ii) विचाराधीन मामलों के बारे में नवीनतम आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आजाद हिन्द फौज क सैनिक कर्मचारियों तथा भूतपूर्व आर० आई० एन० के सैनिक कर्मचारियों के बारे में (i) मंजूर की गई पेंशन तथा (ii) विचाराधीन मामलों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सिविलियनों से भर्ती किये गये आजाद हिन्द फौज के उन सैनिक कर्मचारियों के आंकड़े क्या हैं जिन्ह पेंशन मिली है और जिनके मामले विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जहां तक भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों का संबंध है, 10,272 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है और 7,601 आवेदनपत्र विचार के लिए लम्बित हैं ।

भूतपूर्व आर० आई० एन० कर्मचारियों के आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और जो पत्र पाये गये हैं उन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है । प्राप्त, अनुमोदित तथा विचार के लिए लंबित आवेदनपत्रों की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ग) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सिविलियन कर्मचारियों के 661 मामले पेंशन के लिए अनुमोदित किये गये हैं । और 7,601 मामले विचाराधीन हैं ।

विवरण

राज्य	पेंशन स्वीकृत किए गये स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या	विचाराधीन मामलों की संख्या
अण्डमान व निकोबार	1	33
आन्ध्र प्रदेश	3,803	3,294
अरुणाचल प्रदेश	—	—
असम	1,960	6,454
बिहार	12,444	7,639
चण्डीगढ़	59	27
दिल्ली	1,401	378
गोवा	290	724
गुजरात	2,334	793
हरियाणा	1,109	386
हिमाचल प्रदेश	291	275
जम्मू व कश्मीर	300	716
केरल	1,224	2,518
कर्नाटक	4,181	4,570
मध्य प्रदेश	2,454	829
महाराष्ट्र	8,196	5,218
मणिपुर	2	106
मेघालय	62	22
मिजोराम	—	3
नागालैण्ड	1	11
उड़ीसा	3,149	1,510
पांडिचेरी	170	179
पंजाब	3,682	3,332
राजस्थान	481	195
तमिलनाडू	2,909	651
त्रिपुरा	297	1,220
उत्तर प्रदेश	13,229	4,454
पश्चिम बंगाल	10,523	8,530
जोड़	74,452	54,067

(भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को छोड़कर)

भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये तथा हिरासत में लिये गये व्यक्तियों की संख्या

1830. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत (i) गिरफ्तार किये गये तथा (ii) हिरासत में लिये गये बन्दियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) लेख याचिकाओं के कारण कितने बन्दियों को रिहा किया गया ; और

(ग) रिहा किये जाने के बाद कितने व्यक्तियों को पुनः गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत जर्मन सहयोग

1831. **श्री राज देव सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय भारत जर्मन सहयोग से 344 परियोजनायें चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनों में तकनीकी तथा वित्तीय भागीदारी हैं ;

(ग) क्या देश में तकनीकी सहयोग उपलब्ध नहीं था ; और

(घ) यदि उपलब्ध है तो इस बात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य, 1974 में भारत जर्मन वाणिज्य मण्डल द्वारा प्रकाशित भारत जर्मन सहयोगों की सूची का हवाला दे रहे हैं । इस सूची के अनुसार 1957 से 1973 तक की अवधि में स्वीकृत कुल विदेशी सहयोग प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों के अलावा क्रियान्वित नहीं किए गए हैं अथवा समाप्त कर दिए गए हैं 344 सहयोग हैं । सूचीकृत इन 344 सहयोगों में से 191 ऐसे हैं जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया हैं और 108 सहयोगों में वित्तीय सहभागिता निहित है ।

(ग) और (घ) सरकार की विदेशी सहयोग नीति काफी चयनात्मक है और उन क्षेत्रों में, जहां पर प्रौद्योगिकी की कमी है अथवा जहां पर प्रस्ताव पूर्ण रूप से निर्यातोन्मुख है टेक्नालाजी का आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

केरल में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

1832. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद् के अन्तगत केरल में क्षेत्रीय अनुंसधान प्रयोगशाला स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा द्वारा लिया गया निर्णय इस प्रकार है : (अ) त्रिवेन्द्रम स्थित केरल सरकार की औद्योगिक परीक्षण और अनुंसधान प्रयोगशाला की एक मसाला प्रौद्योगिकी इकाई और एक सिरेमिक प्रौद्योगिकी इकाई की स्थापना यहां की जायेगी, को अपने अन्तर्गत लेना । (ब) त्रिवेन्द्रम में बहुशिल्प प्रौद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना करना (स) कोचीन में कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के यूनिटों के एक कोम्पलेक्स की स्थापना करना ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में टेलीविजन केन्द्र

1833. श्री ए० के० गोपालन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या सरकार को हाल में त्रिवेन्द्रम में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस बारे में एक अभ्यावेदन कुछ समय पूर्व मिला था ।

(घ) अत्याधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण केरल में निकट भविष्य में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं होगा ।

कठिन आर्थिक स्थिति के कारण खनिज विकास कार्यक्रमों को रोका जाना

1834. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खनिज विकास और प्राकृतिक संसाधनों की खोज सम्बन्धी सभी नये कार्यक्रमों को रोक दिया जाये और इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में आरम्भ किये जाने वाले ऐसे कायक्रमों और योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित पांचवीं योजना के खनिज विकास कार्यक्रमों की मुख्य विशेषतायें ये हैं : (1) गहन पुर्वेक्षण तथा सर्वेक्षण, (2) खदान सुधार स्कीम, (3) लघु खनन पट्टेदारियों को ऋण, (4) खानों तथा खदानों से जुड़ी सड़कों का सुधार, (5) फास्फेट पुर्वेक्षण तथा (6) एक नवीन खनिज विकास निगम की स्थापना ।

एस० एल० वी० परियोजना को विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से किसी अन्य केन्द्रों म ले जाना

1835. श्री वयालार रवि : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एल० वी० परियोजना को विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र से किसी अन्य केन्द्र में ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वर्ष 1974-75 में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के लिये आबंटित धनराशि

1836. श्री वयालार रवि : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1974–75 में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसधान संगठन के बजट में कितना प्रावधान किया गया है ; और

(ख) क्या इस केन्द्र में परियोजनाओं के लिए प्रावधान गत कुछ वर्षों की तुलना में काफी कम कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1974–75 में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 1187.67 लाख रुपये का स्वीकृत अनुदान है, जिसमें से 1045.00 लाख रुपये खर्चों को चलाने के लिए सहायक-अनुदान क रूप में हैं और 142.67 लाख रुपये पूंजीगत खर्चों के लिए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

मेघालय रिहायशी परमिट विधेयक

1837. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय विधान सभा द्वारा दिसम्बर, 1973 के अपने सत्र में पारित मेघालय रिहायशी परमिट विधेयक पर अभी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होनी है ;

(ख) क्या उक्त विधयक पारित हो जान क परिणामस्वरूप मेघालय क सभी गैर-आदिवासी भारतीय मेघालय के वासी नहीं रहेंगे ; और

(ग) यदि उक्त विधेयक कानून बन जाता है तो क्या अनेक गैर-आदिवासी भारतीयों के लिये, जो अनेक वर्षों से मेघालय में रह रहे हैं निष्कासन का खतरा उत्पन्न हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) विधेयक का कार्यसाधकता और अन्य सम्बद्ध मामले विचाराधीन हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य को अपने अधिकार में लेना

1838. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से, बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसके कारण प्रति वर्ष औसतन कितनी भूमि पर प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण का उत्तरदायित्व लेने के लिए असम राज्य सरकार ने अनुरोध किया था । भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से इस पर सहमत हो गई है और केन्द्र के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड के गठन के लिए प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) सम्पूर्ण देश में बाढ़ से औसतन 76 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर प्रतिवर्ष कुप्रभाव पड़ता है ।

"सीनेटर वान्ट्स तारापुर इक्विपमेन्ट टेकन बैक" शीर्षक के समाचार

1839. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचारपत्र में "सीनेटर वान्ट्स तारापुर इक्विपमेन्ट बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अमरीकी सरकार द्वारा उपकरण वापस ले लिये जाने की स्थिति में तारापुर परमाणु बिजली घर को चालू रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर सम्बन्धित करार की उल्लिखित धारा अथवा किसी अन्य धारा में दी गई गारन्टी अथवा की गई व्यवस्था का किसी भी प्रकार से उलंघन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पांचवीं योजना में जल और तापीय बिजली घरों का पूरा होना

1840. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में जल और तापीय बिजली घरों का काम पूरा करने और उन्हें चालू करने हेतु एक समयबद्ध योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी राज्यवार मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हाँ ।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान चालू किये जाने के लिए अधिसूचित तापीय और जल विद्युत् क्षमताओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8139–74] समय-बद्ध योजना की सफलता को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक निवेशों की समय पर उपलब्धता और परियोजनाओं की प्रगति के पर्याप्त निर्देशन के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं ।

किसानों से ली जाने वाली जल दरें

1841. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में समान फसलों के लिये किसानों से ली जाने वाली जल दरों में भारी अन्तर है;

(ख) क्या कम जल दरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक नये वर्ग 'वाटर लार्डस' का जन्म हुआ है;

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि छोटे किसानों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए तथा 'वाटर लार्डस' द्वारा इस समय दी जा रही जल की दरें बढ़ाई जाएं; और सामाजिक न्याय के आधार पर समूचे रूप में जल दर की युक्तियुक्त प्रणाली कब आरम्भ की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी , हां ।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और इसलिये जल दरें राज्य के कानून ारा निर्धारित की जाती हैं ।

बहरहाल, राज्य सरकारों द्वारा इस समय निर्धारित जल दरें आमतौर पर कार्य व्यय और ब्याज प्रभारों, दोनों के लिये काफी नहीं हैं । अतः उनसे समय-समय पर जल दरों को न्यायसंगत रूप में निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ताकि अनुसरण और प्रचालन व्ययों और कम से कम $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज को पूरा किया जा सके ।

जुलाई 1974 में दिल्ली में बिजली फेल होना

1842. श्री वसन्त साठे : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1974 के समाचार-पत्र में 'लोड शेडिंग एक्यूज फार अदर फोल्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पत्र की ओर दिलाया गया है, जिसके कारण 9 जुलाई, 1974 को राजधानी में बिजली फेल हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। बहरहाल, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि समाचार-पत्र की सूचना वस्तुतः सही नहीं थी और इन्द्रप्रस्थ विद्युत् केन्द्र की मशीनों में 9–7–1974 को किसी समय कोई खरावी नहीं हुई और न ही उस दिन किसी भी यूनिट में ट्रिपिंग हुआ। 9 जुलाई, 1974 को प्रातः 5.30 बजे से 8.30 बजे तक तीन घंटों के लिये लोड शेडिंग इस लिये किया गया था कि भाखड़ा प्रणाली से कोई अधिक सप्लाई न ली जाए।

सही स्थिति की जानकारी देते हुये एक उपयुक्त समाचार विवरण दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा 21–7–74 को समाचार-पत्रों को समाचार के रूप में प्रकाशित करने के लिये दिया गया था।

अकोला और बुलडाना जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

1843. श्री वसंत साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के कितने मामलों की जांच कर ली गई है और 1 मई, 1974 के उपरान्त अद्यतन महाराष्ट्र के अकोला और बुलडाना जिलों के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है/आदेश जारी कर दिये गए हैं;

(ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या ह जिन्हें 1 मई, 1974 के बाद इन जिलों में पेंशन मंजूर की गई है; और

(ग) इन जिलों में अभी तक कितने मामलों की जांच की जानी है और विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिये कितना समय/अवधि लगेगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 1 मई, 1974 से ज़िला अकोला के 40 मामलों तथा ज़िला बुलडाना के 20 मामलों की जांच की गई है/पेंशन स्वीकृत कर दी गई है और ज़िला अकोला के 25 मामलों तथा जिला बुलडाना के 11 मामलों में आदेश जारी किये गए हैं। उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है, संलग्न सूचियों में दिये गए हैं।

(ग) अकोला के कुल 68 मामले तथा ज़िला बुलडाना के 23 मामले लिखित प्रमाण/राज्य सरकार की सिफारिश की कमी के कारण लम्बित हैं। व्यक्ति/राज्य सरकार से सूचना/सिफारिश प्राप्त होते ही इन मामलों पर विचार किया जायेगा।

विवरण

ज़िला अकोला के उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1 मई, 1974 से आज तक पेंशन स्वीकृत की गई है।

क्रम सं०	नाम
1	श्री शियोराम परश्राम खादसन
2	श्री बन्दुसा रतनसा हंवीर
3	श्रीमती भीमाबाई विधवा पी० बाई खाडसे
4	श्री मोहन लाल भीमजी वारा
5	श्रीमती बिमलाबाई नरहर पाटिल
6	श्रीमती चिन्तमणि दौजी राऊत
7	श्रीमती सावित्रीबाई महादेव सोंखुसारे
8	बालीराम मुकन्दा धौते
9	श्री ओंकार नारायण गिरि
10	श्रीमती अनुपूर्णाबाई विधवा विस्वदास माहाल्ले
11	भाऊराव बालीराम जी देशमुख
12	श्रीमती गयाबाई विधवा विथल
13	पढरीजयराम हेटकर
14	बाबू जी
15	अबधूत अमर सिंह मंकड
16	रूपाराव लक्षम्नराव थोरट
17	जयराम लालजी लोखण्डे
18	महादेव किसन राऊत
19	महादेव
20	वाम्न परश्राम राऊत
21	वामंदराव अर्जुनजी पाटिल
22	श्री भीमराव
23	श्रीमती शेक्ताबाई विधवा स्वर्गीय श्रवण
24	श्री रघुनाथ नारायण बौदलबार
25	श्री नारायण माहादु वनसकर

जिला बुलडाना (महाराष्ट्र) के उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें 1 मई 1975 से आज तक पेंशन स्वीकृत की गई है ।

क्रम सं०	नाम
1	श्री नाथु बालीराम देशमुख
2	श्री तुकाराम गनपत कुमकर
3	श्री नागोंरामजी भोंसले
4	श्रीमती मंजुलाबाई अर्जन श्यामजी सपकाली
5	श्रीमती जनाबाई भीकु वन्दे
6	श्री लक्ष्मी उर्फ लेखु बालीचन्द जैन
7	श्री गोविन्द ग० अम्बेडदार
8	चम्बालाल गनपत नेवाडे
9	श्रीमती काशीबाई नामदेव थोटोल
10	श्री अम्ब्रेक खुसनाल पाटिल
11	आनन्दराव भारोतीराम देशमुख

अधिकारियों के नामों के साथ राजपत्रित और अराजपत्रित शब्द लगाने की प्रणाली समाप्त करना

1844. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों के नाम के साथ राजपत्रित और अराजपत्रित शब्द लगाने की प्रणाली समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक घोषित किया जायेगा; और

(ग) क्या भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जहां ब्रिटेन जसी प्रणाली अभी भी चल रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्ततः यह निर्णय किया है कि भारत सरकार क अधिकारियों को राजपत्रित दर्जा (स्टेटस) प्रदान किये जाने की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए । किन्तु अन्तिम आदेश जारी करने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि इस संबंध में कतिपय अनुवर्ती ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । फिर भी, इस निर्णय को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि मौजूदा राजपत्रित दर्जा प्रदान किये जाने की प्रणाली श्रीलंका और बर्मा जसे देशों में, जो पहले ब्रिटिश शासन के अधीन थे, प्रचलित है ।

बिहार में तापीय बिजली परियोजना को मंजूरी

1845. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सदन में पहले दिये गये आश्वासनों के बावजूद, बिहार में मुजफ्फरपुर के निकट तापीय बिजली परियोजना को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : बिहार राज्य बिजली बोर्ड मे मुजफ्फरपुर में 110/120 मैगावाट के दो यूनिटों के प्रतिष्ठापन संबंधी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह स्कीम, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हुई थी। परन्तु इस स्कीम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना संम्भव नहीं हुआ है। बहरहाल, उत्तरी बिहार के क्षेत्र को बिहार में अन्य स्रोतों से बिजली दी जा सकती है।

फिरोजाबाद तथा वाराणसी के दंगों संबंधी प्रतिवेदन

1847. श्री अम्बेश :

क्या **गृह** मंत्री फिरोजाबाद और वाराणसी के दंगों के बारे में 22 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवेदन को अभी तक सभापटल पर न रखने के क्या कारण हैं जब कि यह बहुत पहले प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) उक्त प्रतिवेदन कब तक सभापटल पर रख दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच की गई थी और रिपोर्ट उस सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी। ऐसी रिपोर्टों के सदन के पटल पर रखना केन्द्र सरकार की प्रथा नहीं रही है।

Smuggling on Indo-Nepal Border

1848. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether many kinds of incidents of smuggling, dacoity and murder take place on the 800 Km. long Indo-Nepal border;

(b) whether the Government of Nepal propose to form a 'specially trained force' on the line of Border Security Force to deal with this situation; and

(c) if so, whether there would be some coordination between the Security Forces of India and Nepal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir. The areas on Indo-Nepal border also have their share of such crimes.

(b) The Government have no such information excepting some press reports to this effect.

(c) Arrangements already exist for the exchange of necessary information between the police officers of the two countries for prevention of crimes in the border areas.

Loss of life during Communal Riots in Sadar Bazar, Delhi

1849. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons who lost their lives during the last communal riots in Sadar Bazar of Delhi;

(b) the estimated loss due to looting and arson; and

(c) the measures taken by Government to prevent the recurrence of such disturbances in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) According to the information furnished by the Delhi Administration, eleven persons lost their lives in the last communal disturbances in Sadar Bazar of Delhi. Property worth about Rs. 12,00,450/- (Rupees twelve lakh, four hundred and fifty) has so far been estimated to have been damaged in these disturbances.

(c) Measures taken to prevent the recurrence of such incidents are as follows :—

(i) Armed pickets have been set up at strategic points in the area of Police Station Sadar Bazar and patrolling has been intensified round the clock;

(ii) A well-equipped company of strong armed force has been stationed at Police Station Kamla Market under the charge of a Dy. S.P. which covers the riot affected area in Sadar Bazar, Lahori Gate, Hauz Qazi, Kamla Market and Jama Masjid, specially for meeting any emergency caused by riots.

(iii) Effective preventive action has been taken against bad characters, anti-social elements and communal minded persons under the Criminal Procedure Code and the Bombay Police Act. Externment proceedings have also been initiated against desparadoes of the area.

(iv) All the fire arms licence holders in the areas ot Police Stations Sadar Bazar, Lahori Gate, Kamla Market, Hauz Qazi, Jama Masjid Darya Ganj and Kotwali have been directed to deposit their arms in the police stations. This direction has been largely complied with. Issue of fresh licences in these areas has been totally suspended.

(v) All shops which sell aerated water and pan have been prohibited from being kept open beyond 11·00 p.m. This has been done to prevent gathering of bad elements at these places.

(vi) Prohibitory order has been issued against collection of bricks and other Material such as empty bottles, etc. which can be used as missiles on roof-tops.

(vii) Day-to-day intelligence is being collected and a close liaison is being maintained with the special branch of the C.I.D., Delhi.

Incidents of dacoity, murder and theft in the country

1850. Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of incidents of dacoity, murder and theft that took, place in the country during May, 1973 to May, 1974;

(b) the ratio of increase or decrease in these crimes compared to the same period of previous year; and

(c) if the ratio has increased, the reasons therefore and if not, the measures that resulted in the improvement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) and (b) A statement is attached.

(c) The increase in the crime incidence can be attributed to various socio-economic factors like urbanization, population increase, personal feuds, changing social conditions.

Statement

Incidence of Murder, Dacoity and Thefts during three quarter's of 1972 and 1973 and Percentage Variation.

Sl. No.	Crime Head	Year	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
1	2	3	4	5	6
1	Murder . . .	1972	4283	3940	3747
		1973	4544	4380	4104
	% Variation		+6·1	+11·2	+9·5
2	Dacoity	1972	2432	2412	2154
		1973	2669	2515	2185
	% Variation		+9·7	+4·3	+1·4
3	Thefts	1972	77555	87265	90778
		1973	87400	98535	105914
	% Variation . .		+12·7	+12·9	+16·7

Crime figures are available up to the end of 1973 and therefore comparison of the crime position during three quarters of 1973 has been made with those of 1972.

M/P(D)7LSS—8(a)

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करना

1851. श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के गांवों में विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें प्राप्त करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के गांवों में दूर-संचार की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में विभाग की उदार नीति के अन्तर्गत संचार सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

वित्तीय क्षमता के आधार पर दूर-संचार सुविधाएं प्रदान करने के अलावा सामान्य इलाकों में कुछ शर्तो के अधीन सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाकतार घर खोले जा सकते है बशर्ते कि अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत हों पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में यह प्रतिशत क्रमश: 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां

1852. श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुना गया है; और

(ख) इन उम्मीदवारों का चुनाव करने संबंधी प्रक्रिया क्या है ?

गृह मंत्राय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र आवेदकों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं तथा चयन का प्रश्न नहीं उठता। 1973–74 के दौरान जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं उनकी संख्या के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है।

लाभ प्राप्त करने के बाद औद्योगिक एककों को मध्य प्रदेश से अन्यत्र ले जाना

1853. श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एकक पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के बाद और अधिक लाभप्रद क्षेत्रों में चले गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं, वे कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में वे बाद में किन किन स्थानों पर चले गए हैं, और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

औधोगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख): बताया जाता है कि देश में एक औद्योगिक एकक पूंजीगत राज सहायता का लाभ उठाने के बाद स्थानान्तरण कर गया । यह एक लघु उद्योग एकक है जो देवास से उज्जेन चला गया है ।

(ग) योजना में यह शर्त दी हुई है "किसी भी औद्योगिक एकक के स्वामी को आंशिक अथवा पूरा अनुदान अथवा राज सहायता प्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक एकक को अथवा उसके किसी भी हिस्से की स्थापना स्थल परिवर्तन करने अथवा कोई पर्याप्त संकोचन करने अथवा उसमें उत्पादन होने लगने के 5 वर्षो के अन्दर उसके कल पूंजीगत निवेश के काफी अंश को औद्योगिक विकास मंत्रालय/ राज्य सरकार/संघ प्रशासन क्षेत्र/सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों को बिना पूर्व स्वीकृति के बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी" ।

विद्युत् उत्पादन के लिए एक पृथक 'निर्माण प्राधिकरण' स्थापित करने के लिए केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

1854. श्री वरके जार्ज :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में विद्युत् उत्पादन के लिये एक पृथक 'निर्माण प्राधिकरण' स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये केरल के लिये अधिक से अधिक कितनी राशि मंजूर की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख): केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

मध्य प्रदेश में कोरबा संयंत्र में बिजली की कमी

1855. श्री मार्तण्ड सिंह:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा संयत्र में बिजली की कमी है :

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बहुत समय पूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से संयन्त्र की बिजली शक्ति में सधार करने का अनुरोध किया था; और

(घ) सरकार ने गत छः महीने में इस संबंध में क्या कार्यवाही की और संयंत्र की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : मध्य प्रदेश में 300 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता का कोरबा ताप विद्युत् केन्द्र मध्य प्रदेश ग्रिड को बिजली सप्लाई करने के लिए सतपुडा और अमरकण्टक जैसे अन्य विद्युत् केन्द्रों के समातान्तर चलता है। इस समय, मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। 120 मैगावाट के एक यूनिट द्वारा कोरबा विद्युत् केन्द्र के विस्तार पर कार्य इस समय किया जा रहा है और इसके दिसम्बर, 1975 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरबा के 2 × 110 मैगावाट द्वारा और विस्तार का प्रस्ताव किया है। पांचवीं योजना के लिए एक नई स्कीम के रुप में 1 × 200 मैगावाट के एक सैट की स्थापना भी स्वीकृत की जा चुकी है और इसके दिसम्बर, 1978 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। इन उपायों से बिजली की बढ़ती हुई मांगों को काफी हद तक पुरा करने में मदद मिलेगी।

भारतीय नदियों की पन बिजली उत्पादन क्षमता को उपयोग में लाना

1856. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारतीय नदियों का पन बिजली उत्पादन क्षमता के लिए पूरे तौर से उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए अब तक छोडी गई नदियों के संबंध में सर्वेक्षण करने का है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। 1955–60 के दौरान किये गये प्रारंभिक जल विद्युत् सवक्षण के अनुसार देश म कुल जल विद्युत् शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 41 मिलियन किलोवाट आंकी गई है और अब तक केवल लगभग 13.6 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है।

(ख) सामान्य जल विद्युत स्थानों के क्षत्नीय सवक्षण का कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों ही ने शरू किया हुआ है। उपलब्ध संसाधनों से इसमें यथा-संभव तेजी लाई जा रही है।

राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई विद्युत परियोजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन

1857. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सामूहिक रुप से ऋण देने की बजाए राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई विशेष बिजली परियोजनाओं क लिए धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में धनराशि आवंटित करने के लिए कोई विधि निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) : यद्यपि बिजली परियोजनाओं सहित सभी राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता एकमुस्त अनुदान और ऋण के रुप में दी जाती है, किन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरु होने वाली योजनाओं के लिए राज्य वार्षिक योजनाओं में नियतन कर दिया गया है । किसी विशिष्ट परियोजना के लिए परिव्यय का नियतन इस दृष्टि से किया जाता है कि उस विशिष्ट परियोजना के लिए आवंटित किए गए परिव्यय को किसी अन्य परियोजना अथवा क्षेत्र में न लगा दिया जाय ।

विदेशी प्रौद्योगिकी और जानकारी पर निर्भरता

1858. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक कर्मचारी संघ की केन्द्रीय परिषद् की 17 जुलाई 1974 को जमशेदपुर में हुई बैठक में प्रकट किए गए इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि देश की विदेशी प्रोद्योगिकी और जानकारी पर निर्भरता पूर्ण समाप्त की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार विर्मश के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख): सी० एस० आई० आर० कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक जमशेदपुर में छै और सात जुलाई 1974 को हुई थी । सरकार ने उक्त संघ की बैठक की कोई मांग अभी तक प्राप्त नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति

1860. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सीतागढ़ी में बागमती नदी परियोजना क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इसको शीघ्र क्रियान्वित करने के संबंध म सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) बागमती सिंचाई परियोजना में प्रारंभ में देवापुर में एक बराज के निर्माण की परिकल्पना की गई थी । 1969 की बाढ़ों के दौरान बागमती नदी ने सहसा अपना प्रवाह बदल लिया था जिसके परिणामस्वरुप इस परियोजना

की सम्पूर्ण धारण ही बदल गई। वराज स्थल अब पुराने स्थल के प्रतिप्रवाह में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर गांव के निकट बदल दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करके केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है।

संशोधित परियोजना रिपोर्ट के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हो जाने के वाद तधा अपेक्षित निधि उपलब्ध होने पर परियोजना के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाई जाएगी।

कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेंस देना

1861. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 प्रतिशत क्षतिपूर्ति लाइसेंस के अतिरिक्त हाल में कोका कोला निर्यात निगम को लगभग 15 लाख रुपये का एक और लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) क्या पेय पदार्थो में तत्वों के रुप में प्रयुक्त किए जाने वाले कच्चे माल के आयात के लिए किसी पूर्णतय स्वदेशी निर्माता को लाइसेंस देने से इंकार कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बहु-राष्ट्रीय निगमों की गतिविधियां

1862. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासित देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों के बारे में श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र ग्रप के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है ;

(ख) भारत में स्वतन्त्र रूप से अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के सहयोग से व्यापार करने वाले ऐसे निगमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों की हानिकारक और विध्वंसक गतिविधियों से जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ग्रुप के प्रतिवेदन में रहस्योद्घाटन किया गया है देश के आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का अध्ययन करने और विकास प्रक्रिया पर पड़ने वाले उनके प्रभाव जानन के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्ती प्रमुख व्यक्तियों के दल की रिपोर्ट के बारे में सरकार को जानकारी है। इस रिपोर्ट पर इस समय जिनेवा में होने वाली आर्थिक तथा समाजिक परिषद् (इकोसोक) की बैठक में विचार हो रहा है।

(ख) कंपनी कार्य विभाग द्वारा संकलित सूचियों के अनुसार, 31-3-1971 को विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों की संख्या 217 थी और 31-3-1972 को भारत में विदेशी कंपनियों की 533 शाखायें कार्य कर रही थीं। भारत से बाहर कार्य करने के कारण उनके काम के बारे में जानकारी न होने से यह निश्चय कर सकना कठिन है कि उनमें से कितने निगम वास्तव में बहु-राष्ट्रीय निगमों की श्रेणी में आते हैं। फिर भी मोटे तौर पर, भारत में कार्य करने वाली इन कंपनियों में से हर एक को इस अर्थ में "बहुराष्ट्रीय" कहा जा सकता है कि वे दो या अधिक देशों में कार्य कर रही हैं।

(ग) संपूर्ण रुप से राष्ट्रीय हितों के अनुरुप बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इस देश में किए गए निवेश सहित गैर सरकारी विदेशी निवेश के बारे में सरकार की नीति भली प्रकार परिभाषित और चयनात्मक है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के द्वारा विनियमनकारी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। इस अधिनियम की धारा 28 और 29 के अंतर्गत विदेशों में निगमित कंपनियों की शाखाओं एवं उन भारतीय कंपनियों को, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्सा है, एजेंटों या तकनीकी अथवा प्रबंध सलाहकारों के रुप में कार्य करने अथवा नियुक्तियां स्वीकार करने अथवा किन्हीं अन्य को वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रकार के विद्यमान कार्य चलाते रहने के लिए उनके व्यापार चिन्हों का प्रयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु और भारत में नई शाखाओं की स्थापना करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति लेन की आवश्यकता होगी।

भारत से प्रतिभा पलायन

1863. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "दी रिवर्स ट्रांस्फर आफ टैकनोलौजी" पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन की नवीनतम् अध्ययन रिपोर्ट में बताये गये प्रतिभा पलायन के मुद्रा संबंधी प्रभावों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या वर्ष 1970 में ही अमरीका के 3,141 भारतीय डाक्टरों तथा विज्ञानिकों के वहां पर प्रवास करने के कारण 656.3 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार की भारत से बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन को रोकने और आय को बचाने के लिए कोई गम्भीर दीर्घावधि योजना है ;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : **(क) और (ख)** : सरकार ने समाचार पत्र की सूचना को देखा है और अध्ययनार्थ यू० एन० सी० टी० ए० डी० प्रतिवेदन भी मंगवाया है।

(ग) भारत सरकार प्रतिभा पलायन की समस्या से अवगत है ; और भारत में रोजगार संबंधी सुअवसरों को उन्नत करते हुए इसे रोकने के लिये उसके उपायों पर विचार किया जा रहा है। इस संबध में किए गए कुछ उपायों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रोजगार के सुअवसरों को उन्नत करने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गए उपाय :—

(एक) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है । इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निशुल्क वितरित का जाती है ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सविधा हो।

(दो) भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों का परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्रर में योग्य प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की जाती है ।

(तीन) सी० एस० आई० आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुत्क योग्यता वाले पंजीकृतों को विचारार्थ सिफारिश भी करता है ।

(चार) सी० एस० आई० आर०, यू० जी० सी०, आई० सी० एम० आर, आई० सी० ए० आर० आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्रिया प्रदान की जाती है ।

(पांच) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के लिये विभिन्न अभिकर्णो द्वारा धन लगाया जाता है । इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं ।

(छैः) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी विदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है ।

(सात) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को जल्दी ही रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है ।

(आठ) वर्ष 1973–74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये योजना आयोग ने 45.85 करोड़ रुपये का आंवंटन किया है । इसके अतिरिकत 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों के लिये "लाखों के लिये रोजगार" एक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना सौ करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट आवंटन के साथ प्रारम्भ की गई थी । इस कार्यक्रम द्वारा 2.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिला है ।

(नो) योजना आयोग ने तेईस करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार क विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिये अलग रख दी है। इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त तेईस करोड़ रुपये की धनराशि इस काय क लिये लगानी होगी ।

(दस) वर्ष 1974–75 के दौरान योजना आयोग द्वारा रोजगार के कार्यक्रमों को उन्नत करने के लिये 40 करोड़ रूपये का एक आवंटन किया गया है ।

दिल्ली में ठप्प पड़े टेलीफोन

1864. श्री वरके जार्ज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी समाचार पत्र की खबर के अनुसार पहली मानसूनी वर्षा से पुरानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में सैकड़ों टेलीफोन ठप्प हो गए ह जिससे हजारों लोगों को बड़ी परेशानी ही रही है,

(ख) क्या सड़कों की मरम्मत के दौरान भूमिगत केबिल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो टेलीफोनों में गड़बड़ी के अन्य कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) से (ग) : जुलाइ के आरम्भ में मानसून की पहली भारी वर्षा के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भूमिगत केबुल खराब हो गए थे। इस कारण बहुत से टेलीफोन ठप्प हो गए थ। केबुलों की मरम्मत का कार्य आपातिक आधार पर तत्काल हाथ में लिया गया था और जो टेलीफोन खराब हो गए थे उन्हें ठीक कर दिया गया था।

एक भूमिगत केबुल सैंकड़ों टेलीफोन उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। इन टेलीफोन केबुलों पर पेपर इंसुलेशन होता है। सड़कों को चौड़ा करने, सीवर डालने और बिजली के केबुल डालनें आदि के उद्देश्य से विभिन्न स्थानीय प्राधिकारी साल भर शहर के कई भागों में सड़क खोदने का काम कराते रहते हैं। जब इस प्रकार से सड़क खोदने का काम किया जाता है तो कभी-कभी भूमिगत टेलीफोन केबुलों के ऊपर जो लैंड और स्टील मढ़ा होता है वह पंचर हो जाता है। तथापि जब तक कंडक्टरों के इंसूलेशन खराब नहीं होते, टेलीफोन काम करते रहते हैं। जब पहली बार मानसून की वर्षा होती है तो सड़क खोदने के कारण जो गड्ढे पड़ जाते हैं उनके बीच से होकर पानी केबुलों में साल भर जाता रहता है और इसमें इंसुलेन खराब हो जाता है और केबुलों द्वारा काम करने वाले टेलीफोन ठप्प हो जाते हैं। संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए केबुलों की खराबियों का पता लगाना पड़ता है और केबुलों के खराब टुकड़ों को काटना पड़ता है और उनकी जगह नए केबुल डालने पड़ते हैं।

विभाग सड़क खोदने वाली एजेंसियों के साथ निकट सम्पंक रखता है ताकि सड़क खोदने के दौरान भूमिगत टेलीफोन केबुलों को कम से कम क्षति पहुंचे। लम्बे अर्से के उपाय के तौर पर विभाग ने यह निर्णय किया है कि दिल्ली और दूसरे बड़े नगरों के मुख्य महत्वपूर्ण केबुलों को दवाब में रखा जाए और दिल्ली के कुछ भागों पर दवाब का यह काम पहले ही किया जा चुका है। दबाव की व्यस्था करने पर सड़क खोदने के कारण केबुलों में जो सूराख पड़ेंगे उन का पता संचार व्यवस्था के खराब होने से काफी पहले ही लग जाएगा।

बम्बई कलकत्ता ट्रंक लाइन

1865. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में बम्बई-कलकत्ता ट्रंक काल सेवा कितने दिनों तक तथा कितने कितने समय तक खराब रही ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोएक्सीयल केबुल प्रणाली में अतिरिक्त केबुल डालने से कार्य कुशलता में सुधार होगा ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जैसा कि नीचे बताया गया है बम्बई–कलकत्ता की 'अविलम्ब' ट्रंक सेवा जनवरी से जून 1974 के दौरान कुछ अवधियों के बीच काम नहीं करती रही है :–

महीना	बम्बई–कलकत्ता मार्ग	कलकत्ता-बम्बई मार्ग
जनवरी, 74	25 दिन में 56 बार कुल अवधि 240 घंटे	23 दिन में 37 बार, कुल अवधि 327 घंटे
फरवरी, 74	24 दिन में 44 बार, कुल अवधि 139 घंटे	23 दिन में 28 बार, कुल अवधि 275 घंटे
मार्च, 74	25 दिन में 39 बार, कुल अवधि 132 घंटे	26 दिन में 34 बार, कुल अवधि 149 घंटे
अप्रैल, 74	27 दिन में 56 बार, कुल अवधि 207 घंटे	25 दिन में 48 बार, कुल अवधि 171 घंटे
मई, 74	28 दिन में 60 बार, कुल अवधि 175 घंटे	30 दिन में 66 बार, कुल अवधि 205 घंटे
जून, 74	29 दिन में 82 बार, कुल अवधि 224 घंटे	27 दिन में 57 बार, कुल अवधि 186 घंटे

(ख) जब भी बम्बई और कलकत्ता के बीच के सर्किटों के बड़े ब्लाक जोकि बम्बई-दिल्ली और दिल्ली-कलकत्ता कोएक्सियल केबुल प्रणालियों पर निर्मित हैं, ठप्प हो जाते हैं तब अविलम्ब ट्रंक सेवा अस्थायी तौर पर बन्द करनी पड़ती है ।

जब 'अविलम्ब' सेवा को इस प्रकार अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया जाता है तो ट्रंक का ों को सामान्य तरीके से उपलब्ध ट्रंक सर्किटों पर बुक किया जाता है और निपटाया जाता है ।

(ग) और (घ) देश के मुख्य ट्रंक जाल की योजना इस प्रकार से तैयार की जा रही है कि किन्हीं दो महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच के ट्रंक संचार दो या दो से अधिक स्वतंत्र वैकल्पिक परिषण मार्गों पर उपलब्ध हो सकें जिनमें कोएक्सियल या माइक्रोवेव प्रणाली जैसा कोई स्थायी माध्यम प्रयोग में लाया जाए । लम्बे अर्से की ये योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और इन्हें धीरे-धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

बम्बई और नागपुर के बीच हाल ही में एक कोएक्सियल केबुल प्रणाली चालू की गई है नागपुर और कलकत्ता के बीच माइक्रोवेव लिंक का काम चल रहा और आशा है कि 1975–76 में यह काम पूरा हो जाएगा । इससे बम्बई–कलकत्ता के लिये सर्किटों के माध्यम से स्थायी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी । विजयवाडा-कटक कोएक्सियल केबुल प्रणाली का काम जो कि चल रहा है, जब 1975 में पूरा ो जाएगा, तो बम्बई और कलकत्ता के बीच हैदराबाद, विजयवाडा और कटक के रास्ते एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग संभव हो जाएगा । जब कलकत्ता दिल्ली और दिल्ली-बम्बई के बीच आयोजित माइक्रोवेव कोएक्सियल प्रणालियां चालू हो जाएंगी तो कलकत्ता और बम्बई के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा ।

बम्बई टेलीफोन सेवा

1866. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार निदेशालय ने हाल में एक अध्ययन किया है तथा ज्ञात हुआ है कि बम्बई टेलीफोन सेवा की कार्यकुशलता घट गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस प्रणाली को कार्यकशल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) डाक-तार निदेशालय के पर्यवेक्षण दल देश की प्रमुख टेलीफोन प्रणालियों के कार्यचालन का आवधिक रूप से पर्यवेक्षण करते है । मार्च, 1974 में प्राप्त आंकड़ों की तुलना एक साल पहले के आंकड़ों के साथ करने पर यह पता चला है कि बम्बई की टेलीफोन प्रणाली में विभिन्न प्रकार की कालों के भंग होने की दर म वृद्धि दिखाई देती है । इसके विभिन्न कारणों में कुछ ये हैं–टेलीफोन प्रणाली का विस्तार, क्रासबार एक्सचेंजों की त्रुटियां, यातायात का सकुंलन, वातानुकूलन संयंत्रों का असंतोषजनक ढंग से काम करना आदि । इन्हें दूर करने और सेवा में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है । इसके लिये जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें से कुछ की रूप रेखा नीचे दी गई है :–

(i) उपस्कर की जांच और मरम्मत के लिये जो आवधिक कार्यक्रम निर्धारित किये गए हैं, उन्हें सभी एक्सचेंजों में कड़ाई से लागू किया जा रहा है ।

(ii) शहर के तीन क्रासबार एक्सचजों का दर्जा बढ़ाने का काम चल रहा है, ताकि इन एक्सचेंजों की कायिकुशलता बढ़ाई जा सके ।

(iii) सभी वातानुकूलन संयंत्रों की विशेष रूप से जांच की जा रही है, ताकि वे दक्षता पूर्वक कामकर सकें ।

(iv) यातायात का संकुलन दूर करने क लिए अतिरिक्त यातायात सहायता उपस्कर लगाए जा रहे हैं ।

(v) प्रबन्ध संबंधी ढांचें क पुनगठन क लिये एक योजना विचाराधीन है ।

अपर इन्द्रावती पन बिजली तथा सिंचाई परियोजना के बारे में उड़ीसा से परियोजना प्रतिवेदन

1867. **श्री पी० के० देव : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को अपर इन्द्रावती पन बिजली तथा सिंचाई परियोजना का परियोजना-प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : केंद्रीय जल और विद्युत आयोग में अपर इन्द्रावती परियोजना की संशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) उड़ीसा की पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । बहरहाल, परियोजना को योजना में शामिल करना उसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं राज्य योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पटना रेडियो स्टेशन का कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

1868. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना रेडियो स्टेशन एक बहुत कम शक्ति वाला स्टेशन है यहां तक कि इसका कार्यक्रम समूचे बिहार में सुनाई नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके वर्तमान कार्यक्रम को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या पटना रेडियो स्टेशन से दिल्ली का विविध भारती कार्यक्रम रिले नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली विविध भारती के आई० डी० पी० एल० 'हंसी का खजाना' आदि अनेक मनोरंजक कार्यक्रम पटना में सुनाई नहीं देते जबकि अनेक व्यक्तियों की इसमें रूचि है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) :– जी नहीं । पटना केन्द्र बिहार के बड़े क्षेत्र में प्राथमिक सेवा प्रदान करता है । भागलपुर तथा रांची के ट्रांसमिटरों सहित राज्य की प्राथमिक मीडियमवेव प्रसारण व्याप्ति क्षेत्र के हिसाब से लगभग 85 प्रतिशत और जनसंख्या के हिसाब से 91 प्रतिशत है ।

(ग) दिल्ली की वाणिज्यिक सेवा से प्रसारित होन वाले विविध भारती कायक्रम दिल्ली क्षेत्र के लिये होते हैं और उनको पटना से रिले नहीं किया जा सकता । तथापि, पटना रांची विविध भारती के अन्तर्गत बहुत शीघ्र ही विज्ञापन भी प्रसारित करने का प्रस्ताव है ।

पटना में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

1869. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटना में टेलीफोन आपरेटर 197, 198 और 199 पर जनना की उपयुक्त सेवा नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पटना टैलीफोन एक्सचेंज में 197 सेवा पर रोजाना औसतन 2500 कालें और 198 सेवा पर 700 कालें निपटाई जाती हैं तथा 199 पोजिशन के जरिये 2300 कालें लगाई जाती हैं । इन विशेष सेवाओं पर जनता की कालों पर ध्यान न देने संबंधित आपरेटरों के बारे में विशेष तौर पर कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है तथापि व्यस्त समय के दौरान ऐसे अवसर आ सकते हैं जब उपभोक्ता को व्यस्त टोन मिले ।

(ख) मौजूदा ट्राफिक को निपटाने के लिये इन सेवाओं के बोर्डों की संख्या पर्याप्त है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऑपरेटर तत्परता से उत्तर देते हैं या नहीं इन विशेष सेवाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

बिहार में डाकघरों में सेवा

1870. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार और विशेषकर राजेन्द्रनगर डाकघर पटना 16 की सेवाओं में बहुत अधिक बाधा पड़ी है क्योंकि समय पर डाक नहीं बंटती तथा प्रायः गलत व्यक्तियों को पत्र दे दिये जाते हैं तथा बहुत देर से दिये जाते हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त डाकघर 24 घंटे खुले रहने वाला तारघर भी बनाये जाने का विचार है और

(ग) क्या इस डाकघर के लिये इमारत बनाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) (क) जी नहीं। बिहार और विशेष कर राजेन्द्रनगर डाकघर पटना की डाक सेवाओं में असामान्य गिरावट की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Setting up of liquor factory in Palamau (Bihar)

1871. **Shri R. P. Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Mahua trees are found in abundance in Palamau district where Mahua is eaten by both men and cattle and still it is available in plenty for preparing local liquor which is better than any variety of whisky; and

(b) if so, whether Government propose to set up liquor factory there ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) It is a fact that mahua trees are found in abundance in Palamau district where mahua flowers are eaten by both men and cattle and that Country liquor is produced locally from mahua flowers.

(b) There is no Government proposal to set up such a liquor factory there.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड विषयक समिति की सिफारिशें

1872. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड विषयक सरकारी उपक्रम समिति द्वारा 63वें प्रतिवेदन (चतुर्थ लोक सभा) और 23वें प्रतिवेदन (पंचम लोक सभा) म की गई सिफारिशों पर अन्तिम कार्यवाई कर ली हैं।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश के सम्बन्ध में क्या अन्तिम कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम कार्रवाई कब तक की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :

(क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० विषयक 63वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रम (पांचवीं लोक सभा) संबंधी समिति की 23वीं रिपोर्ट 1 सितम्बर, 1972 को लोकसभा में प्रस्तुत कर दी गई थी। 63वीं रिपोर्ट में की गई 36 सिफारिशों में से 11 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं । समिति ने कहा है कि सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए वह 7 सिफारिशों को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती । समिति ने शेष 18 सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर स्वीकार नहीं किए थे । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा अन्य संबंधित प्राधिकारों के परामर्श से इन 18 सिफारिशों पर और आगे विचार किया गया था और इन सभी सिफारिशों के बारे में अन्तिम उत्तर लोक सभा सचिवालय को भेज दिए गए हैं ।

समिति द्वारा उसकी 63वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों एवं प्रत्येक सिफारिश पर की गई अन्तिम कार्यवाही का रूप बताने वाला एक विवरण संकलित किया जा रहा है जो सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Development of Adivasi Area

1873. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether, with a view to maintaining a balance in the present stringent financial conditions in the country, Government have under consideration any proposal to undertake only very important schemes for 1974-75 and giving up the remaining ones;

(b) if so, the percentage by which allocations made for the Adivasi areas in the budget for 1974-75 is likely to be cut; and

(c) the effect thereof on the present industrial Development of the Adivasi areas as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Under the prevailing severe constraint on financial resources, Government is endeavouring to maintain the core sector of the Plan as

well as the programmes in the priority areas. Somerelati vely less important and urgent schemes/programmes may, therefore, have to be deferred. The exact magnitudes have not yet been finalised.

(b) and (c) After the finalisation of the exact magnitudes of additional resources required for the core sector and the reduced outlays, if any, for other relatively less important and urgent schemes/programmes, due priority would be accorded to the industrial programmes in the Adivasi Areas during the current financial year.

Communication facilities in Adivasi areas of M.P.

1874. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the salient features of the communication facilities to be provided in the Adivasi areas in Madhya Pradesh, during 1974-75;

(b) the expenditure likely to be incurred for this purpose during this year; and

(c) the facilities included in the Plan for the year 1974-75, which are likely to be given up due to paucity of funds ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No separate postal or telecommunication programme for 1974-75 has been drawn exclusively for Adivasi areas in Madhya Pradesh.

(b) No separate budget provision has been made for Adivasi areas for 1974-75.

(c) **Postal Services** : During 1974-75, post offices will be opened in those Adivasi areas in M.P. which have been declared either very backward or hilly, wherever the prescribed conditions are satisfied. The current ban on opening of new post offices etc. is not applicable to very backward and hilly areas.

Telecom. Services : Since there is no separate budget provision for communication for Adivasi areas the question does not arise.

महाराष्ट्र में मनिक गढ़ के वन भूमि से बेदखल करने तथा बदखल किए गए किसानों पर अत्याचार करने के बारे में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के आयुक्त का निष्कर्ष

1875. श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मानकगढ़ के बनभूमि के बेदखल करने तथा बेदखल किये गये किसानों पर अत्याचार करने के बारे में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने निष्कर्ष सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने मानकगढ़ क्षेत्र में सरकारी बनभूमि से परिवारों को बेदखल कराने के संबंध में अपने सुझावों के साथ एक टिप्पणी मुख्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार को भेजी है ।

धुलिया जिले में भूमि का हस्तान्तरण

1876. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के धुलिया जिले में आदिवासियों की भूमि के मामले में भूमि हस्तान्तरण की जांच करने के लिए दो विशेष तहसीलदार नियुक्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं ; और

(ग) इन निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

शरावती परियोजना में ठेकेदारों का सहयोग

1877. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरावती परियोजना के ठेकेदार निर्धारित समय के अनुसार कार्य न करके प्रशासन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) शरावती परियोजना में धीमी प्रगति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । कर्नाटक से यह पता चला है कि वहां ठेकेदारों की ओर से कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) 2×89.1 मेगावाट (नौवीं और दसवीं यूनिटों) के प्रतिष्ठापन में कुछ विलम्ब संयंत्र तथा उपस्कर की सुपुर्दगी तथा प्रतिष्ठापन में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण और अंशत: भारी और बृहदाकार बंडलों के परिवहन में हुई कठिनाइयों तथा कार्यस्थल पर विशेष प्रतिष्ठापन की आवश्यकता के कारण हुआ है । काम में तेजी लाने के लिए परियोजना प्राधिकारी तथा संभरक मिल कर काम कर रहे हैं । केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अधिकारी स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रहे हैं और जहां भी आवश्यकता होती है वहां सहायता कर रहे हैं ।

कर्नाटक में हिडकी बांध का निर्माण

1878. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हिडकी बांध के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या हिडकी बांध के विकास से और भद्र बांध के दायें किनारे पर दूसरा जनरेटर लगाने से कर्नाटक में बिजली की स्थिति में सुधार हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि हिडकल बांध लगभग पूर्ण होने वाला ही है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि हिडकल बांध पर प्रस्तावित 120 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने वाले 14.2 मैंगावाट को दो यूनिट और भद्र बांध पर 20 मिलियन यूनिट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने वाला 7.2 मैंगावाट का दूसरा यूनिट चालू हो जाने से कर्नाटक की विद्युत स्थिति में सुधार हो जाएगा। राज्य सरकार ने और आगे सूचित किया है कि यह सब उन दो अल्पकालिक स्कीमों के शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वियन तथा उत्पादन यूनिटों के आयात पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में तापीय संयंत्र की स्थापना

1879. श्री के० लकप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने राज्य में तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे कोई बड़ा विद्युत संकट न पैदा हो ; और

(ख) क्या राज्य विद्युत निगम को राज्य में तापीय संयंत्रों के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने मंगलौर में 400 मैंगावट क्षमता के एक ताप विद्युत केन्द्र का प्रस्ताव किया है और उन्होने केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है।

मनोरंजन के समय को फिर से निर्धारित करके बिजली के निरर्थक उपयोग को रोकना

1880. श्री के० लकप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा गृहों और मनोरंजन केन्द्रों द्वारा बिजली के निरार्थक उपयोग को रोकने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि देश के सभी सिनेमागृह अपने मनोरंजन के समय को पुन: निर्धारण करलें, तो कन्द्रीय सरकार के विचार में बिजली की कितनी बचत होगी ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बिजली की कमी का सामना करने वाले राज्यों में सिनेमाओं सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठापनों में बिजली क उपभोग पर समुचित कटौतियां तथा पाबन्दियां लगा दी गई हैं ।

(ख) सम्पूर्ण देश में छायागृहों (सिंनेमा गृहों) के मनोरंजन समय को पुन: नियत करने से ऊर्जा उपभोग कम करने में सहायता नहीं मिलेगी। वहरहाल, इससे पीक भारों की पूर्ति करने और मांग वक्रों को कम करने में सहायता मिलगी। रोस्टर सूचियां बनाते समय राज्य बिजली बोर्ड इसको ध्यान में रखते हैं ।

Extra Departmental Employees

1881. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme to accept such extra-departmental employees as have passed Higher Secondary examination as departmental employees within a specified period; and

(b) if so, the time by which the final shape would be given to the said scheme and the main forms thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No Sir, a suggestion for permitting Extra Departmental Agent's to appear in the Departmental examination for promotion to the clerical grade for the unfilled departmental quota was considered and after due examination has not been accepted.

(b) Does not arise.

Achievement of targets in Power Irrigation Foodgrains, Steel during fourth Plan

1882. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the targets fixed for power, irrigation, production of foodgrains, steel and other essential commodities in the Fourth Five Year Plan and the extent to those the targets have been achieved in respect of each of them;

(b) the percentage of shortfall in the targets; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

भारत में अल्पसंख्यकों को रोजगार

1883. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन में हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर हुई विचार गोष्ठी के निष्कर्षों का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें भारत में अल्प संख्यकों की रोजगार की स्थिति के बारे में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, क्या वे सही हैं, और

(ग) यदि हाँ तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने भारतीय मुस्लिम संघ द्वारा लन्दन में 29 जून, 1974 को की गई विचार गोष्ठी की रिपोर्ट देखी है ।

(ख) और (ग) राज्य के अधीन किसी पद में नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) में समान अवसर की व्यवस्था है। अनुच्छेद 16(2) के अन्तर्गत राज्य के अधीन किसी रोजगार, अथवा पद के बारे में किसी नागरिक को केवल धर्म, वंश, जाति, स्त्री-पुरुष भेद, पीढ़ी, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा उनमें से किसी एक के अधार पर अपात्र नहीं समझा जायगा अथवा उसके साथ पक्षपात नह किया जायगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए ही सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16(4) के, अधीन की गई है। सेवा में किसी अल्प संख्यक समुदाय के लिए आरक्षण का कोई विचार नहीं है। किन्तु सरकार का प्रयास रहा है कि किसी अल्प संख्यक समुदाय के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य न किया जाय और उनके लिये उचित अवसरों की व्यवस्था की जाय।

'इलिसिट फायर-आर्मस् ट्रेड थ्राईवस इन रामपुर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1884. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली में जून, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र में 'इलिसिट फायर-आर्मस ट्रेड थ्राईवस इन रामपुर' ; शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अवैध शस्त्र कारखानों का पता लगाने के अभियान के परिणामस्वरूप अगस्त, 1973 से रामपुर में ऐसे 5 कारखानों का पता लगाया गया है। भारी मात्रा में पुर्जे, उपकरण और औज़ार बरामद हुए थे। इस संबंध में 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और शस्त्र अधिनियम के अधीन उन पर अभियोग चलाया जा रहा है।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुज्ञप्त उत्पादन क्षमता का पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को स्थानान्तर करना

1885. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से बार बार यह शिकायत की है कि विदेशी नियन्त्रित कम्पनी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ने पश्चिमी बंगाल में अपनी अनुज्ञप्त क्षमता का पूर्ण प्रयोग किये बिना अनुज्ञप्त उत्पादन क्षमता का पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को स्थानान्तरण किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस कम्पनी की सात वर्षीय योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये एक समिति का गठन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) प० बंगाल सरकार द्वारा फिलिप्स इण्डिया लि० के विरुद्ध कुछ शिकायतें सरकार की जानकारी में लाई गई है जिनमें अन्य बातों के साथ लाइसेंस प्राप्त क्षमता का कलकत्ता से अनधिकृत स्थानान्तरण भी सम्मलित है। मामले पर कम्पनी के साथ विचार विमर्श किया गया था। कम्पनी से प्राप्त उत्तर की जांच कर लेने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि कलकत्ता से लाइसैंस प्राप्त क्षमता का अनधिकृत स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) समिति ने यह सुझाव दिया था कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए जिसमें फिलिप्स इण्डिया व्यावसायिक पुर्जों और उपकरणों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अन्तर को भरने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, कम्पनी के साथ कुल समस्त (पैकेज) कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया था कि कम्पनी इलेक्ट्रानिक्स और विद्युत प्रकाश के क्षेत्र में, जिसमें लघु उद्योगों को फिट्स और सब-असेम्बलीज की सप्लाई करके सीधी सहायता प्रदान करना सम्मिलित है, अन्य उद्योगों को उपकरणों और सामानों की नियमित सप्लाई के माध्यम से बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर सकता है इससे निर्यात के माध्यम से कम्पनी द्वारा निर्बाध विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाना सम्भव समझा गया था। अतः समिति ने सुझाव दिया था कि कम्पनी में विदेशी इक्विटी की मात्रा 60 प्रतिशत से घटा कर 51 प्रतिशत कर दी जाए ।

Mr. Speaker : The question hour has ended. I had said that notice for half an hour discussion may be given. More time can be allotted by Business Advisory Committee. Every day I have to explain this thing.

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : आपके निर्वाचन क्षेत्र में गम्भीर घटनाए घटी हैं। मैं सदन में उनकी जानकारी देना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : Barupal ji, we shall see that this matter is taken up in the Business Advisory Committee.

Shri Madhu Limaye (Banke) : There is a Parliamentary Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Apart from that there is a Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Cannot these two bodies be given the powers to investigate immediately ?

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re · Question of Privilege

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आप से केवल एक अपील करना चाहता हूं । 15 जुलाई को मने बम्बई पुलिस के उप-आयुक्त द्वारा मेरी तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी । आपने उसके सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से पूछताछ की थी । मुझे महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट की पूरी प्रति दे दी गई है । उसके टेप रिकार्डों को मैं विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखने को तैयार हूं । इस बारे में कोई भी पत्र आदि उपलब्ध नहीं है कि बम्बई में विशेषाधिकार विद्यमान था । मेरे पास टेप रिकार्ड हैं । यदि यह सिद्ध हो जाये कि मैंने गलत मामला उठाया है तो मैं संसद से त्यागपत्र देने को तयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको त्यागपत्र देने की क्या आवश्यकता है ?

Shri Madhu Limaye : I have heard the tapes. How can these be wrong ?

प्रो० मधु दण्डवते : उप आयुक्त ने बताया है कि हमनें उन्हें बताया था कि हम रेलवे वर्कशाप जाना चाहते हैं जबकि टेप रिकार्ड से पता चलता है कि हम ने कहा था कि हमारी रेलवे वर्कशाप जाने में रुचि नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह घटना सदन के बाहर घटी है । इसमें विशेषाधिकार का कौन सा मामला है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मुझे गिरफ्तार किया गया तो इसी बात पर मैं विशेषाधिकार का मामला नहीं उठाता । यदि उप-आयुक्त गलत तथ्यों के आधार पर तार देता है, तो यह विशेषाधिकार का मामला बन जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का मामला तभी उठता है जब आप सभा में आ रहे होते हैं और कोई व्यक्ति आपके पथ में बाधक बनता है । किसी सदस्य के साथ घटने वाली कोई घटना विशेषाधिकार का मामला नहीं बन जाती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला श्री धोटे के मामले से मिलता जुलता है । उस मामले में पुलिस ने गलत जानकारी दी थी और आपने मामले की जांच करवाई थी और दोष सिद्ध हो गया था ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में कुछ असंगति है । मेरा निवेदन है कि विशेषाधिकार समिति ही इस मामले के अध्ययन के लिये उचित माध्यम है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : ऐसा लगता है कि पुलिस कमिश्नर ने सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में गलत सूचना भेजी थी। माननीय सदस्य ने बताया है कि उनके पास इसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिलेख की प्रति देखना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे गिरफ्तार करते समय पुलिस कमिश्नर ने मेरे पूछने पर भी न तो धारा ही बताई न आदेश ही दिखाया ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिलेख मुझे भेज दे । मैं उसे देखना चाहता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह मामला गलत जानकारी दिये जाने के बारे में है ।

Shri Madhu Limaye (Banke) : I have a point of order. But you are not giving me a chance.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय सदस्यों के साथ घोर अन्याय हो रहा है । वे गिरफ्तारी से नहीं डरते ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के विशेषाधिकारों का मुझे स्पष्ट ज्ञान है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सिरमपुर) : क्या आप माननीय सदस्य पर विश्वास करेंगे अथवा पुलिस कमिश्नर पर जबकि सदस्य के पास विशिष्ट प्रमाण भी हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : टेप रिकार्ड की गई वार्ता के अनुसार उप आयुक्त का प्रश्न है "आप कहाँ जा रहे हैं"? उत्तर में कहा गया है "हम रेलवे वर्कशाप नहीं जा रहे हैं अपितु रेलवे कालौनी जा रहे हैं " क्या एक नागरिक को वहां जाने का अधिकार नहीं है ? उप-आयुक्त ने उत्तर दिया कि नागरिक तो जा सकता है परन्तु आपको अनुमति नहीं है" । तो क्या संसद सदस्य नागरिक नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें गिरफ्तारी का उल्लेख कहां है ?

प्रो० मधु दण्डवते : उप आयुक्त ने कहा कि यदि आप कालोनी ना रहे हैं तो आप बंदी हैं, मोटर में वैठिए । इस सम्बन्ध में आदेश पूछे जाने पर उन्होंने इन्कार कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मुझे प्रतिलेख देंगें तो मैं जांच करूंगा ।

Shri Madhu Limaye : I have given a notice of breach of privilege in this matter but you do not want to listen to the main issue.

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरे सदस्य बोल रहे हैं तब मैं कैसे अनुमति दे सकता हूं ।

ऐसे मामलों को मैं सरकार के पास भेजता हूं तथा जानकारी उपलब्ध होने पर बुलेटिन प्रकाशित कर दिया जाता है . . .

Shri Madhu Limaye : When a member is arrested, intimation has to be given. I have given notice of my privilege motion on information given in the bulletin. We do not say that we cannot be arrested but we wish that correct information may be furnished. You want to arrive at a decision without heeding to this simple demand. **(व्यवधान)**

Mr. Speaker : These words will not go on record.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री मधुलिमिये ने इस सत्र के आरम्भ होने से पहले नोटिस दिया था। तब आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह आपको अभी पता चला है। मामला केवल यह है कि सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचना गलत भेजी जाती है।

Mr. Speaker : If you want to retain the word "Parliamentary" it may be done.

Shri Piloo Mody (Gadhra) : Yes, it should be retained. There is much* in the House.

अध्यक्ष महोदय : सरकार से जानकारी मिलने पर उसे बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया गया था परन्तु उन्हें सन्तोष नहीं है।

श्री श्याननन्दन मिश्र : आपने * शब्द को क्यों निकाल दिया है ? क्या असंतोष यह असंसदीय है ? They have used the word 'nonsense'.

Mr. Speaker : The word nonsense has been used. But do you want to retain the other word also ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमारे पहले प्रधान मंत्री 'अजीब बेहूदगी' कहा करते थे। वर्तमान प्रधान मंत्री भी इसे दुहराती हैं। आप कैसे कहते हैं कि * असंसदीय है ? यह दोनों शब्द * और * समान नहीं हैं। * कभी भी असंसदीय नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वीकार करेंगे कि यह सदभावनापूर्ण नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री चर्चल के बारे में श्री ऐटरी ने कहा था 'मिस्टर चर्चलज वॉएस इज मिनिंगलेंस नायज" इसका अनुवाद * है.। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द का संसद में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 355 (ङ) 357 (ङ) से (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ग्रन्थालय में रखे गये। [देखिये संख्या एल० टी० 8132/74]

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the chair.

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० निं० 346 (ङ) से 353 (ङ) (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8133/74]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृहमंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) 10वां संशोधन विनियम 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० निं० 777 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 9वां संशोधन विनियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० निं० 778 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय मे रखी गई । देखिए संख्या 8134/74]

भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1974

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित नियम सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० निं० 571 में प्रकाशित हुए थे [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8135/74]

गुजरात विद्युत् बोर्ड की वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा वक्तव्य

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत सम्भरण अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात विद्युत बोर्ड के वर्ष 1972-73 क वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 8136/74]

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

ग्यारहवां प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं विंशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

Mr. Speaker : Please have an other Speaker for the Zero hour.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बैगुसराय) : क्या आप सभापति तालिका से नहीं चुन सकते ।

अध्यक्ष महोदय : दो अयध्क्ष होने चाहिये । एक सामान्य कार्य के लिये और दूसरा जीरो आवर के लिये ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

सभी ग़ैर-सरकारी बिजली घरों के राष्ट्रीयकरण के लिये बिहार सरकार का अध्यादेश

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं सभा का तथा सरकार का विशेष रूप से सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने सभी गैरसरकारी बिजली कम्पनियों को अपने हाथ में लेने का अध्यादेश जारी करने का निश्चय किया है किन्तु उक्त अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिये लम्बित पड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बिजली कम्पनियों के मालिक कम्पनियों के प्रबन्ध में या विकास कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। बिहार बिजली के उत्पादन तथा उसकी खपत में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिये अध्यादेश पर तुरन्त राष्ट्रपति की अनुमति दी जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : दूसरे वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण पर नियम 377 के अधीन मामला उठान के मेरे निवेदन का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे विधेयक पर विचार के समय उठा सकते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे वक्तव्य पर क्या कायवाही की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसे मंत्री महोदय के पास भेज दिया जाएगा ।

हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक--जारी

UNIVERSITY OF HYDERABAD BILL—contd.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : बेशक हमें अपने देश मे अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है परन्तु हम विश्वविद्यालयों में तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करते

समय सतर्क रहना होगा कि अधिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के उत्साह में कहीं हम घटिया किस्म की शिक्षा संस्थाओं का निर्माण न करें।

हमारे देश में इस समय 95 विश्वविद्यालय तथा 9 राज्य अध्ययन संस्थाएं हैं जिनका दर्जा विश्वविद्यालय के स्तर का है। ये संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं परन्तु उनके पास धन बहुत अपर्याप्त है। फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना है इसका दुरुपयोग न हो।

विधेयक प्रस्तुत करते समय शिक्षा मंत्री प्रो० नरूल हसन ने दस वर्ष के लिय 11.60 करोड़ का अनावर्ती तथा 3.04 करोड़ रुपये के आवर्ती व्यय का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि यह धन अपर्याप्त है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूरा व्यय टोरोंटों (कनाडा) के एक विश्वविद्यालय से भी कम है। हम अपनी सीमित राशियों के स्तर में सुधार करने और विश्वविद्यालयों में विशेषतः इस विश्वविद्यालय में सफलता प्राप्त करने के लिये आयोग में लाना है।

इसके लिये मैं विश्वविद्यालय अनदान आयोग के चेयरमैन डा० जार्ज जेकब को धन्यवाद देता हूं तथा कार्यकारी दल के अच्छे कार्यों के बारे में मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य विचारों से सहमति व्यक्त करता हूं।

मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में कहा था कि यह एक एकात्मक विश्वविद्यालय होगा। बाद में उन्होंने बताया कि इसके परिसर राज्य के अन्य स्थानों पर होंगे। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय के एकात्मक स्वरूप को समाप्त नहीं किया जायेगा, चाहे यह हैदराबाद के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष प्रकार के विभाग स्थापित करे। परन्तु इन विभागों को हैदराबाद विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रह कर ही अपना कार्य करना होगा।

इस विधेयक में कुलपति की नियुक्ति के बारे में बहुत अच्छा उपबन्ध है।

इस विधेयक के पृष्ठ 6, 13 और 14 पर कुलपति की नियुक्ति और कृत्यों के संबंध में उपबन्धों का उल्लेख है। मझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि इस नये विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुलपति को एक बार निर्वाचित किया जायेगा और उसकी कार्यविधि पांच वर्ष की होगी। यह एक बहुत ही अच्छा उपबन्ध है, क्योंकि यदि कम अवधि के लिये कुलपति को निर्वाचित किया गया और उसको पुनः निर्वाचित के लिये किन्हीं बातों पर निर्भर करना पड़े तो वह अपेक्षित ईमानदारी तथा स्वतंत्रता से कार्य करने में समर्थ नहीं हो पायेगा।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करेंगे कि उनके इस कथन का क्या अर्थ है कि हैदराबाद के इस नये विश्वविद्यालय से परस्पर-अनुशासनिक संबंधी विषयों के अध्ययनों के नये कार्यक्रम के परीक्षण करन में समर्थ होगा। यह बहुत ही अच्छा विचार है कि सामाजिक ज्ञान, मानव ज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के अध्ययन को सार्थक ढंग से जोड़ा जाये और विद्यार्थियों को इससे कुछ लाभ भी हो। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर कुछ और प्रकाश डालें।

इस विधेयक में विद्यार्थी-कल्याण के लिये 'डीन' की नियुक्ति का उपबन्ध भी किया गया है और साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उपबन्ध भी है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारी छात्र युवा पीढ़ी 1974 में भी यह महसूस करें कि हम अब भी केवल दाण्डिक उपायों के माध्यम से ही अनुशासन की बात करते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय के मामलों में शामिल नहीं होने देते ।

इस विधेयक के पृष्ठ 29 पर दीक्षान्त समारोह का भी उल्लेख किया गया है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय संबंधित अधिकारियों से कहेंगे कि हमें दीक्षान्त समारोह संबंधी सभी कार्यवाही पर विचार करना होगा । हमारे देश में दीक्षान्त समारोह रूढ़ी बनकर रह गये हैं और उनमें किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं है । अतः मैं यह महसूस करता हूं कि हमें कुछ उपाय करने चाहिये । इसके साथ ही मैं नहीं चाहता कि इस अवसर को रंग देने के लिये हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, डीन, कुलाधिपति और कुलपति ब्रिटिश औपनिवेशिक पुराने परिधान पहन कर निकलें । रंग और धूमधाम तो छात्रवृत्तियों के मामलों में होनी चाहिये, इस प्रकार के साधारण मामलों में नहीं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस विश्वविद्यालय से न केवल आन्ध्र-प्रदेश को अपितु, समूचे देश को श्रेय प्राप्त होगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) **:** मैं एक बात कहना चाहता हूं । मैं छः सूत्री फार्मूले के अनुसार मैं इस विधेयक को पेश करने के लिये सरकार और प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं ।

जब 1972–73 के लिये शिक्षा मंत्री ने अनुदानों की मांगें पेश की थीं, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना इस लिये करना चाहती है, क्योंकि वहां के लोगों की कुछ उचित अथवा काल्पनिक शिकायतों के परिणाम-स्वरूप आन्दोलन हुआ था और कि जहाँ तक उनकी शिक्षा का संबंध है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था । उस दिन शिक्षा मंत्री स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके थे ।

मैं शिक्षा मंत्री को इस विधेयक को पेश करने के लिये बधाई देता हूं । इस विधेयक से आन्ध्र-प्रदेश के लोगों को सन्तोष मिलेगा, क्योंकि उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है जहां उनके शिक्षा सम्बन्धी हितों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जायेगा । राज्य में यह प्रथम केन्द्रीय विश्व-विद्यालय है जिससे उस क्षेत्र के लोगों की भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भावनाओं को संतोष मिलेगा ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि यह विश्वविद्यालय 'एकात्मिकता प्रधान' होगा और राज्य के विभिन्न भागों में कुछ पाठ्यक्रम भी आरम्भ किये जायेंगे । इन पाठ्यक्रमों को अन्य भागों में भी आरम्भ किया जाना चाहिये ताकि सभी लोगों को यह महसूस होने लगे कि उन्हें भी इस विश्वविद्यालय का लाभ हुआ है ।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इस विश्वविद्यालय को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिये जिससे आन्ध्र प्रदेश के अधिक से अधिक स्थानीय छात्रों ो वहां स्थापित होने वाले कई संस्थानों में प्रवेश पाने का अवसर मिले । केन्द्रीय विश्वविद्यालय का यह भी अर्थ होगा कि शिक्षा के मामले में प्रत्येक छात्र को सुविधायें तथा अवसर प्राप्त होंगे चाहे वह देश के

किसी भाग से ही संबंधित क्यों न हो। हमें इस तथ्य को भी नहीं भुलाना चाहिये। आन्ध्र प्रदेश में पहले से तीन विश्वविद्यालय है। तेलंगाना के लोगों की भावना है कि वारंगल में एक और विश्वविद्यालय खोला जाये। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय से उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यकताएं और भावनाएं पूरी होंगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से स्थानीय लोगों को इन संस्थाओं में प्रवेश के अधिक अवसर मिलेंगे। यदि नहीं, तो जिस प्रयोजन के लिये इसे स्थापित किया जा रहा है वह प्राप्त नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में शिक्षा मंत्री को पुनः बधाई देता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन (मंडक) : विधेयक पर बोलने से पूर्व मुझे चाहिये कि एक माननीय सदस्य को दोषी ठहराऊं जिन्होंने कल कहा था कि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नागार्जुन विश्वविद्यालय रखा जाये। मैं समझता हूं कि इसका नाम वही रहना चाहिये जो विधेयक में रखा गया है। हमने तेलंगाना और आन्ध्र में पृथकतावादी आन्दोलन का अनुभव किया है। छह सूत्री फार्मूला के अनुसार हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर सभी सदस्य सहमत हो गये थ उन आन्दोलनों के दौरान यह कहा गया था कि हैदराबाद में आंध्र के बच्चों के लिये सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने के लिये इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर सहमति हुई थी ताकि उन्हें मानसिक सन्तोष मिल सके। आन्ध्र प्रदेश के लोगों को 80 प्रतिशत स्थान देने की राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार नहीं किया गया है। इसके विपरीत वहां अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश किये जायेंगे।

विधेयक के एक खंड में बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्ध या संचालित किसी भी संस्था को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के अलावा हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिये मान्यता नहीं दी जायेगी। मैं समझता हूं कि उसके लिये सरकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अन्तः अनुशासनीय पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान के विचार की सराहना करता हूं। यदि नियुक्तियां समुचित ढंग से न की गई तो हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयोजन निष्क्रिय हो जायेगा। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के अनसार पांचवी योजना अवधि के अन्त तक लगभग 3000 छात्रों को प्रवेश मिल जायेगा। प्रति वर्ष 600 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करता हूं कि वह आन्ध्र के लोगों के लिये 80 प्रतिशत स्थान और उस 80 प्रतिशत में से आधे स्थान तेलंगाना के लोगों के लिये आरक्षित करें ताकि प्रति वर्ष कम से कम 200 छात्रों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले। अन्यथा यह ढ़कोसला है। मंत्री महोदय इस विश्व-विद्यालय में चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरी स्कूल को शामिल करें। मंत्री महोदय ने कल घोषणा की है कि श्री गुरुबख्श सिंह को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और योजना बोर्ड भी गठित कर दिया गया है। मुझे पता नहीं है कि इस योजना बोर्ड में राज्य सरकार के किसी सदस्य को लिया जायेगा या नहीं। मंत्री महोदय इस विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि की जांच करें।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर छह मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

Mr. Deputy Speaker in the chair.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रेल और 1 जून, 1974 से मंहगाई भत्तों की दो किश्त देय हो गई है। अनिवार्य जमा सम्बन्धी अध्यादेश के कारण उन्हें जो राशि देय है उसका आधा भाग ही दिया जा रहा है। क्या इस अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि मानीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है। यह कार्य-सूची में नहीं है उनकी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल कर ली गई है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता।

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्लीचेरी)। यद्यपि मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का स्वागत करता हूं तथापि कुछ बात ऐसी हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के नाम से ऐसा संकेत मिलना चाहिये था कि केन्द्रीय विश्विद्यालय आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिये है। जब हम इसे हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक कहते हैं तो हमें उन अप्रिय घटनाओं की याद आती है जो उस राज्य के दो क्षेत्रों के लोगों में हुई थी। अतः इस विधेयक का नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (आन्ध्र प्रदेश) विधेयक होना चाहिये था।

मैं बहुत अधिक महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय की स्वायता के बारे में, गांरटी होनी चाहिए इस विधेयक का जैसा प्रारूप तैयार किया गया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें है जो विश्वविद्यालय की समुचित स्वायत में बाधक है। इसके लिए उसका लोकतांत्रिक ढांचा होना चाहिए अन्यथा विश्वविधालय के स्वायत स्वरूप के बारे में हम जितने बड़े बड़े दावे करते है या घोषणाए करते है उनका कोई अर्थ नहीं है।

विश्वविद्यालय का कोर्ट एक रबड़ स्टाम्प जैसा है।

विधेयक के उपबंधों के अनुसार कार्य-कारिणी की शक्तिशाली निकाय बन गई है। वह किसी भी बात को अस्वीकार कर सकती है। एक उपबंध होना चाहिये जिसके द्वारा शिक्षा परिषदों को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार दिया जाये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि परीक्षाओं के सम्बन्ध में समेस्टर प्रणाली अपनाई जायेगी मैं इसके विरूद्ध नहीं हूं। हमारा अनुभव रहा है कि आन्तरिक निर्धारण के संबंध में पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि बरते गए हैं। इन सब पर किसी प्रकार की रोक लगाई जानी चाहिये।

छात्रों के प्रवेश पर किसी भी आधार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये ।

धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतंत्र ऐसे लक्ष्य होने चाहिये जिन्हे खंड 4 में रखा जाये ।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिसी) : हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य है । एक तो जुड़वां शहर हैदराबाद के लोगों की तात्कालिक समस्या का समाधान और दूसरा ज्ञान वर्धन के लिये उच्च शिक्षा केन्द्र की स्थापना, जिससे लोगों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिल सके ।

विश्वविद्यालय के क्षेत्र के बारे में बहुत भ्रांति है । उदाहरण के लिये, यह कहा गया है कि आन्ध्र के लोगों के लिये 80 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायगे । मैं इसका समर्थन नहीं करता । यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और इसमें प्रत्येक छात्र को प्रवेश लेने का अवसर मिलना चाहिये । छह सूत्री फार्मूला इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था । मुल्की नियमों के कारण लोगों को हो रही कठिनाईयों को भी हमें देखना है । उन्होंने ऐसा वाक्यांश रखा है जिससे भ्रांति उत्पन्न हो गई है । यह भ्राँति निवासी और गैर-निवासी के संबंध में है । यदि अधिवास के स्थान को स्वीकार किया जाये तो लड़कों और लड़कियों को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : मैं हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा पुनः स्थापित इस विधेयक का समर्थन करता हूं । आन्ध्रप्रदेश के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है । यह विश्वविद्यालय शोध कार्य उच्च-अध्ययन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं तथा विभिन्न संकायों के लिये एक आदर्श विश्वविद्यालय होना चाहिये । मेरे मित्रों ने कल सुझाव दिया था कि इसका नाम नागार्जुन विश्वविद्यालय होना चाहिये । मेरे विचार से इसका नाम हैदराबाद विश्वविद्यालय ही रहना चाहिए ।

मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने श्री जैकब की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है । उन्हें चाहिए कि वह समिति को सलाह दे कि वह अपना कार्य शीघ्र करें और इस विश्वविद्यालय में 2 अक्तूबर 1974 से आरंभ करें । व्यावसायिक कालेज भी खोले जाने चाहिये ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तुर) : यह वास्तव में विचित्र बात है कि उस फार्मूला को क्रियान्वित करते समय, जिसमें आन्ध्र प्रदेश की शिक्षा संबंधी कठिनाईयों को दूर करने को कहा गया है, इस विधेयक में उन कठिनाईयों को दूर करने के लिये विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है । यद्यपि खंड 7 में कहा गया है कि यह अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है और बिना किसी जातिपाति और किसी भेदभाव के यह सब के लिये खुला है तथापि विधेयक में एक परन्तुक जोड़ा गया है यह विधेयक अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों को दाखिला देने में विश्वविद्यालय को विशेष उपबंध करने से नहीं रोकता । इसे नकारात्मक ढंग से रखने की बजाय इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिये । इसी प्रकार आन्ध्र के लोगों को वहां शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने के लिये उपबंध किया जाना चाहिये । इस कमी को दूर करने के लिये इस कोटि क व्यक्तियों के लिये एक विशेष उपबंध क्यों नहीं किया जाता ? जो परिस्थितियां है, उनके अन्तर्गत मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक के खंड 7 में शामिल करें ।

डा० जैकब की अध्यक्षता वाले कार्यकारी दल के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है परन्तु कुछ स्वीकार नहीं की गई हैं । हम जानना चाहते हैं कि किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने दल को बहुत अच्छे -अच्छे सुझाव दिये हैं ।

***श्री टी० एस० लक्ष्मणन् (श्रीपरेम्बदूर)** : मैं अपने दल द्रमुक की ओर से इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं :

हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग आन्ध्र प्रदेश के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी । गत वर्ष वहां विद्रोह और हिंसा की घटनायें घठित हुई । तब केन्द्रीय सरकार ने छः सूत्री फार्मूला तयार किया था । जिसके अर्न्तगत हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है । यदि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के लोगों की न्यायोचित माँगों को पूरा करने के लिये ठीक समय पर निर्णय कर लिया होता तो रक्तपात और सम्पति को नष्ट होने से बचाया जा सकता था ।

मैं विधेयक के खंड 7 का उल्लेख करूंगा जिसमें कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय सभी छात्र, छात्राओं या कोई भी जाती या वर्ण भेद किये बिना खुला है । इस उपबंध में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिये था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों पर आवास सम्बन्धी शर्त लागू नहीं होगी । अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के छात्र आन्ध्र प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से प्रवेश लेने के लिये आये, उन्हें प्रविष्ट किया जा जाना चाहिये । खंड 7 में उपबंध शामिल किया जाना चाहिए । तभी इन जातियों के छात्रों को प्रवेश मिलेगा अन्यथा मझे डर है कि उन्हें आवास सम्बन्धी शर्त के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है ।

खंड़ 6 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सारे आन्ध्र प्रदेश तक होगा और इस उपबन्ध को खंड 7 में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

किसी भी राज्य में स्थित विश्वविद्यालयै में प्रवेश के लिये न्यूनतम अंक समान होने चाहिये इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश में सहायता मिलेगी ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं शिक्षा मंत्री द्वारा पेश किये गये हैदराबाद विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करता हूं ।

आंध्र प्रदेश में यह छठा विश्वविद्यालय होगा और दक्षिण भारत में यह पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा । यह विधेयक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है । इस विधेयक में विश्वविद्यालय के ढ़ांचे और संगठन का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और विधियों तथा अध्यादेशों द्वारा जारी

*तामिल में दिय गए भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised Translated Version based on English Translation office speech delivered in Tamil.

M/P(D)7LSS—10

किये जाने वाले अन्य सम्बधित ब्यौरे को छोड़ दिया गया है । विज्ञान और औद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के तीव्र विस्तार के कारण पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन करना आवश्यक है । इस विधेयक में ऐसे परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है।

हांलाकि यह विश्वविद्याय हैदराबाद में स्थापित होगा फिर भी इसका क्षेत्राधिकार समूचा आंध्र प्रदेश होगा। यह विश्विधालय हैदराबाद या तेलांगाना के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थापित किया जा रहा है । यह उद्देश्य विधयक के खंड 5 में उल्लिखित है । इसका एक उद्देशय ग्रामिण क्षेत्रों में तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था करना होना चाहिए ।

इस विधेयक में और कई बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले कुलपति की नियुक्ति और शक्तियों का प्रश्न है । उसकी नियुक्ति विजिटर द्वारा की जाएगी कुलपति की स्वतंत्रता पक्षपातहीनता और सत्ता की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसकी नियुक्ति विजिटर द्वारा की जाए और उसके विवेक पर किसी प्रकार का अकुंश नहीं होना चाहिये ।

कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात की ओर ध्यान दे कि विश्वविद्यालय अधिनियम विधान, अध्यादेशों और विनियमों का पालन किया जाए । विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है अनुशासन तथा छात्रों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति कुलपति के पास होगी। यह एक अच्छी व्यवस्था है ।

कार्यकारी परिषद् विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है । इसको विश्वविद्यालय की आय और सम्पति का काम संभालने के लिए अधिकार दिया गया है । लगता है हमने कार्य-कारिणी के गठन के संबंध में विधानों को पास करने के सम्बन्ध में 'सिनेट' की बात को सर्वोपरि स्थान दिया जाना चाहिये ।

विधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रस्तावित हैदराबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार प्रत्येक श्रेणी के प्राध्यापकों की एक सूची अपने पास रखेगा, जो पूरी तरह से वरिष्टता के आधार पर विभिन्न निकायों में उनको प्रतिनिधित्व देने के लिये होगी । इसका प्रभाव पदोन्नती पर नही पड़ना चाहिय । मुझे आशंका है कि इस व्यवस्था से विश्वविद्यालयों में छात्रवृति और शिक्षण कुशलता नहीं बढ़ेगी ।

फिर भी मैं आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय समूचे भारत के लिये आर्दश विश्वविद्यालय सिद्ध होगा । यह न केवल भारत में बल्कि एशिया भारत में अनुंसंधान का प्रसिद्ध केन्द्र सिद्ध होगा इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I congratulate the hon. Minister for making certain good provisions in the Bill. Alternative methods have been evolved for the evaluation of progress. I also welcome Section 24 which provides for recognition of student Unions and their representation in educational institutions. But it has certain flaws also. Provision should be made for security of service of teachers. Security of service should be ensured in this University

and other Central Universities and then a Conference of Education Minister should be called and they may be asked to implement this scheme in their respective States.

Certain posts have been created in the Universities unnecessarily. The Governor and the President should be excluded from academic sphere. In Article 18, University Court, Executive Council and Academic Council have been mentioned. I would like to know whether there will be some directive principles governing their constitution.

The term of office of Vice Chancellor is five years. But it is better if persons, who are too old, are not appointed for five years. If superannuated persons are appointed for another five years, it would create difficulties. Views of teaching Community should also be ascertained while making appointment for the office of Vice-Chancellor. I want that a clause should be added in regard to structure of the University Court, Executive Council and Academic Council in which directive principles should be laid down.

Shri M.C. Daga (Pali) : There are about 93 Universities for 33 lakb students. I welcome the move for establishment of a new University. But what is the object behind opening of a new university and spending crores of rupees? The very object of education should be to create self-respect among students.

The report of the Committee on the Governance of Universities and Colleges says :—

"The function of a University today is not only to enable students to attain excellence in knowlege but also to contribute directly to national development, to furnish an intellectual and moral leadership to the Community at large. Today when our nation is struggling to march towards the establishment of an egulitation society based on political and economic justice and social equality. University education can no longer remain a passive spectator. The task of creating a new social order which has assumed paramount importance today cannot be overlooked by the University Community"

I would like to know what will be the broad objects of Hyderabad University Degree of Doctor-of-Literature is conferred on Chief Minister, who are not educated. What is this nonsense.?

It is essential that full-powers should be given to autonomous body. I would like to know what powers have been given in regard to students participation.

Hyderabad University is going to be set up. I want that job oriented education should be imparted there. Unless education is job-oriented. Our object will not be achieved.

Old persons of 70 or 65 years should not be appointed for the offices of Vice-Chancellor or Pro-vice-Chancellors. I have given notice of amendments in this regard.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : यह विधेयक हमारे देश के एक विशेष क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही शिकायत और दृढ संकल्प का परिणाम है : इस लिऐ में इसका स्वागत करता हूं । इस विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत सरकार और देश के नेतृतव को प्रतिष्ठा प्रदान करनें का प्रत्यन किया गया है । सरकार ने इस क्षेत्र की शैक्षिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिये कार्यवाही की है । आंध्र प्रदेश में हुए आन्दोलनों के परिणामस्वरूप सरकार ने छः सूत्रीय फार्मूला बनाया और उसी के अर्न्तगत यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है ।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के परिसर खोलने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । नए परिसर खोलने में कठिनाईयां भी होती है और इसके कई लाभ-हानियां है । मेरा सुझाव है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसर खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि शिक्षण का स्तर बना रहे ।

इस विश्वविद्यालय के एक इस प्रकार का आर्दश विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिये जिसमें क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय भावनाएं न हों । एशिया ही नहीं बल्कि विश्व भर में यह एक सर्वोतम विश्वविद्यालय होना चाहिए ।

विद्यार्थि अनुशासनहीनता का जिक्र किया गया है वास्तव में इस समस्या का समाधान एक विशविवद्यालय में नहीं किया जा सकता यह एक राष्ट्रिय समस्या है । इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी समुदाय को आत्म सम्मान वाला और अनुशासन का पालन करने वाला बनाया जा सके । मैं विधेयक का सर्मथन करता हूं ।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : This is a simple and stereotyped measure. There is nothing in the Bill which could distinguish it from other similar Bills.

The proposed University will allow admission to these students who, on account of certain reasons could not be admitted to the other university of Hyderabad. To that extent, I welcome the Bill.

It will be appropriate if Hindi is made the medium of instruction in that University. That will help in the propagation of Hindi in the South.

This University should try to open colleges in various parts of the State so that more and more students could benefit from it.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : This is the seventh Central University being opened by the Government. I hope that this University will provide higher education to the weaker Section of the society.

There should be no upper age limit fixed for the Vice-Chancellor because, there are instances when superannuated and old persons performed excellent service for the course of education. Such scholars, as are experienced and dedicated to the cause of education should be appointed as Vice-Chancellors, irrespective of their age.

In principle, I am not against the autonomy of the University. But this autonomy should not result in anarchy and chaos in the functioning of the University.

The University should be developed not only as a centre of learning in India but it should be so developed that it could attract students and scholars from all over the world.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The establishment of this University is the result of six point formula evolved for Andhra Pradesh. It is entirely a political decision. There is already one University **i.e.,** Osmania University in Hyderabad. If there is any difficulty of admission to a Section of students that could have been solved by extending the present University.

If the establishment of this University is inevitable, this could also be established in the rural area so that people of rural areas could also be benefited. I hope that next Central University will be established not in a town but away from it.

Government should exercise some control on the finances of the Universities so that there can be some check on the avoidable expenditure of the Universities.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। एकात्मक विश्वविद्यालय की चर्चा की गयी है। एकात्मक विश्वविद्यालय वस्तुत: सम्बध विश्वविद्यालय है। स्कूलों की स्थापना स्वयं विश्वविद्यालय करेगा। सभी एकक इसी विश्वविद्यालय के एकक होंगे। समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय करेगा जो इस के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे।

कर्मचारी दल की सिफारिशों की चर्चा की गयी है। कर्मचारी दल दो मुख्य सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सका। पहली सिफारिश है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों में राज्य सरकार का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये। किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के किसी विभाग में राज्य सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं है। अत: यदि संसद यह मत माने कि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा होगी तो यह कठिन पूर्वोदाहरण होगा। किंतु साथ ही यह अंशत: विधान के प्रति उत्तरदायी होगा। चीफ रैक्टर के गवर्नर की हैसियत से उसे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सब सूचनाएं दी जायेंगी। वह राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय के बीच सघन सहयोग बनाये रखने में सम्बन्ध स्थापित करेगा।

दूसरा सुझाव राज्य सरकार ने जो दिया है उसे कार्यकारी दल ने स्वीकार नहीं किया। यह सुझाव है आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए 80 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना। इसे स्वीकृत न करने का कारण यह है कि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अधिकांश संख्या में छात्र वहां के क्षेत्र से ही आते हैं। वस्तुत: इस संरक्षण से और अधिक गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। वर्तमान उपबंध से आप उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी जिसके लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

आशा है कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिये तो दाखले शीघ्र ही आरम्भ हो जायेंगे। जहां तक इस सुझाव का सम्बन्ध है कि योजना बोर्ड में **युवा और प्रसिद्ध व्यक्तियों को सदस्य** बनाया जाये, मैं इस

सुझाव को ध्यान में रखूंगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि प्रतिभाशाली युवकों को विश्वविद्यालय के विन्भिन विभागों में सम्मिलित किया जाये।

शिक्षकों की सेवा की सुरक्षा के बारे में अपील करने के अधिकार और कम से कम तीन सदस्य वाले न्यायाधिकरण की मांग करने के अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। इन तीन सदस्यों में एक सम्बन्धित शिक्षक कानामित व्यक्ति होगा। इसकी पहल करने का अधिकार भी सम्बन्धित कर्मचारी या शिक्षक या छात्र को है, विश्वविद्यालय को नहीं। यदि किसी समय यह अनुभव किया गया कि इस व्यवस्था से कठिनाइयां होती हैं तो सरकार शिक्षकों की सेवावधि को सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस सदन में आने से तनिक भी नहीं हिचकेगा।

शिक्षकों का विश्वविद्यालय पर एकमात्र नियंत्रण होगा। शिक्षा परिष्द् इसका मुख्य विभाग होगा। एक विशेष श्रेणी के अध्यादेशों के अतिरिक्त अन्य सब अध्यादेश तभी पारित होंगे जब कि उनका मसौदा शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार किया गया हो। परिषद् को अध्यादेश में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अतः शिक्षा सम्बन्धी मामलों में शिक्षा परिषद् के अधिकार को पूर्णतः संरक्षण मिलेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा माने गये ग्रेड़ों को सबके पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय ही लागू करता है। यही बात इस विश्वविद्यालय पर लागू होगी। जब इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का विधान बनाया जायेगा, तो वह अधिकांश रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधान पर आधारित होगा जहां शिक्षा परिषद् परोक्ष रूप में कुलपति की नियुक्ति करती है।

कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालिजों को भी नये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाया जाये।

प्रो० नरूल हसन : मेडिकल शिक्षा के लिये स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेवार हैं। मैं इसके लिए बजट की स्थिति के बारे कुछ नहीं जानता।

Shri Madhu Limaye : I wanted to know the structure of those bodies which are going to be constituted under clauses 18, 19, 20, and what will be their main aims ? Nothing has been mentioned in it.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं कार्यकारी ग्रुप की शिफारिशों की जांच कर रहा हूं। सिफारिशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय को प्रथम चरण में कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्राकृतिक विज्ञान के समेकित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The present Bill has no principles. We want to know its structure and want to know the names of its representatives. I mentioned this at the time of setting up of North Eastern University. But no attention has been paid in this matter.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरा सुझाव यह है कि चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम हो चाह जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अधिनियम हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधि-नियम हो, चाहे बनारस विश्वविद्यालय अधिनियम हो, चाहे पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम

हो, इन सब अधिनियमों में, इन नियमों के संविधान की व्याख्या का कार्य इन विश्वविद्यालयों के विधान पर छोड़ दिया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि जैसा श्री महाजन ने उचित रूप से उल्लेख किया है कि ऐसा करने से लचीलापन सम्भव होगा और इसके परिणाम स्वरूप इन निकायों के संविधान में संशोधन करना सम्भव होगा अन्य सिद्धान्त को पहली बार लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन में खंड 25, 26 और 27 का उल्लेख नहीं किया जाता है। खंड 19, 20 और 21, जिससे 'कोर्ट' के गठन के बारे में प्रत्यायोजित विधान की व्यापक शक्तियां दी गई हैं ; के बारे में कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है। अतः संविधिक और अन्य बातों के बारे में ज्ञापन में कोई व्याख्या नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रापन (तेल्लचेरी) : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में सभा ने यही परम्परा अपनाई थी। मुझे याद है कि जब सदन ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकार किया था तब 'कोर्ट' तथा कार्यकारी परिषद् के गठन की स्पष्ट व्याख्या की गई थी। इसे छोटा मामला समझकर नहीं छोड़ दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा यह वैद्य मामला उठाया गया है कि नियम 70 के अन्तर्गत 'प्रत्यायोजित विधान को सम्बन्धी ज्ञापन' में प्रत्यायोजित विधान के क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि ज्ञापन में खंड 19, 20 और 21 का उल्लेख नहीं किया गया है। इन खंडों में 'कोर्ट', कार्यकारी परिषद्, योजना बोर्ड के संविधान का उल्लेख किया गया है। इन खंडों में यह व्यवस्था है कि इनका गठन कानून द्वारा किया जाना चाहिये यह सदन का अल्प कानून नहीं बनायेगा। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ही अल्प कानून बनायेगी।

श्री एस० नुरुल हसन : यह अन्य विधान की तरह नहीं है जो प्रत्यायोजित विधान के अन्तर्गत आता है। यहां उद्देश्य यह है कि इन निकायों के संविधान में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। राज्य विश्वविद्यालयों में कठिनाईयां इसलिये उत्पन्न होती हैं क्योंकि वहां निकायों के कार्य के बारे में निर्णय शैक्षिक समुदाय द्वारा नहीं लिया जाता। तीन बर्षों के बाद शैक्षिक समुदाय के विद्यमान होने पर उक्त विधान को सभा पटल पर रख दिया जायेगा और सभा को उस पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा .....(**व्यवधान**)।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : क्या अनुसूची अधिनियम का भाग नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैं आपकी बात सुनूंगा। इस बारे में अपना विनिर्णय दे चुका हूं। कि जब कोई निकाय, इस सभा को छोड़कर कोई नियम, विधि अथवा उप-विधि बनाता है तो वह प्रात्यायोजित विधान के अन्तर्गत आता है।

श्री एस० नुरुल हसन : मैं पहले भी तीन बार उल्लेख कर चुका हूं कि यह प्रत्यायोजन के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि इस प्रक्रिया को **सभा ने स्वीकार किया है**। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के

वे सब अधिनियम, जो सभा द्वारा पारित किये गये हैं, सदन की इस नीति और निर्णय का एक भाग हैं कि संविधान को लचीला बनाने के उद्देश्य से कुछ खंडों में प्रत्यायोजन शामिल होता है और कुछ में नहीं । ये उक्त खंड हैं जो मैंने ज्ञापन में शामिल किये हैं ।

श्री के० नारायण राव : कृपया धारा 31(एक) देखें कुछ कानून ऐसे हैं जिन्हें अधिनियम में विशेष रूप से रखा गया है । इसमें प्रत्यायोजन का प्रश्न नहीं है । इनकी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : विश्वविद्यालय अधिनियम में सामान्यत: यह व्यवस्था होती है कि कानून आदि द्वारा अनेक बातों का उपबन्ध किया जा सकता है । इसका अधिकार सीनेट अथवा कार्यकारी परिषद को दिया जाता है और अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कार्यकारी परिषद इनकी व्यवस्था कर सकती है ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में अपना निर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरे विचार से इस विधेयक में संशोधित करने की आवश्यकता है । मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि कुछ अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अधिनियमों के मामले में एक प्रकार के उपबन्ध का अनुकरण किया गया है । यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसी विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत परित किया गया है तो वह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में सब नियमों में हमें उन्हीं उपबन्धों का पालन करना चाहिये । यदि पहले कोई अनुचित बात की गई है तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए । अतः मंत्री महोदय को प्रव्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन में संशोधन करना चाहिये । मंत्री महोदय को ज्ञापन के बारे म संशोधित वक्तव्य देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे कार्यवाही जारी रखने से पूर्व म यह कहूंगा कि उक्त परम्पराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं । पूर्वनिर्णित सिद्धांत पर सभा को चलाना सहायक नहीं होगा :। यदि पहले कोई ग़लती अथवा त्रुटी हो गई है तो हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिये और उसे दूर करना चाहिये । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि क्योंकि ऐसा अन्य विधेयकों के मामले में किया गया इसलिये हमें इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि खण्ड 25(2) का क्या अर्थ है ?

इसमें उल्लेख किया गया है :

"कि कार्यकारी परिषद् समय-समय पर नये अथवा अतिरिक्त कानून बना सकती है अथवा उप-धारा (एक) में उल्लिखित कानून के अन्तर्गत इनमें संशोधन कर सकती है अथवा उन्हें रद्द कर सकती है"

यह केवल विधान के प्रत्यायोजन का प्रश्न ही नहीं है वल्कि हम कार्यकारी परिषद् को सभा द्वारा बनाये गए कानून को रद्द करने का भी अधिकार दे रहे हैं । मेरे विचार से प्रत्यायोजित शक्ति से परे का अधिकार दिया गया है ।

श्री के० नारायण राव : जहां तक खंड 25(1) का सम्बन्ध है, एक अनुसूची है। यह अनुमान है कि कुछ कानूनों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। अतः यह देखने के लिये कि क्या कानून की इस श्रेणी के अन्तर्गत विशेष रूप से व्यवस्था की गई है हमें पहली अनुसूची के प्रत्येक उपबन्ध की जांच करनी पड़ेगी। अतः मैं कहूंगा कि यह शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कार्यकारी परिषद् अपने गठन के लिये स्वयं कानून बना सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री के० नारायण राव : आपका प्रश्न यह है कि क्या कार्यकारी परिषद् कानून में बनाये गए उपबन्धों को रद्द कर सकती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि खण्ड 19 का सम्बन्ध प्रत्यायोजन से नहीं है।

श्री वाई० एस० महाजन : मैं आपका ध्यान खण्ड 24 की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें उल्लेख किया गया है :—

> "कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, कानून में सब अथवा निम्नलिखित मामलों की व्यवस्था हो" फिर इन विशेष मामलों का उल्लेख किया गया है। खण्ड 25(2) के अन्तर्गत विधान बनाने की शक्ति कार्यकारी परिषद् को प्राप्त है और कार्यकारी परिषद् स्थापित किये जाने से पूर्व विधेयक में अस्थायी उपाय के रूप में एक अनुसूची शामिल की गई है। इसी प्रयोजन के लिये यह अनुसूची शामिल की गई है। अतः वास्तविक प्रत्यायोजन का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य ने आपके विचार के लिये जो मामला प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विधान बनाने के अधिकार के प्रत्यायोजन का प्रश्न नहीं है। यह एक मूल सिद्धांत है। कि एक शैक्षिक संस्थान को स्वामिक्ता प्राप्त होनी चाहिए। संसद ने अनेक विशेषज्ञ आयोगों की सलाह के आधार पर यह निश्चिय किया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के संविधान के बारे में निर्णय करने के मामले में विश्वविद्यालय अधिकारी उचित एजेंसी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस बात का निर्णय करना है कि किसी मामले में विधान का प्रत्यायोजन है अथवा नहीं। इस बात का निर्णय न किये जाने पर अधीनस्थ विधान समिति में इस बारे में जांच की जा सकती है। अधीनस्थ विधान समिति का गठन विशेषतया इस प्रयोजन के लिये किया गया है कि वह इस बात पर निर्णय दे कि किसी विधेयक के किसी उपबन्ध में विधान का प्रत्यायोजन है अथवा नहीं और क्या कुछ उपबन्धों में बनाये गए अधीनस्थ विधान विधि के उपबन्धों के अनुरूप हैं अथवा नहीं अथवा उनमें अधिक शक्ति का उपयोग किया गया है। इस प्रश्न पर निर्णय किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय नें स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें विधान के प्रत्यायोजन का मामला है। अन्यथा विधेयक के साथ प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन के संलग्न होने की क्या आवश्यकता थी?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक खण्ड 25 का सम्बन्ध है हमने अपने विचार ज्ञापन में प्रस्तुत कर दिये हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि खण्ड 25 में प्रत्यायोजन दृष्टिगोचर नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि कार्यकारी परिषद् को विधान बनाने का अधिकार है
(व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : Clause 25(5) says :—

"Notwithstanding anything contained in foregoing sub-section, the visitor may make new additional statutes or amend or repeal the States referred to in sub-section (1) during the period of three years............".

Therefore three types of provisions are there First, statutes are already there in the Bill. The second kind of statutes will be framed by the Executive Council and the third kind of Statutes will be framed by the visitors.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन पढ़ रहा था। श्री मधुलिमाय ने दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिलाया है मैं उनका आभारी हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत केवल कार्यकारिणी परिषद् को कानून बनाने का अधिकार है। यद्यपि विजिटर को भी अतिरिक्त कानून बनाने का अधिकार है किन्तु वह अब से तीन वर्ष के लिये होगा। खण्ड 19 में कहा गया है कि कानूनों के अन्तर्गत कोर्ट, शिक्षा परिषद् तथा योजना बोर्ड की स्थापना की जा सकती है किन्तु यह कानून कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी के मत की पुष्टि नहीं की जा सकती और उस बारे में विनिर्णय दिया जा चुका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ज्ञापन के पैरा 4 में कहा गया है कि सामान्य प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना है अत: विधेयक में उन मामलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। मेरा विचार से कोर्ट की स्थापना का मामला सामान्य अथवा कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अत: ऐसे महत्वपूर्ण मामलों से सम्बन्धित शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कोर्ट के गठन से सम्बन्धित मामला बहुत विस्तृत है।

श्री सी० के० चन्द्रापन : महोदय! अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उस मामले में पृथक प्रक्रिया क्यों अपनाई जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के सिद्धांत के आधार पर सरकार बोर्ड आदि के गठन के लिये उन्हें अधिक स्वतंत्रता देना चाहती है।

प्रश्न यह है :—

"कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में शैक्षणिक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय का नाम आंध्र प्रदेश के विश्वख्याति प्राप्त विद्वान नागार्जुन के

नाम पर रखा जाये। यदि तेलंगा का प्रतिनिधित्व करने वाले मित्र इसका विरोध करते हैं तो मैं इस संशोधन पर बल नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को केवल बोलने के उद्देश्य से ही संशोधन प्रस्तुत नहीं करने चाहियें। यदि वे गम्भीर नहीं हैं तो सभा का समय नष्ट क्यों करते हैं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड-4

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड चार विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड चार विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड-5

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 16,17,18 और 19 प्रस्तुत करता हूं ।

Sir, I hoped that Hyderabad University would be established as a ideal University. I fined that Government have not paid proper attention to the difficulties of the students. I have therefore suggested through my amendment No. 16 that arrangement should also be made for their food and other essential commodities like books, exercise books and other reading and writing materials at subsidised rates to minimise the increasing unrest among the students.

My another amendment deals with the administrative set-up. I have suggested that cooperation of the students and the employees of the University should be solicited in the administration.

Amendment No. 19 deals with the communal disturbances in the University campus. It has been observed that the communal organisations have been trying to spoil the environment in the universities. I have suggested that provision should be made in the Bill to ban communal disruptive and anti-national organisations and such propaganda in the campus of the University.

श्री एस० नुरुल हसन : मेरे विचार से इस विधेयक में इस प्रकार का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता कि विद्यार्थियों को अमुक-अमुक सुविधायें दी जायेंगी अथवा विश्वविद्यालय किस प्रकार से कार्य करेगा और इस प्रकार की पुस्तकें होंगी तथा उनका मूल्य यें होगा । जहां तक मुख्य सिद्धांतों का प्रश्न है मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया है **(व्यवधान)** .... साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में सरकार की नीति सर्वविदित है तथा हम साम्प्रदायिकता को किसी भी रूप में प्रोत्साहित नहीं करना चाहते । अतः मैं माननीय सदस्य के संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या, 11,16,17,18 और 19 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 11, 16, 17, 18 and 19 were put and negatived.

उपा ध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड पांच विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड पांच विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the bill

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड-7

श्री पी० नरसिह्मा रेड्डी (चित्तुर) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० नरसिंह्मा रेड्डी : मेरे संशोधन का उद्देश्य 6 सूत्रीय फारमूला का प्रभावकारी बनाना है। इससे सम्बन्धित स्थिति का मैं उल्लेख कर चुका हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि 'यह वैध नहीं होगा' के स्थान पर 'यह अवैध होगा' रखा जाये क्योंकि 'अनलाफुल' तथा 'इल्लीगल' शब्द में अन्तर है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले प्रश्न का मैं विस्तृत उत्तर दे चुका हूं। मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या, 9,12 और 13 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 9, 12 and 13 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गए

Clauses 8 to 23 was added to the Bill.

खण्ड-24

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं। मैंने इस संशोधन में कहा है कि विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों को भी विश्वविद्यालय के कामों में भाग लेने दिया जाये।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् आदि सभी में अध्यापकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 21 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24 was added to the Bill

खण्ड 25 से 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauses 25 to 29 were added to the Bill.

खण्ड-30

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूं।

Sir, I have suggested in my amendment No. 22 that the umpire should not be connected in any way with the University. In my amendment No. 23 I have suggested that employees if they so desire should have a right to appeal against the decision of the Tribunal.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ऐसा व्यक्ति अध्यापक नहीं बनाया गया जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो। जहां तक अपील का प्रश्न है यदि कोई कर्मचारी चाहे तो वह उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय में अपील कर सकता है। ट्रिबुनल की व्यवस्था कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये की गई है तथा उससे उन्हें मुकद्दमें-बाज़ी पर अनावश्यक व्यय भी नहीं करना पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 और 23 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 22 and 23 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30 was added to the Bill

खण्ड 31 से 41 विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 31 to 41 were added to the Bill.

अनुसूची

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 14, और 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 25, 26, 27, 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है तथा रजिस्ट्रार तथा अध्यापकों की 60 वर्ष। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

जब सभी अध्यापक तथा रजिस्ट्रार 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं तो प्रति-कुलपति के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखे जाने के क्या कारण हैं ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is no justification in prescribing higher age of retirement **viz.,** 65 years in respect of Vice Chancellors. On one hand it is proposed to reduce the age of retirement from 58 years to 55 years in case of Government employees and there is no much hue and cry but on the other hand they want to prescribe the age of retirement at 65 years for Vice-Chancellors. This is not proper. I have given an amendment to the fact that it should be kept at 60 years. I have also demanded that the pay of the Vice-Chancellor should be reduced from Rs. 3,000 to Rs. 2,000 because he is provided with so many other facilities.

The term of office of Dean should be enhanced from three years to five years, so that student community is benefited.

I would also like to say that preaching of communal and cast hatred should be included as one of the grounds to terminate the services of teachers. This step is utmost necessary for national integration.

In view of above my amendments should be adopted.

Prof. S. Nurul Hasan : The main reason for prescribing the higher age limit is that all the commission set up so far have opined that the age limit for retirement of Vice-Chancellors should be 65 years. They wanted to visualise that if any teacher is considered fit to be appointed as vice-Chancellor then he could be appointed as such after his retirement at the age of 60 years. This is why they fixed the age limit of retirement of Vice-Chancellor at 65 years.

श्री बी० वी० नायक (कनाडा) : सेवा निवृत्ति की न्यनतम आय के सिद्धान्त को क्यों न स्वीकार किया जाये ?

Prof. S. Nural Hasan : Floor concept has not been accepted because the tendency is that young people should be appointed as vice-Chancellors.

श्री बी० वी० नायक : यह परस्पर विरोधी बात है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : परन्तु यह भिन्न है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के लोग उपलब्ध है और हम कैसे चाहते है । आज वस्तुस्थिति यह है कि वास्तव में उपयुक्त और विद्वान लोगों को उप-कुलपति बनने के लिये राजी करना कठिन है । इसी लिये इसमें अधिकतम गुंजाईश रखी गई है ।

जहां तक वेतन का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और गजेन्द्रगडकर समिति की पहली सिफारिशों के अनुसार ही उप-कुलपति का वेतन 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है ।

जहां तक दुर्व्यवहार की बात का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय स्तर पर निश्चित रूप से कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना कठिन है । यह बात शिक्षकों पर ही छोड़ देनी चाहिये । इन कारणों से मैं कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14,15,25,26,27,28, और 29 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 14, 15, 25, 26, 27, 28 and 29 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया

The schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनयम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पुर्वी) : इस विधेयक में बहुत सी बातों को सम्मिलित नहीं किया गया और इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं । यद्यपि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा फिर भी हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का हम स्वागत करते हैं ।

मंत्री महोदय ने श्री शास्त्री को उत्तर देते हुए बताया है कि इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त जैसी कुछ बातों को सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें इस प्रकार के कानून में शामिल नहीं किया जा सकता था। हम सरकार से आशा करते हैं कि वह जब कुछ केन्द्रीय उद्देश्यों से कोई विश्वविद्यालय स्थापित करती है तो वह हमें बताये कि उस विश्वविद्यालय में क्या विशेषताएं होंगी। हमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क चयरमैन ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया था और उसम निहित सिफारिशों का अनुसरण किया गया है। परन्तु इस प्रतिवेदन की प्रति शायद हम में से किसी को भी नहीं मिली। फिर इस विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम का कोई उल्लेख तक नहीं किया गया। देश की आर्थिक स्थिति इतनी डांवां डोल हो गई है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की बैठक तक नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारी आशा के अनुकूल नहीं है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि माननीय सदस्य मेरे कथन को सुन पाते तो वह सम्भवतः इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग न करते।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव पारित हुआ।

The motion was adopted.

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1974

Finance (No. 2) Bill, 1974

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त (संख्या 2) विधेयक पर चर्चा की जायेगी जिसके लिये 10 घंटे का समय रखा गया है। यदि आप सब सहमत हों तो हम लोग समयानुसार कार्यवाही चला सकेंगे। वित्त मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे . . .

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

Mr. Speaker in the Chair.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस विधेयक से पहले वित्त मंत्री ने सरकार के कुछ कराधान प्रस्तावों के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उसमें कहा गया था कि बजट सम्बन्धी तो प्राक्कलन तैयार किये गये हैं जो वित्त विधेयक संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत किये गये थे, उसमें परिकल्पित व्यय पूरा नहीं होगा और बजट में दिखाया गया घाटा बढ़ जायेगा और उसको सीमित करना अत्यावश्यक है,

इसीलिये सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये कर लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में विचार किया है। परन्तु हमें पावतियों के बारे में कोई अनुमान नहीं बताया गया। उन्होंने अनुमानित व्यय का भी कोई उल्लेख नहीं किया जोकि बहुत आवश्यक था क्योंकि उसी के आधार पर कर प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। जब तक सरकार यह नहीं बताती कि उसका विचार कितनी धनराशि खर्च करने का है, अधिक धनराशि खर्च करने की मंजूरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। संसद का नियंत्रण आय पर ही नहीं बल्कि व्यय पर भी होता है। हमें यह नहीं बताया गया कि सरकार को कितनी धनराशि अपेक्षित है। अनुमानित व्यय का कोई विवरण नहीं दिया गया है। वित्त विधेयक से पूर्व अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करना अत्यावश्यक है। वित्त मंत्री ने वक्तव्य में बजट सम्बन्धी घाटे का कोई संकेत नहीं दिया है। वित्त विधेयक में भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। हम उसकी जानकारी के बिना कर प्रस्तावों पर विचार करने लगे हैं। जब यह धन राशि वसूल की जायगी तो यह भारत की संचित निधि में जमा की जायेगी। एक बार संचित निधि में जमा हो जाने के बाद बिना किसी विनियोजन विधेयक या लेखानुदान अथवा सभा द्वारा अनुमोदित पूरक अनुदान के यह धन नहीं निकाला जा सकता। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 114 में प्रक्रिया का उल्लेख है और उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये प्रस्तुत मामले में अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना आवश्यक है। सरकार ने व्यय का कोई अनुदान नहीं बताया और न हीं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की है। ऐसी स्थिति में संसद अतिरिक्त धनराशि खर्च करने और अतिरिक्त कर लगाने की मंजूरी नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आगे चर्चा कल की जायेगी। अब आधे घंटे की चर्चा होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : यदि सभा इस बात पर सहमत हो तो आधे घण्टे की चर्चा स्थगित करके वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखी जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) **:** नहीं, नहीं, यह सम्भव नहीं। हमारा कार्यक्रम पहले से निर्धारित है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) **:** इस सत्र में आधे घण्टे की चर्चा हर वार स्थगित की जाती रही है और हम में से कुछ सदस्य प्रश्न पूछने के लिये तैयार हैं। वित्त विधेयक पर चर्चा कल जारी रखी जा सकती है। हमें आधे घण्टे की चर्चा स्थगित नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। **श्री दामाणी।**

संयुक्त क्षेत्र में कागज एवं अखबारी कागज़ के कारखाने स्थापित करना*

Setting up of Paper and manuscripts units in Joint Sector*

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) **:** मैंने संयुक्त क्षेत्र में कागज और अख़बारी कागज़ बनाने वाले कारखाने स्थापित करने में कठिनाइयों के बारे में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों के बीच ऐसी परियोजनाओं

***आध घंटे की चर्चा**

*Half an hour discussion.

के प्रबन्ध के स्वरूप और धन लगाने की विधि के बारे में बातचीत हुई थी और विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि देश में कागज़ और अखबारी कागज़ की भारी कमी है। गत 15 वर्षों से केवल नेपा में एक कारखाना काम कर रहा है जिसकी क्षमता 75,000 टन है परन्तु इसमें इसकी क्षमता का केवल 47 प्रतिशत कागज बनता है और देश की केवल 30 प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है।

डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुये।

Dr. Henry Austin in the Chair.

इस आशय के आश्वासन दिये गये थे कि उत्पादन में वृद्धि होगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और हम विदेशों से अखबारी कागज़ आयात नहीं करेंगे। परन्तु अब तक कोई नया कारखाना स्थापित नहीं किया गया है और इस लिये स्थिति काफी गम्भीर है। प्रैस को अखबारी कागज़ मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वे चोर बाजारी से अख़बारी कागज़ खरीद नहीं सकते। अब बहुत से समाचार पत्रों ने पृष्ठों की संख्या और आकार घटा दिया है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन वर्ष 1970 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य लुगदी और अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु 3 लुगदी और कागज परियोजनाएं तथा एक अखबारी कागज की परियोजना स्थापित करना था। मैं पूछना चाहता हूं कि इन चार वर्षों में कितनी प्रगति हुई है। मेरे विचार में अब तक केवल कागजी कार्यवाही हुई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। हम सब जानते हैं कि छात्रों के लिये कापियों की भारी कमी है। अतः हमें उत्पादन बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। संयुक्त क्षेत्र की योजना अच्छी है बशर्ते कि सबको ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाये। सरकारी क्षेत्र से तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है। सरकार वित्तीय पहलू पर नियंत्रण रख सकती है। परन्तु हमें भागीदारों के कृत्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। भागीदारों के कृत्यों को स्पष्ट करना चाहिये इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि लघु उद्योग में कागज़ और अख़बारी कागज़ बनाने के कारखाने लगाये जाने चाहिये।

इसमें 3 से 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं लगेंगे, तब क्यों बड़े संयन्त्रों को स्थापित न किया जाये ? संयुक्त क्षेत्र में मध्यम आकार के संयन्त्र स्थापित किये जा सकते ह। छोटे सन्यत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसमें हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है. मैं मंत्री महोदय से तीन-चार प्रश्न पूछना चाहता हूं, हिन्दुस्तान कागज निगम की परियोजनाओं के स्थापित न होने के क्या कारण हैं ? मांग को पूरा करने के लिए देश में कागज के उत्पादन को कैसे और कब तक बढ़ाया जायेगा ? संयुक्त क्षेत्र की योजना को अंतिम रूप कब दिया जायेगा ? छोटे नगरों में छोटे एककों की स्थापना के सुझाव की वे कब जांच करेंगे? मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : बांस की प्रति टन दरें भिन्न है जैसे मध्य प्रदेश में यह 55 रुपये प्रति टन है तो महाराष्ट्र में 3 रुपये प्रति टन है। कर्नाटक में 17 रुपये प्रति टन है तो उड़ीसा में यह 8 रुपये 40 पैसे प्रति टन है, औद्योगिक रियायतें और बांस की रायतरी पर रियायती दरें देकर कागज उद्योग को रियायतें दीं गई हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : यह विवाद संयुक्त क्षेत्र में अखबारी कागज का एक एकक स्थापित करने के बारे में है, हम इस उद्योग के सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैं कच्चे माल का प्रश्न इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस मुख्य उद्योग को आर्थिक सहायता दी गई है, इसलिए संयुक्त क्षेत्र के प्रश्न पर न केवल साम्य हिस्सेदारी अपितु पूंजी के मामले में हिस्सेदारी के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास मंत्री ने स्वयं जो वैकल्पिक उपाय सुझाये हैं क्या वे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के संबंध में हैं ? जहां तक मुझे याद है मंत्री महोदय ने बताया था कि अध्यक्ष सरकार की ओर से होगा, वह सरकार की ही ओर से क्यों होना चाहिए ? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती ? क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबंध क्षेत्र में सरकार द्वारा भाग लेने की व्यवस्था कहीं सफल हुई है ?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : देश में कागज और अखबारी कागज के भारी संकट को देखते हुए क्या सरकार देश में उपलब्ध तथा विदेशों से आयातित कागज और अखबारी कागज पर निर्भर रहेगी अथवा देश में इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वहाँ कुछ कार्यवाही करने जा रही है ? यदि वह कुछ कार्यवाही करने जा रही है तो क्या वह गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा या सरकारी क्षेत्र में ? इन दो कारखानों में गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार वस्तुतः संयुक्त क्षेत्र के विचार के प्रति गंभीर है ? तब क्या वह बताएगी कि संयुक्त क्षेत्र से उसका क्या तात्पर्य है? मंत्री महोदय मे बताया है कि मुख्य विवाद अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल की नियुक्ति के बारे में है, क्या संयुक्त क्षेत्र के बारे में सिद्धान्तों के निर्धारण में भी कोई विवाद है ? मंत्री महोदय कृपया इन पर विस्तृत प्रकाश डालें, क्या मंत्री महोदय मेरे से सहमत होंगे कि कागज तथा अखबारी कागज के निरंतर अभाव से न केवल शैक्षणिक संस्थानों को अपितु समाचार पत्र जगत और आम जनता को भारी हानि उठानी पड़ेगी तब वें इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : यह सच है कि अखबारी कागज और कागज की भारी कमी है, इस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या संयुक्त क्षेत्र वाले विचार से हिंदुस्तान कागज निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र से अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना की कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं पड़ा है ? समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि हिंदुस्तान कागज निगम केरल में अखबारी कागज और कागज परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब कर रहा है, ऐसी अफवाह है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित की जा रही है।

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए ।

Shri Vasant Sathe in the Chair.

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने केरल के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि वेल्लूर में अखबारी कागज परियोजना को कुछ कारणों से क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा, क्या यह सच है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान कागज निगम के कुछ अधिकारी संयुक्त क्षेत्र में परियोजना आरम्भ करने के पक्ष में हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : कागज उद्योग के बड़े उद्योगपति बिड़ला अथवा थापर यह नहीं चाहते कि केरल में हिंदुस्तान कागज निगम की परियोजना क्रियान्वित हो। वे चाहते हैं कि संयुक्त क्षेत्र की परियोजना में भी तब तक विलंब हो जब तक कि उन्हें संरक्षण न दिया जाये, वे अभाव की स्थिति पैदा करके संपूर्ण लाभ समेट लेना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में संयुक्त क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजना के लिए बिड़ला बंधुओं नें आवेदनपत्र दिया है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी क्षेत्र की परियोजना को समय पर क्रियान्वित किया जाये? क्या कागज उद्योग में बड़े उद्योगपतियों को छोड़कर अन्य पार्टियों को प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : अखबारी कागज के संबध में किसी भी संयुक्त क्षेत्र की परियोजना पर, विचार नहीं किया जा रहा है, नेपा मिल का विस्तार कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा। केरल में अखबारी कागज की परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहीं है, कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं क्योंकि हिंदुस्तान कागज निगम को पहले जो कच्चा माल देने का आश्वासन दिया गया था, उसको बिड़ला को दिए जाने पर विचार किया जा रहा था क्योंकि उसके साथ किए गए ठेके के अनुसार उसे पहले कच्चा माल नहीं दिया जा सका था। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री को जानकारी हेतु पत्र लिखा था। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हिंदुस्तान कागज निगम को दिया जाने वाला कच्चा माल बिड़ला को नहीं दिया जायेगा। इसलिए इस बारे में आशंकाएं निराधार हैं। माननीय सदस्यों को आश्वस्त होना चाहिए कि केरल परियोजना पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य होगा।

हिंदुस्तान कागज निगम के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, हिंदुस्तान कागज निगम के अध्यक्ष श्री जुक्ती एक ईमानदार व्यक्ति हैं, पिछले कुछ महीनों से उनके कार्य को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के हितों को हानि पहुंचाना है, माननीय सदस्यों को उनकी ईमानदारी पर संदेह नही करना चाहिए। श्री जुक्ती के अध्यक्ष बनने के बाद हिंदुस्तान कागज निगम के कार्यों में सक्रियता आई है। नागालैंड परियोजना 1976–77 तक पूर्ण हो जाएगी और इसके लिए मुख्य उपकरण के क्रयादेश दिये जा चुके हैं। केरल की अखबारी कागज परियोजना 1977–78 तक पूर्ण हो जाएगी। नौगांव और काहर परियोजना पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। मांडया परियोजना का विचार किया जा रहा है। जो वर्ष 1977 तक पूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह कहना गलत है कि हिंदुस्तान कागज निगम कुछ नहीं कर रहा है।

जहां तक संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रश्न है, एक परियोजना उत्तर प्रदेश म बिड़ला के साथ और दूसरी मध्य प्रदेश में बांगूर के साथ आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय हिस्सेदारी का फैसला हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि प्रबंध का क्या रूप होना चाहिए। गैर सरकारी पक्ष चाहता है कि समस्त प्रबंध उनको सौंपा जाना चाहिए चाहे उसमें हमारी हिस्सेदारी भी हो या न हो, पर मेरा विचार इससे सर्वथा भिन्न है। वास्तव में प्रबंध कार्य व्यावसायिक प्रबंधक चलाते हैं चाहें वे गैर सरकारी क्षेत्र में ही क्यों न हों, जब ऐसी बात है तो हम उनको अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संयुक्त क्षेत्र में व्यवसायिक प्रबन्धक किस के प्रति जिम्मेदार रहें। इन दो गृहों का विचार यह है कि हम अध्यक्षता नियुक्त करें परन्तु उन्हें प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा मतलब होगा कि प्रबंध निदेशक उन गृहों के हितों की ओर

अधिक ध्यान देगा न कि सरकार के। मेरा विचार यह है कि प्रबंधक वर्ग व्यावसायिक ढंग का हो। मैं केवल व्यावासयिक प्रबंध की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करूंगा। प्रबंधक मंडल प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करेगा जो निदेशक मंडल के प्रति जिम्मेदार होगा न कि गैर-सरकारी गृह के प्रति। उसे गैर सरकारी गृह की इच्छा से नहीं निकाला जायेगा। निदेशक मंडल जब उसे अयोग्य समझेगा तभी उसे निकाला जा सकेगा। यह संयुक्त प्रबंध का स्वरूप है। मेरा विचार है कि प्रबंध निदेशक ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति होना चाहिए जो कि उद्योग के हितों को सर्वोपरि रखे न कि उद्योग के मालिक के हितों को। बड़े गृहों से प्रबंधक को अलग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र में प्रबंध को गैर-सरकारी पक्ष को देने का कोई प्रश्न नहीं है। बिड़ला और बांगूर इस प्रकार के प्रबंधकीय ढांचे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। हिंदुस्तान कागज निगम द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन दो परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने का प्रश्न भी विचाराधीन है। इसमें संसाधनों का प्रश्न आड़े आता है। इसलिए योजना आयोग के साथ इस बारे में बातचीत की जा रही है। गैर सरकारी क्षेत्र, अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कारखाने का विस्तार कर रहे ह। हम अधिक उत्पादन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को प्रबंध सौंपने के लिए तैयार नहीं है। 20 टन, 25 टन आदि के छोटे संयत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। इनमे बड़े गृहों के आने का प्रश्न ही नहीं है। कुछ छोटी-छोटी परियोजनाओं पर भी कार्य हो रहा है। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों का विचार कोई नया नहीं है। परन्तु इस मामले में बड़े गृह प्रबंध निदेशकों के मामले में अपना हाथ ऊंचा रखना चाहते हैं। उन्हें भ्रम में नहीं रहना चाहिए।

केरल में हाल में चट्टानों के फटने और भू-स्खलन के बारे में चर्चा

Discussion Re: Rock-Bursts and Landslides in Kerala.

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवत्तुपुत्रा) : केरल में आज जो कुछ हो रहा है उसे पूर्ण विनाश की संज्ञा दी जा सकती है। वहां बड़ी मात्रा में भमि का कटाव हो रहा है जिसके कारण बड़ी संख्या में मछुवों के लिए भुखमरी की नौबेत आ गई है। बाढ़ के कारण केरल के अनेक स्थानों में फसल को हानि पहुंची है। समस्त पश्चिमी घाट का अधिकांश भाग तहस-नहस हो गया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। केरल का उत्तर से दक्षिण तक का भाग इससे प्रभावति हुआ है इड्डीकी जिला इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। भूस्खलन और बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने के कारण सारा जिला तहस-नहस हो गया है, जन-धन की भारी हानि हुई है। स्कूलों के भवन, सड़कों मकानों आदि को भारी क्षति पहुंची है। ऐसी विनाश-लीला पहले कभी नहीं देखी गई थी। मंत्री महोदय श्री पंत जी ने इड्डिकी में 2 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया है। प्रदेश कांग्रस समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि केवल इड्डिकी में 6 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अभी वहां के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और कृषि मंत्री ने इससे भी अधिक हानि का अनुमान लगाया है।

राज्यपाल ने कल उस क्षेत्र का दौरा किया था।

अब प्रश्न यह है कि क्या देश, का सरकार का उन लोगों के प्रति कोई उतरदायित्व है जो अपनी परिश्रम हीनता से देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा वाणिज्यिक फसलें पैदा करते है ?

केरल देश के प्रजातंत्र का मंदिर है अतएव मैं समझता हूं कि सरकार तथा देश की जनता इस ओर ध्यान देगी। मैं आप से उस जनता की ओर से अपील करता हूं, जो कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाती चाहे बाढ़ आये अथवा सूखा पड़े। अब हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सम्मुख चुनौती हमारी सामर्थ्य से बाहर है।

ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जनता की सहायता करना नैतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व है। संविधान के अनुछेद 282 द्वारा सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों से धन वितरित करने का अधिकार प्राप्त है।

कठिनाई इस बात की प्रतीत होती है कि काम कौन करे, केन्द्र अथवा राज्य सरकार?

हमारे लिये सौभाग्य से तथा देश के लिये दुर्भाग्य से इड्डिकी की परियोजना को क्षति नहीं पहुंची है परन्तु उक्त परियोजना के लिये निकट भविष्य में सामान ले जाना सम्भव नहीं है। और यदि वहां आवश्यक सामान नहीं पहुंचाया जाता तो उसके निर्माण में बहुत विलम्ब होगा। वित्त आयोग द्वारा की गई व्यवस्था के अतिरिक्त यह प्रश्न है कि 75 प्रतिशत काम केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। जिनमें से 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में। छठे वित्त आयोग ने एक नयी व्यवस्था रखी है कि बाढ़ तथा सूखा से ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों को पंच-वर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया जाये तथा इसके लिये वैज्ञानिक रीति से उपाय किये जायें।

जिस जिले की मैं बात कर रहा हूं वहां समस्या बाढ़ या सूखे की नहीं अपितु यह है कि जल की व्यवस्था तो की गई है परन्तु उसमें से एक भी पैसा कम नहीं किया गया है।

वित्त आयोग द्वारा बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये जल की व्यवस्था की गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य ने व्यय के अनुमानित आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिये हैं।

जहां तक केरल का संबन्ध है वहां पर 1957-58 में कुल राष्ट्रीय व्यय 866 लाख की तुलना में 3 लाख रुपया राज्य सरकार ने व्यय किये। 1961-62 में 1984 लाख की तुलना में 16 लाख रुपये तथा 1971-72 में 21,667 लाख की तुलना में 125 लाख रुपये राज्य सरकार ने व्यय किये।

पहले तथा दूसरे वित्त आयोग ने पिछले पांच वर्ष के अनुमानिक व्यय का आधार बना कर तथा उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि करके राशि निर्धारित की। राज्य आज से तीन-चार वर्ष पूर्व तक कभी केन्द्र के पास सहायतार्थ नहीं आया। हमें इसके लिए प्रति वर्ष 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो कि कुछ भी नहीं है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि छठे वित्त आयोग के प्रतिवेदन को अंतिम मान कर जतना के प्रति उत्तरदायित्व की अवेहलना न की जाये। आज केरल के लोगों को भारी प्राकृतिक आघात सहना पड़ा है। यदि उनकी सहायता नहीं की जायेगी तो वे मिट जायेंगे। मामला केवल राहत का ही नहीं अपितु जिले के पुर्निर्माण का भी है। राज्य सरकार इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकती क्योंकि वह लगभग दिवालिया हो गई है। राज्य सरकार वित्तीय संकट के साथ साथ खाद्य संकट का भी सामना कर रही है। कृपया केरल के लोगों की सभी सम्भव सहायता करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : सर्वप्रथम मैं भारत सरकार का संकट के समय केरल के लोगों को सहायता देने के लिए धन्यवाद देता हूं । उन्होंने एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया है, परन्तु वहां की स्थिति अधिक गम्भीर है । प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार क्षति 6 करोड़ के लगभग हुई है । परन्तु गैर-सरकारी अनुमानों के अनुसार क्षति 20 से 25 करोड़ रुपये के लगभग है । केन्द्र ने 6 करोड़ की क्षति को देखते हुए एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया है । परन्तु अधिक हानि को देखते हुए केन्द्र को अधिक अनुदान देना चाहिए । इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि केन्द्र को केरल की सहायता करने से कोई नहीं रोक सकता । वित्त आयोग ने 30 लाख रुपये की सहायता की सिफारिश की थी जबकि केन्द्र ने एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया है ।

केन्द्र को समस्या के अध्ययन के लिए एक दल तुरन्त वहां भेजना चाहिए । उक्त दल के आधार पर केन्द्र को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

केरल में लाखों लोग बेघर हो गये हैं । उन्हें फिर से बसाने तथा राहत के लिये धन की आवश्यकता है । यह स्थिति बिना सोचे विचारे वनों को साफ करने के कारण पैदा हुई है ।

जब अन्य देशों में ऐसा संकट आता है तो समस्या का हल राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है जैसा कि ताशकन्द में भूकम्प के पश्चात् किया गया था । केन्द्रीय सरकार को केवल अपने बजट के स्रोतों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए अपितु देश की जनता से भी योगदान मांगना चाहिए ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम्) : केरल में श्री स्टीफन के निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोग बेघर हो गये हैं । उन्हें साधारण बाढ़ से नहीं अपितु बादलों और पहाड़ों के फटने एवं भू-स्खलन से घोर कष्ट उठाने पड़े । बड़े बड़े क्षेत्र जल मग्न हो गये हैं । और यदि कोई हजार 2 हजार वर्षों पश्चात् खुदाई करेगा तो एक महान संस्कृति की खोज कर पायेगा ।

हमारा राज्य तीन भागों में विभाजित है । पहला तो तटीय क्षेत्र की निचली धरती है जहां की जन संख्या सर्वाधिक है । वहां लाखों मछुए रहते हैं जोकि देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करके देते हैं । उनकी झोंपड़ियां समुद्र में विलीन हो गई हैं । और उन्हें महान कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । लाखों लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गई है ।

दूसरे वहां मध्यवर्ती भूमि है जहां पर सब्जियां और अनाज बोये जाते हैं । उनमें से कई सुन्दर पहाड़ियां बह गई हैं । और बसों द्वारा यात्रा करना भी असम्भव हो गया है ।

तीसरे हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है जिनमें टिम्बर, रोजबुड, चाय-बागान, रबड़-बागान तथा अन्य वाणिज्यिक फसलें बोई जाती हैं । यह सभी भू-भाग बुरी तरह प्रभावित हुआ है ।

मैं इस संकट को स्थानीय मामला नहीं बनाना चाहता क्योंकि अरुणाचल, आसाम, बिहार तथा देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती रहती है ।

मेरा सम्बन्ध तटीय क्षेत्र से है । महाराजा के समय भी एक बार भयंकर समुद्री कटाव हुआ था । जब हमने दीवान से भयंकर स्थिति का उल्लेख करते हुए खनिजों आदि के रूप में होने वाली महान राष्ट्रीय क्षति का वर्णन करते हुए बचाव कार्यवाही करने का आग्रह किया तो हमें उत्तर दिया गया "इससे क्या होता है? हमारे पास पर्याप्त धरती है । भारत एक बड़ा देश है ।"

स्वंतत्रता के पश्चात् रवैया बदला है। केन्द्रीय सरकार ने केवल केरल में ही समुद्री-कटाव की रोक-थाम के लिए करोड़ों रुपए व्यय किये हैं। सरकार इसके लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। अतएव हमें इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टि से देखना है।

जैसा कि बिहार के भूकम्प के समय किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक दलों की गाड़ियां भर-भर कर केरल पहुंचनी चाहिए थीं। संसद को देश में ऐसी राष्ट्रीय जागृति पैदा करनी चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार के प्रति समस्या पर सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाने के लिये आभारी हूं। केरल के कुछ सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे उन्होंने एक करोड़ रुपये की प्राथमिक सहायता प्रदान की है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

केन्द्र को अधिक अनुदान देना चाहिए। तथा स्वयं-सेवी संगठनों को धन एकत्र करने के लिए कहा जाना चाहिए। समाज सेवकों तथा अन्य व्यक्तियों को वहां पर सहायता तथा पुनर्वास कार्यों के लिए भेजा जाना चाहिए।

मैं अध्यक्ष महोदय तथा संसदीय कार्य मंत्री को इस विशेष चर्चा की व्यवस्था करने के लिये धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस महान विपत्ति के समय राष्ट्रीय सजगता का उदय होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृशणन् (बडागरा) : केरल के ग्यारह जिलों में से 8 जिलों के 30 लाख व्यक्तियों पर चट्टानों के गिरने एवं भू-स्खलन का प्रभाव पड़ा है। इसका कारण कुछ भी रहा हो, लगभग 30 लाख व्यक्ति बेघरबार हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक गांव तिरूवेम्बाडी पूरी तरह समाप्त हो गया है। यही स्थिति केन्नानोर, कालीकट और भलापुरम जिलों की हुई है। कुल हानि का अनुमान 6 से 20 करोड़ रुपये के बीच है। राज्य की सभी 41 नदियों में बाढ़ आयी हुई है ौर पालघाट एवं त्रिवेन्द्रम जिलों को छोड़ कर राज्य के अन्य सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

केरल का सारा सन्तुलन बिगड़ गया है। दीर्घावाधि उपायों के रूप में वहां पर राष्ट्रीय वन नीति के मूल्यांकन की आवश्यकता है। राज्य में भूमि के प्रयोग के बारे में एक बहुत गलत कृषि प्रथा पर अमल हो रहा है। भूमिहीनों को भूमि देने के नाम पर बड़े बड़े व्यापारियों एवं सन्दल की लकड़ी की तस्करी करने वालों को जमीन दी जा रही है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने इस बारे में अब तक पूर्णतया उपेक्षा बरती है। इसी प्रकार केरल की पहाड़ी ढलानों पर टे पी ओ का की खेती भी ठीक नहीं। इसके लिये केन्द्र सरकार दोषी है क्योंकि केरल को चावल की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई नहीं की गई। खाद्य और कृषि संगठन के विशेषज्ञों का मत है कि टे पी ओ का की खेती से भूमि ढीली होती है जिस से भू-स्खलन होता है। अत: केन्द्र सरकार को उचित प्रकार की कृषि प्रथाएं बनाने के उपाय करने चाहियें। यह भी देखा जाना चाहिये कि राज्यों द्वारा इन पर अमल किया जाये।

केरल में जो कुछ हुआ है वह एक असाधारण घटना है। इस प्रकार की घटना को प्राकृतिक दुर्घटना भी नहीं कहा जा सकता। 1973–74 वर्ष के बजट में 320 करोड़ रु० की सूखा राहत राशि में से करल को केवल 1.25 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। परन्तु केरल में इन

घटनाओं के परिणामस्वरूप नकदी फसलों एवं बागों की जो क्षति हुई है उसका सामना करने के लिये यह राशि नितान्त अपर्याप्त है । इन नकदी फसलों की क्षति का प्रभाव 5–6 वर्षों तक अनुभव किया जाता रहेगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे निर्यात व्यापार से प्राप्त होने वाली आय पर भी बहुत अधिक पड़ेगा । केन्द्र को स्थिति के अध्ययन के लिये तुरन्त एक दल वहां पर भेजना चाहिये । केरल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका सामना करने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है ।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कासरगोड) : केरल के इतिहास में प्रकृति का इतना गंभीर प्रकोप कभी भी नहीं हुआ है । भूमि के उस टुकड़े पर प्रकृति द्वारा तीन ओर से आक्रमण हुआ है । वहां बादल फट कर गिरे और भू-स्खलन हुआ । केरल के भीतरी भागों में बहुत अधिक बाढ़ आई और समुद्र तटीय जिलों में भयावह भू-कटाव हुआ । केरल के दो जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों पर दैवी विपत्ती का प्रकोप हुआ है ।

केरल के पहाड़ी जिलों में देश भर की काफी की 20 प्रतिशत उपज होती है, 70 प्रतिशत रबर की उपज , 70 प्रतिशत इलायची और 80 प्रतिशत काली मिर्च का उत्पादन भी वहीं पर होता है । इसी प्रकार 20 प्रतिशत चाय की उपज उस प्रदेश में होती है । इन पहाड़ी जिलों से प्रतिवर्ष लगभग 125 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय होती है । पिछले 25–30 वर्षों के प्रयास से करल की भूमि का वह भाग समृद्ध उपबनों में परिवर्तित किया गया । परन्तु इन दुर्घटनाओं ने केरल के इस रूप को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है । कासरगोड का पूर्वी क्षेत्र तो व्यवहारिक रूप स प्राय : अदृश्य ही हो गया है । कालीकट के पश्चिमी और पूर्वी भागों में भी विनाश चक्र चला है । इदिक्की जिला तो विनाश की तस्वीर ही बन गया है ।

बाढ़ आदि के कारण यदि गेहूं व धान आदि की फसल खराब हो तो संभावना होती है कि 6 मास पश्चात उससे अगली फसल अच्छी हो सकती है । परन्तु केरल तो नकदी फसलों की भूमि है । इन नकदी फसलों के फलने-फूलने में अनेकों वर्ष लगते हैं तब जा कर उनके लाभ प्राप्त होते हैं । इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को वहां पर न केवल राहत देनी चाहिये अपितु पुनर्निमाण और पुनर्वास का भी प्रबन्ध करना चाहिये । पहले लगभग 6 करोड़ रुपये की क्षति के अनुमान थे परन्तु अब के निर्धारण के अनुसार 12 से 15 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान हैं । लाखों भूखे लोगों को बचाने का कार्य यदि शीघ्रता पूर्वक न किया गया तो देश को बाद में पछताना पड़ सकता है । इसके लिये चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, इलायची बोर्ड, मसाला परिषद आदि को पूरी शक्ति से काम में जुटना होगा ।

श्री के० के० शेट्टी (मंगलौर) : मालाबार के समान मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है । यह एक असाधारण स्थिति है और इसका सामना भी असाधारण ढंग से होना है । केरल में प्रति वर्ष वर्षा के दौरान थोड़ी बहुत बाढ़ें तो आती हैं परन्तु इस प्रकार की बाढ़ कभी भी नहीं आती । जिस क्षेत्र में हसन-मंगलौर रेलवे का काम चल रहा है वहां एक दिन में 18 इंच वर्षा हुई । बाढ़ के कारण बनतवाल एवं मंगलौर निर्वाचन क्षेत्रों को बहुत अधिक हानि हुई है । लोगों को अपने पूरे सामान को छोड़ कर केवल तन के कपड़ों के साथ घरों से भागना पड़ा । सैंकड़ों मकान गिर गये हैं ।

हमने इस दैवी विपदा के बारे में प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है । उस पत्र में यह लिखा गया है कि निर्धन मजदूरों, बीड़ी मजदूरों, कारखानों के मजदूरों तथा कृषि मजदूरों के मकान, जो उन्होंने 50 वर्ष की कमाई से बनाए थे, जल प्लावित हो गये हैं । प्रधान मंत्री ने तुरन्त एक लाख रुपये की राहत की घोषणा की है । भारी उद्योग मंत्री, श्री टी० ए० पाई ने भी राहत कार्य किया है । केरल और दक्षिण केनरा में राहत कार्य के लिये बम्बई में भी धन एकत्र किया गया जिसमें सभी समुदाय और दल के लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दिया है । राहत कार्य पूर्ण सुनोजित ढंग से चल रहा है अतः हम केन्द्र से आपात कालीन राहत नहीं मांगते । राज्य सरकार ने भी राहत कार्यों के लिये 10 लाख रुपये मंजूर किये हैं । सभी समाज कल्याण संस्थाओं ने भी राहत कार्यों में अपना सहयोग दिया है ।

हमें अब वस्तुतः पुनर्वास कार्य की चिन्ता है । सारे जिले में लगभग 7000 मकान ढह गये हैं और लगभग 40,000 व्यक्ति बेघर-बार हुए हैं । पहले लगभग 1½ करोड़ रुपये की हानि के अनुमान थे परन्तु अब 3½ करोड़ की हानि के अनुमान हैं । इन लोगों के स्थायी रूप से पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करना है । मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन लोगों के पुनर्वास में हमारी सहायता की जाये । हम किसी अनुदान की मांग नहीं करते परन्तु मांग केवल इतनी है कि हमें ब्याज-मुक्त ऋण दिये जाएं जिससे कि लोग अपने रहने के लिये अपने मकानों का निर्माण कर सकें । ये ऋण दीर्घावधि में भुगतान योग्य हों । राज्य सरकार इस समय की परिस्थितियों में इतने बड़े स्तर के राहत अथवा पुर्नवास कार्य के करने योग्य नही है । अतः केन्द्र सरकार को हमें सहायता देनी चाहिये । आपदा संबंधी अनुमान लगाने के लिये वे अपने दल भेजें और इस संबंध में अपने पूर्वानुमान लगाये ।

श्री वी० आर० शिनाय (उदीपी) : पश्चिमी तट पर बाढ़ एवं समुद्र द्वारा भू-कटाव बहुत सामान्य बात है परन्तु इस बार की बाढ़ एक असामान्य बात है । दक्षिण कनरा जिले में हाल की बाढ़ गत 50 वर्षों की सब से भयंकर बाढ़ है । इसके परिणाम स्वरूप 11 व्यक्ति मारे गये हैं । इससे लगभग 7000 मकान गिरे है व असंख्य मकान निवास योग्य नहीं रहे हैं । इसके साथ ही हवाई अड्डे के निकट एक बहुत बड़ा भू-स्खलन हुआ है जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है । कई स्थानों पर खड़ी फसल को क्षति हुई है कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ की क्षति का अनुमान है ।

लोगों ने इस स्थिति का बड़ी हिम्मत से सामना किया है । प्रधानमंत्री ने सहानुभति के रूप में राष्ट्रीय राहत कोष से एक लाख रुपये की सहायता दी है । जनता ने इसकी बहुत सराहना की है । हम केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान नहीं चाहते । लोगों ने वहां पर काफी चन्दा इक्ट्ठा किया है । राज्य सरकार ने तत्काल राहत के लिये 10 लाख रुपये की राशि मजूंर की है । परन्तु लोगों के पुनर्वास की गंभीर समस्या सामने है । उसके लिये हमें ऋण की आवश्यकता है । राज्य सरकार द्वारा ब्याज-मुक्त ऋण दिये गये हैं परन्तु उससे सभी लोगों की मांग पूरी नहीं हो सकेगी । अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र राज्य सरकार को ऋण दे जिससे कि बेघरबार लोगों को पुनः बसाया जा सके । यदि प्रत्यक्ष ऋण देना संभव न हो तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को उक्त ऋण देने के निदेश जारी किये जाएं । इसी प्रकार जीवन बीमा निगम द्वारा भी इन लोगों को ऋण देने पर विचार किया जाये । ये ऋण ब्याज-मुक्त दीर्घावधि एवं उदार शर्तों पर दिये जायें ।

मेरे जिले में अनेक नदियां एवं नाले हैं। लोगों के आने जाने के लिये इन नालों आदि पर पैदल पार जाने के पुल नहीं हैं। इससे लोगों को विशेषकर वर्षा ऋतु में बहुत कठिनाई होती है। इन पुलों के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक करोड़ का ऋण दिया जाना चाहिये। इस राशि से लगभग 500 छोटे बड़े पैदल पुलों का निर्माण संभव हो सकेगा। इसी प्रकार का ऋण केरल को भी दिया जाये।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I express my sympathies with the people of Kerala and Karnataka which have been hit by natural calamities. People of those areas are in great difficulty. I, therefore, request to the Central Government to meet the demands of the people put forward in this regard. Economic position of Kerala Government is not sound. Over-drafts have been stopped, which has aggrevated the situation. In these circumstances it is the duty of the people of the country to help their brethren in distress. The Government should also not lag behind and provide generous help to the people.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : केरल और कर्नाटक के संकटग्रस्त लोगों की इस स्थिति में सारा देश उनके साथ है। इस संकट को राष्ट्रीय संकट मान कर इसका सामना किया जाना चाहिये। केरल की सुन्दर भूमि की दुर्दशा एवं लोगों पर आए दुखों की घटनाएं सुन कर मन रो उठता है। मुझे आशा है कि सरकार वित्तीय एवं अन्य प्रकार की सहायता तुरन्त देगी और नौकरशाही तथा अन्य कठिनाईयों को इसके रास्ते में नहीं आने दिया जायेगा।

सरकार से राष्ट्रीय बन नीति बनाने का अनुरोध किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

केरल में अनेक नदियां हैं। उन नदियों के जल का उपयोग किया जाना चाहिये। इससे केवल केरल को अपितु सारे देश को लाभ प्राप्त हो सकता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : केरल को इस समय बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल के लोगों की सहायता एवं राहत के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये यथा संभव प्रयास किये जायेंगे।

राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र ने तात्कालिक राहत देने के लिये राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये का ऋण दिया है। यह ऋण केरल की आर्थिक दशा को देखते हुए दिया गया है। जिससे कि तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के रास्ते में संसाधनों का अभाव रुकावट न बनें।

राज्य सरकार ने 6 करोड़ रुपये का नुकसान होने का समाचार दिया है। राज्य सरकार को वित्त आयोग द्वारा दी गई लगभग 30 लाख रुपये की धनराशि भी उपलब्ध होगी। अनेक क्षेत्र पहुंच से बाहर हैं, इसलिए केरल की पूरी जरूरत का पता बाद में ही लग सकेगा। केरल की जनता की सहायता करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।

इस वक्त मैं सदन के समक्ष इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे जैसे विशाल देश जहां बार बार कहीं न कहीं सूखा और बाढ़ आती रहती है, घाटे की अर्थ व्यवस्था के पुस्तकीय ज्ञान और विचारधारा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। लोगों को संकट में इसलिए बेसहारा नहीं छोड़ा

जा सकता, क्योंकि घाटे की अर्थ-व्यवस्था की पुस्तकीय विचारधारा इसकी अनुमति नहीं देगी। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार केरल की जनता की सहायता के लिये सभी संभव उपाय करेगी ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मेरे मित्र ने भारत सरकार के कार्य-क्षेत्र की सीमा का ब्यौरा दिया । कर्नाटक के सदस्यों ने अपने क्षेत्र की दुखद स्थिति का वर्णन किया जो केरल के निकट है और वह क्षेत्र अनक प्रकार से केरल के समान ही है । श्री स्टीफन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की कठिनइयों और परेशानियों का बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन दिया है । इस वर्ष केरल में मानसून बहुत ही अनिश्चित रहा । पहले तो, मई में यह चार दिन पहले ही आ गया । फिर बाद में इसके आने में इतना अधिक विलम्ब हुआ कि हमें कृषि उत्पादन और बिजली उत्पादन के बारे में ही चिन्ता होने लगी । उसके बाद जुलाई के अन्तिम सप्ताह में इतनी अधिक बारिश हुई कि अनेक जिलों में बाढ़ और भू-स्खलन की घटनायें हुई । कन्नानूर, कोजीकोड, मलापुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, त्रिचूर और अलेप्पी बाढ़ से अधिक प्रभावित हुए । केरल जैसे छोटे राज्य के लिए यह बहुत बड़ा क्षेत्र है ।

अनेक क्षेत्र निम्न-धरातल वाले हैं और बाढ़ से हर साल वहां समस्या उत्पन्न हो जाती है । मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि भूस्खलन से जनता को कितनी कठिनाई और परेशानी होती है । श्री उन्नीकृष्णन ने इस बात का उल्लेख किया था कि एक पूरा गांव भू-स्खलन से समाप्त हो गया । पश्चिमी-घाट की अपेक्षा हिमालय की श्रृखला अपेक्षाकृत अधिक नई है और वहां भी भू-स्खलन से भारी मुसीवत पैदा हो जाती है । मुझे भू-स्खलन से प्रभावित होने बाले लोगों के साथ सहानुभूति है ।

जन धन की काफी क्षति हुई है । एक सदस्य ने 32 लोगों की मृत्यु होने का उल्लेख किया था परन्तु मेरे पास 27 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना है । कुछ भी आंकड़े हों, बहुमूल्य जानें चली गई है । इड्डिकी परियोजना के साथ संचार संबंध समाप्त हो गया है । एक बिजलीघर को भी क्षति पहुंची है । राज्य सरकार बारिश, बाढ़ और भू-स्खलन होने से हुई क्षति का सही सही अनुमान लगा रही है । फसल, सड़कों और पुलों आदि को हुई क्षति का भी उल्लेख किया गया है । किसी ने मेरे नाम का उल्लेख करते हुए क्षति का अनुमान 6 करोड़ रुपये बताया, जिसमें से 2 करोड़ रुपये की क्षति केवल इड्डिकी परियोजना को ही हुई है । मेरे पास एक अन्य आंकड़ों के हिसाब से कुल क्षति 10 करोड़ रुपये हो सकती है ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा कि वहां भू-स्खलन की ही समस्या नहीं है, बल्कि केरल की एक प्रमुख समस्या समुद्री कटाव की भी है । चौथी योजना के अन्त तक समुद्री कटाव के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों पर 17.7 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी हैं । समुद्री भूमि-कटाव की समस्या मूलतः राज्य सरकार की समस्या है, परन्तु चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों से केन्द्रीय सरकार समुद्री भू-कटाव के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के लिए सहायता दे रही है ।

समुद्री कटावा के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के लिए पांचवीं योजना में सहायता व्यबस्था के बारे में योजना आयोग राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहा है । चौथी योजना के अन्त तक बाढ़ नियन्त्रण पर 3.16 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं । बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी राज्य क्षेत्र

में आते हैं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को इस बारे में एक वृहद योजना भेजी गई थी। उस योजना के बारे में कुछ सुझाव राज्य सरकार को भेजे गये हैं, जिस पर राज्य सरकार अमल कर रही है।

राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य कर रही है। विस्थापित लोगों को रिहायश और निःशुल्क भोजन उपलब्ध किया गया है। जिस परिवार में लोगों की जाने गई हैं, ऐसे प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये, पूर्णतः नष्ट मकान के लिए 500 रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 250 रुपये नकद सहायता के रूप में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सहायता के बारे में मेरे साथी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यों के राहत कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा सहायता देने की पूर्व परम्परा और वित्त आयोग सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के बाद की स्थिति में अन्तर आ गया है। मैं श्री स्टीफन को यह बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों में सभी प्रकार की दैवी विपदाओं को भी शामिल कर लिया गया है।

एक सुझाव यह दिया गया कि केन्द्रीय सरकार केरल को एक टीम भेजे। मैं कुछ विशेषज्ञों को केरल भेजने के प्रश्न पर विचार कर रहा हूं ताकि संचार साधनों के नष्ट होने, पुलों के टूटने और भूस्खलन के कारण इड्डिकी परियोजना के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। यह भी कहा गया कि चट्टानों के टूटने की घटना पिछले 50 वर्षों की सबसे बड़ी दुर्घटना है। हम जिस टीम को भेजने का विचार कर रहे हैं, उनमें, भूगर्भ विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ सिंचाई और बिजली विशषज्ञ भी शामिल होंगे। तकनीकी सहायता के अलावा यह टीम कृषि कार्यों के लिए उर्वरक, बीज आदि समाग्री की सप्लाई दिये जाने का प्रश्न पर भी विचार करेगी। वन संरक्षण का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट में ही नहीं, बल्कि सारे देश में बनों की समाप्ति भू-स्खलन का प्रमुख कारण है। यही नहीं, बल्कि इससे नदियों में मिट्टी जमा होने की भी समस्या उपत्न्न होती है। सम्पूर्ण देश की दृष्टि से इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सरकार के पास धनाभाव होने और अपनी सीमाओं के बावजूद कमी, सूखा और बाढ़ के समय, यथासम्भव सहायता कार्य करती रही है। लगभग दो वर्ष पूर्व देश में भयंकर सूखे की स्थिति में सरकार ने खाद्य सप्लाई करके ही नहीं, बल्कि लगभग 90 करोड़ रूपये खर्च करके लोगों को रोजगार भी उपलब्ध किया। केन्द्रीय सरकार ने 1965-66 में राज्यों को राहत सहायता के रूप में 8.15 करोड़ दिया और 1972-73 में यही धनराशि बढ़कर 16.67 करोड़ रुपये हो गई थी।

हमें परिस्थिति-विज्ञान सम्बन्धी तथ्यों को भी ध्यान में रखना है और उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब शीघ्र ही देश की बाढ़ स्थिति के बारे में सदन में चर्चा होगी। यह अजीब बात है कि कहीं बाढ़ है, तो कहीं सूखा है।

सभापति महोदय : बाढ़ें आने पर तो हमें बाढ़ की गम्भीरता का ध्यान रहता है, परन्तु बाद में हम भूल जाते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भविष्य में बाढ़ समाप्त होने के बाद भी हम इसे भूलेंगे नहीं।

संगठित राहत का प्रश्न भी उठाया गया। ये राष्ट्रीय समस्यायें हैं और अपने मित्रों की तरह मैं भी चिन्तित हूं। हम मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि इस देश के एक नागरिक के रूप में समस्या का समाधान करना चाहते हैं बम्बई ने ऐसी स्थितियों से जूझने के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर इस प्रकार के राहत कार्यों को संगठित रूप में किया जाय, तो एक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अन्तिम निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इसी से राष्ट्र संगठित है।

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरूवार, 8 अगस्त, 1974/17 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 8th August, 1974 / Sravana 17, 1896 (Saka).

74—M/P(D)7LSS—0490—19-2-75—GIPS